

हरियाणा विधान सभा
की

कार्यवाही

13 मार्च, 1989

खण्ड 1, अंक 13

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 13 मार्च, 1989

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(13)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर	(13)25

विशेषाधिकार भंग का प्रश्न— चंडीगढ़ के हैड कांस्टेबल ट्रैफिक श्री परमजीत सिंह तथा कांस्टेबल श्री सुरजीत सिंह के विरुद्ध	(13)26
वाक्-आउट	(13)27
विभिन्न विशयों पर उठाया जाना	(13)28
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव— सेवा निवृत्त कर्मचारियों को रिवाइज्ड पेंशन के बकायों की अदायगी सिक्योरिटी डिपोजिट में दिये जाने से व्याप्त रोश सम्बन्धी तथा उप-मुख्य मंत्री द्वारा इस सम्बन्ध में किया गया निवेदन	(13)29
वर्ष 1989-90 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(13)30

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 13 मार्च, 1989

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Withdrawal of Tax

***706. Shri Mangal Sein:** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to withdraw the tax on blanket, underwear, banyans; and

(b) whether any memorandum/delegation has been received by the Government for the withdrawal of tax as referred to in para (a) above; if so, the action taken thereon?

Excise and Taxation Minister (Rao Ram Narain):

(a) Yes please.

(b) Yes please. These representations were considered by Sale Tax Advisory Committee and now their recommendation are under consideration of Government.

श्री मंगल सैन: क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सेल्ज टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी की रिकमैन्डे ांज क्या क्या है?

राव मरा नारायण: अध्यक्ष महोदय, कमेटी की रिकमैन्डे ांज तो यह है कि ब्लैकैट्स और स्टिचड कच्छों पर से टैक्स माफ कर दिया जाए, यार्न के ऊपर 3 परसैन्ट टैक्स बढ़ा दिया जाए लेकिन बनियानों पर से टैक्स माफी की कोई रिकमैन्डे ांज नहीं है।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब के पार्ट 'ख' में यह कहा है कि प्रतिवेदनों पर कराधान सलाहकार समिति ने विचार किया था और अब उनकी सिफारि ां पर सरकार विचार कर रही है। क्या वे बताएंगे कि उस ऐडवाइजरी कमेटी के कौन कौन से मैम्बर्ज हैं जिन्होंने इस तरह की रिकमैन्डे ांज की है?

राव राम नारायण: सारे ही थे।

श्री मंगल सैन: क्या मेरे लायक मन्त्री महोदय अपनी याद्दा त को ताजा करते हुए फरमायेंगे कि फार्म 38 के बारे में भी उस कमेटी ने कोई रिकमैन्डे ांज की थी कि यह फार्म हटा दिया जाए?

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, फार्म 38 के बारे में कमेटी ने कोई रिकमैन्डे ांज नहीं की थी। कमेटी ने यह मामला

श्री मूलचन्द जैन जी के सुपुर्द किया था। उन्होंने दोनों साइडज को सुनकर यह रिकमैन्ड किया है कि यह फार्म 38 रहना चाहिये।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने यह बताया कि सेल्ज टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी की कोई रिकमैन्डे इन नहीं थी बल्कि उसने यह मामला श्री मूल चन्द जी के ऊपर छोड़ दिया था। क्या मन्त्री महोदय, कैटेगरीकली फरमा रहे हैं कि उन्होंने ही यह रिकमैन्ड किया था कि फार्म 38 को रहने दिया जाए।

राव राम नारायण: जो रिकमैन्डे इन थी उसको कमेटी ने ऐप्रूव किया था।

श्री कैला । चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, अभी भी कुछ व्यापारी लोग इस फार्म 38 को हटाने के बारे में सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या सरकार इस फार्म को हटाने के बारे में दोबारा विचार करेगी?

राव राम नारायण: अध्यक्ष महोदय, अभी इस फार्म को हटाने का सरकार का कोई विचार नहीं है क्योंकि टैक्स इवेजन को रोकने के लिये यह बड़ा ठीक साबित हो रहा है।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अन्तिम रूप कब तक दे दिया जाएगा, उसका फैसला कब तक कर दिया जाएगा?

राव राम नारायण: डाक्टर साहब जल्द ही इसका फ़ैसला कर देंगे।

सेठ लछमन दास बजाज: अध्यक्ष साहब, लगभग दो सीजन गुजर गये हैं लेकिन कम्बलों पर से अभी तक भी टैक्स हटाने के बारे में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। सेल्ज टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी ने भी अपनी रिकमैन्डे ांज दी है कि इस टैक्स को समाप्त करना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कब तक इसका फ़ैसला होने की उम्मीद है?

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, सेल्ज टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी ने 14-12-88 को यह सजै ान दिया था। उस पर गौर हो रहा है क्योंकि हमें यह देखना पड़ता है कि इससे हमें कितना लौस होगा और उस लौस को हम किस-किस जगह से मेकअप कर सकते हैं। इन सारी बातों को ऐग्जामिन कर रहे हैं।

श्री देवी दास: स्पीकर साहब, अभी पीछे हौजरी वाले व्यापारियों को िाश्ट मंडल डा0 साहब के साथ मुख्य मंत्री जी को मिला था। उसको मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि जो पहले टैक्स लगा हुआ है वही रहेगा। मन्त्री जी यहां पर ऐलान क्यों नहीं करते कि पहले वाला टैक्स ही रहेगा?

राव राम नारायण: हौजरी पर दो परसेंट टैक्स है। अब बनियान और कच्छों पर हम टैक्स माफ करने की बात कंसिडर कर रहे हैं।

श्री विठ्ठल प्रसाद: मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि सेल्ज टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी की रिक्मेंडेशन कब हुई थी और दूसरे क्या इस टैक्स को सैशन समाप्त होने से पहले वापिस ले लिया जाएगा?

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, कमेटी की रिक्मेंडेशन नं. 14-12-88 की मीटिंग में हुई थी जोकि सरकार के जेरे गौर है।

श्री मंगल सैन: मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो सेल्ज टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी सरकार ने बनाई है, उसकी रिक्मेंडेशन में मॉडिफिकेशन है या वैसे ही है?

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, इस कमेटी के नाम से ही पता चलता है कि यह ऐडवाइजरी है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि इसकी रिक्मेंडेशन में मॉडिफिकेशन हो।

तारांकित प्रश्न संख्या 695

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री किशन सिंह सांगवान, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Number of Teachers working in schools

***697. Shri Rattan Lal Kataria:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the total number of teachers working in Government Schools in the State at present; and

(b) the number of Teachers out of those referred to in part (a) above, belonging to Scheduled Castes?

खाद्य तथा पूर्ति मन्त्री (श्रीमती सुशमा स्वराज):

(क) शिक्षा विभाग में 46,581 अध्यापक कार्य कर रहे हैं।

(ख) उपरोक्त के भाग (क) में निर्दिष्ट अध्यापकों में से 2,217 अध्यापक अनुसूचित जातियों के हैं।

श्री रत्न लाल कटारिया: स्पीकर साहब, 46,581 अध्यापकों में से लगभग 10 हजार पद अनुसूचित जाति के अध्यापकों के लिए बनते हैं लेकिन इनके आरक्षण में बड़ी भाँटफाल है। संविधान की धारा 335 के तहत आरक्षण का प्रावधान है लेकिन उसकी धज्जियां उड़ा कर रख दी गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि आदरणीय चौधरी देवी लाल की डायनामिक लीडरशिप के अन्तर्गत क्या बीजेपी और जनता दल की सरकार इस बैकलौग को पूरा करने की कोशिश करेगी?

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, कटारिया जी ठीक कह रहे हैं कि भाँटफाल बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारे यहां

20% पद आरक्षित हैं। इसके पूरे न होने के क्या कारण हैं में उन सब कारणों को तो नहीं लेकिन कुछ प्रमुख कारणों का उल्लेख करना चाहूंगी। हमारे यहां जो 20% आरक्षण है वह महिलाओं और पुरुशों के लिए इकट्ठा है और इसमें से 40% हिस्सा महिलाओं को जाता है और 60% पुरुशों को जाता है। यानी 100 आरक्षित पोस्टस में 60 पुरुशों के लिए और 40 महिलाओं के लिए आरक्षण अलग है। जो 40 फीसदी महिलाएं हैं वे भाड्यूल्ड कास्टस की नहीं मिलती। इस तरह से कुल मिला कर 12% आरक्षण रह जाता है क्योंकि 8% महिलाएं उपलब्ध नहीं होती। इसलिए भाौर्टफाल का एक कारण तो यह है। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि 1980, 1982 और 1986 में तदर्थ आधार पर लगे अध्यापकों को रैगुलर करने का सरकार ने निर्णय लिया। इन तीन वशों में उनको रैगुलराइज करते समय पौलिसी में रिलैकसे इन दे दी गई, यह नहीं देखा गया कि अनुसूचित जाति का आरक्षण पूरा है या नहीं। इस वजह से काफी मात्रा में भाौर्टफाल हो गया। तीसरा प्रमुख कारण यह है कि हमारे यहां अध्यापकों की कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं, जैसे एस0एस0 मास्टर्ज हैं, साईंस मास्टर्ज हैं और मैथ मास्टर्ज हैं। एस0एस0 मास्टर्ज तो मिल जाते हैं लेकिन साइंस और मैथ के भाड्यूल्ड कास्टस मास्टर्ज नहीं मिलते। उसके बारे में नीति है कि तीन बार विज्ञापित करने के बाद भी यदि नहीं मिलते तो बैकवर्ड क्लासिज को दे सकते हैं, अगर बैकवर्ड क्लासिज के कैंडीडेट्स नहीं मिलते तो जनरल कैटेगरी को दे सकते हैं। इस तरह से पोस्ट डीकैटेगराइज हो जाती है। ये तीन प्रमुख कारण हैं जो मैंने

आपको बताए हैं। इसके अलावा, स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने पूछा है कि चौधरी देवी लाल जी की लीडरशिप में बैकलॉग को कैसे पूरा किया जाएगा? मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि जो पोस्टे नौन-अबेलेबिजिटी के कारण डीकैटेगराइज हो गईं उनको बैकलॉग में काउन्ट नहीं किया जा सकता। वह कमी बैकलॉग में भामिल नहीं होती। लेकिन आयंदा के लिए यह प्रावधान किया गया है कि जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद हैं उन पर केवल अनुसूचित जाति के ही लोग लिए जाएंगे। जब 1977 में चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री थे तो इन्होंने 1979 में रोस्टर की प्रक्रिया बनावाई थी और शिक्षा विभाग में वह रोस्टर की प्रक्रिया बड़ी प्रभावी रही। चौधरी देवी लाल जी के अब फिर मुख्य मंत्री बनने के बाद वह रोस्टर की प्रक्रिया बहुत ज्यादा प्रभावी कर दी गई है। सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की हुई है। उस कमेटी की साल में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में हर विभाग को कंसल्ट करते हैं। हर तीन महीने के बाद यह इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि अनुसूचित जाति के काटे के हिसाब से उम्मीदवार लगाए गए हैं या नहीं। मैं सदन को यह विश्वास दिलाती हूँ कि चौधरी देवी लाल जी की लीडरशिप में हम अनुसूचित जाति के आरक्षित कोटे के विरुद्ध अनुसूचित जाति के लोग ही लगाएंगे।

श्री रत्न लाल कटारिया: स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदया ने बताया कि अनुसूचित जाति में जे०बी०टी० आदि पोस्टों

के लिए महिलाएं मिलती ही नहीं हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग का सारा खर्चा अनुसूचित जाति विभाग या हरिजन कल्याण निगम की तरफ से वहन करके ऐजूके इन डिपार्टमेंट अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कोई अलग से योजना हर जिले में खोलगा यानी ऐक्सक्लूसिवली फार भाड्यूल्ड कास्टस ट्रेनिंग सेंटर खोलेगा?

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, सरकार को या ऐजूके इन विभाग को खर्च की कोई तंगी नहीं है। जे0बी0टी0 ट्रेनिंग सेंटर के बारे में मैं पहले भी सदन के बता चुकी हूँ कि 100 फीसदी सैंट्रली एडिड स्कीम जे0बी0टी0 के लिए है लेकिन हमें अनुसूचित जाति के योग्य पात्र ही नहीं मिलते। माननीय सदस्य भाड्यूल्ड कास्टस के उम्मीदवारों को उनमें ऐडमि इन लेने के लिए प्रेरित करें उनको बढ़ावा दें ताकि वे उनमें ऐडमि इन लें।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया कि हमें योग्य पात्र नहीं मिलते। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या योग्य पात्र बनाने के लिए जे0बी0टी0 की ट्रेनिंग देने की सरकार की योजना है?

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, जे0बी0टी0 की ट्रेनिंग की योजना तो पहले से ही चल रही है। उसमें अनुसूचित जाति के लिए 20 परसेंट का कोटा है लेकिन ऐडमि इन के लिए भाड्यूल्ड कास्टस आते ही नहीं। अनुसूचित जाति के जो लड़के

फर्स्ट डिविजन मैट्रिक पास होते हैं वे बैंकों या दूसरी जगहों पर नौकरी ले लेते हैं जिसके कारण जे०बी०टी० की ट्रेनिंग में कोटे के हिसाब से नहीं आते, इसलिए इनका बैकलौग रह जाता है।

श्री उदय भानः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि जे०बी०टी० की ट्रेनिंग के लिए हरिजन लड़कों और लड़कियों के लिए क्या क्वालिफिके इन रखी हुई है? इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जो 2,217 अध्यापक अनुसूचित जातियों के हैं इनमें से 60 परसेंट और 40 परसेंट के हिसाब से अनुसूचित जातियों के आदमी और महिलाएं अध्यापक कितने मिलते हैं।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, जे०बी०टी० की ट्रेनिंग में मैरिट के हिसाब से ऐडमि इन होती है और 20 परसेंट कोटे के हिसाब से अनुसूचित जाति के ऊपर के 50 लड़क ले लिए जाते हैं। जे०बी०टी० की ट्रेनिंग के लिए क्वालिफिके इन एलिजिबिलिटी तो मैट्रिक ही है। जहां तक 2,217 में से आरक्षण के हिसाब से कितनी महिलाएं और कितने आदमी अनुसूचित जातियों के हैं यह इन्फर्मे इन इस समय नहीं दी जा सकती क्योंकि यह मेरे पास नहीं है।

श्री भाग मलः मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूँ कि यदि हरिजन लेडीज का कोटा पूरा नहीं हो पाता तो क्या

हरिजन लेडीज का कोटा जैन्टस को देंगे ताकि हरिजनों की रिजर्वे इन का कोटा पूरा हो सके।

श्रीमती सुशामा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, जो बात इन्होंने कही है इसको हमने ऐगजामिन करवाया है। पुरुश और महिलाओं के दो अलग अलग केडर्ज हैं। इन दोनों केडरों को इकट्ठा किया जा सकता। भाई भाग मल जी ने कहा कि अगर महिलाएं इन पोस्टों के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो इनका कोटा काट कर पुरुशों को दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा किया जाता है तो इसमें यह होगा कि 60 आदमियों का 20 प्रति सत कोटा अगर हम हरिजन जैन्टस को देंगे तो वह 20 प्रति सत की बजाय 33 प्रति सत हो जाएगा। यदि ऐसा कर दिया जाए तब भी वह समस्या हल होने वाली नहीं है क्योंकि पुरुशों के लिए भी इस समय जो आरक्षण है वह पूरा नहीं होता क्योंकि उतने लोग भी उपलब्ध नहीं हो पाते। 100 प्रति सत का 20 प्रति सत करना केवल नो इनल ही होगा, उससे समस्या सुधरेगी नहीं।

श्री हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि अध्यापकों के पदों में जो हरिजनों का भाौर्टफाल रहा हुआ है उसको ऐट पार लाने के लिए जो अब जे0बी0टी0 की ट्रेनिंग भुरु की जा रही है क्या उसमें सरकार हरिजन लड़कों के लिए कुछ और सुविधाएं करने जा रही है?

श्रीमती सुशमा स्वराज: मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि जे0बी0टी0 की ट्रेनिंग में दाखिला लेने के लिए मैट्रिक पास लड़के ऐप्लाई कर सकते हैं। जितने लाग भाड्यूल्ड कास्टस के ऐप्लाई करते हैं उनमें से 20 प्रति ात कैंडीडेटस 20 प्रति ात आरक्षित पदों के विरुद्ध ले लिए जाते हैं।

श्री रत्न लाल कटारिया: मैं आदरणीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जिस समय अध्यापकों की अप्वायंटमेंट की जाती है क्या उस समय कोई विभागीय कमेटी द्वारा इनका चयन किया जाता है, अगर ऐसा किया जाता है तो क्या उस कमेटी में कोई अनुसूचित जाति का अधिकारी भी लिया जाता है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि अध्यापकों की सिलैब इन कोई कमेटी नहीं करती बल्कि एस0एस0एस0 बोर्ड द्वारा सिलैब इन की जाती है। एस0एस0एस0 बोर्ड को डिपार्टमेंट रिक्विजि इन भेजता है और उस रिक्विजि इन में लिख कर भेजा जाता है कि इतने पद अनुसूचित जाति के या दूसरी जातियों के हैं। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है जो स बात की जांच करती है कि विभिन्न विभागों में रिजर्वे इन का कोटा पूरा रखा जा रहा है या नहीं। हमारे ि ाक्षा विभाग की तो कमेटी बनी हुई है। इस संबंध में जो सूचना मुख्य सचिव मांगते हैं वह विभाग उनको भेजता रहता है। हम जितनी रिक्विजि इन भेजते हैं उसमें रिजर्वे इन का ध्यान रखा जाता है।

चीफ सैक्रेटरी साहब को भी हम रिपोर्ट भेजते हैं। वे भी अपने लैवल पर निरीक्षण करते हैं कि आया रिजर्वे उन का कोटा पूरा करने के लिए संबंधित विभाग द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं या नहीं।

श्री उदय भान: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि पिछले साल जो जे०बी०टी० की ट्रेनिंग दी गई है उसमें कितने हरिजन बच्चे लिए गए और टोटल कितने हरिजन कैंडीडेटस की ऐप्लीके ांज आई। दूसरे, शिक्षा विभाग में रोस्टर प्रणाली कब से लागू हुई है और इस रोस्टर प्रणाली से कितने हरिजन लड़के लाभान्वित हुए हैं?

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, पिछले साल हमने फिरोजपुर नमक में जे०बी०टी० की ट्रेनिंग आरम्भ की थी। इस ट्रेनिंग के दौरान 20 प्रति ात आरक्षित पद हरिजनों के लिए रखे गए थे। उसमें कितने हरिजन रखे गए और कुल हरिजन लड़कों की कितनी ऐप्लीके ांज आई वे आंकड़े इस समय नहीं दिए जा सकते। जहां तक इनके दूसरे सवाल का संबंध है कि रोस्टर प्रणाली कब से लागू की गई है, इस संबंध में मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि 9-2-1979 से पहले की रोस्टर प्रणाली इस प्रकार से थी कि जब कोई पोस्ट भरी जाती थी तो उसमें हरिजनों की जो 4 या 6 नम्बर के बाद पोस्ट बनती थी वह उनके लिए उस साल के लिए रख ली जाती थी। जिनी रिक्रूटमेंट उस समय होती थी उतनी उस कलेंडर ईयर में भर ली

जाती थी और बाकी छोड़ दी जाती थी। उन बची हुई पास्टों को अगले साल के लिए कैरीफावर्ड नहीं किया जाता था लेकिन 9-2-1979 के बाद यह सिस्टम एडॉप्ट किया गया कि जो पोस्टें उस कलेंडर ईयर में नहीं भरी जा सकती उनको अगले साल के लिए कैरीफावर्ड कर लिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अब जितनी पोस्टें नहीं भरी जाएंगी वे कैरीफावर्ड होंगी वे कलेंडर ईयर के आधार पर कैरीफावर्ड होती रहती हैं। जो पोस्टें भरने से रह जाती हैं वे अगले वर्ष के लिए कैरीफावर्ड कर दी जाती हैं, अब यह नई प्रणाली लागू की हुई है।

Repair of Drains in Faridabad

***860. Shri Kundan Lal Bhatia:** Will the Minister of State for Local Government be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to repair the drains in Faridabad Complex?

स्थानीय भासन राज्य मंत्री (श्री ए0एस0 भडाना): नहीं। नालियों की मुरम्मत का कार्य पहले से ही आव यकता अनुसार फरीदाबाद मिश्रित प्र ासन द्वारा किया जा रहा है।

श्री कुन्दन लाल भाटिया: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहूंगा कि नाला नम्बर 2 ए0बी0 से लेकर 2 सी0डी0 तक जो कागजों में दिखाया गया है वह नाले की भाक्ल में नहीं है क्योंकि वह पूरी तरह मिट्टी से भरा हुआ है। इसी प्रकार नाला 1-एफ0 से लेकर 1-जी0 तक जो गुरुद्वारा संतो

तक है वह भी नाले की भाक्ल में नहीं है क्योंकि वह भी मिट्टी से भर चुका है। इस प्रकार नाला नम्बर 2 जे0 से लेकर दो नम्बर चौराहे तक का नाला भी मेन भाक्ल में नहीं है क्योंकि इसमें भी मिट्टी भरी पड़ी है। इसी प्रकार से नेहरू ग्राउंड से लेकर नीलम बाटा चौक तक जो नाला खुदा हुआ है वह भी इस समय मिट्टी से भरा होने के कारण नाले की भाक्ल में नहीं रहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इस नाले की सफाई का काम कब तक हो जाएगा?

श्री ए0एस0 भडाना: स्पीकर साहब, मैं श्री भाटिया तथा सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद कम्पलैक्स में हम पहले ही नालियों और सड़कों वगैरा की मरम्मत के लिए 40 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं। (विध्वन) वर्ष 1988-89 में 40 लाख रुपये वहां पर खर्च किये जा चुके हैं और अगल साल के लिए 80 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर सर, माननीय मंत्री श्री भडाना जी ने अपने जवाब में बताया है कि फरीदाबाद में सभी नालियों की मरम्मत हो गई है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनकी जानकारी में अभी भी कोई नालियां ऐसी रह गई हैं जिनकी मरम्मत नहीं हुई, यदि हां तो क्या उनकी मरम्मत के लिए कोई प्रावधान रखा गया है?

श्री ए०एस० भडाना: स्पीकर साहब, मैं माननीय श्री मंगल सैन जी को बताना चाहूंगा कि फरीबादबाद में जितनी भी नालियां टूटी हुई थी उनकी रिपेयर हो चुकी है। यदि कोई नाली ऐसी रह गई हो जहां मुरम्मत की जरूरत है, उसके लिए हमने पैसे का प्रावधान रखा है।

श्री कुन्दन लाल भाटिया: अध्यक्ष महोदय, गोची ड्रेन से एन०आई०टी० तक जो नाला है वह तो नजर ही नहीं आता क्योंकि वहां पर गन्दगी बहुत ज्यादा फैली हुई है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि इस नाले की सफाई करवा कर इसे ठीक करवाने का कोई प्रस्ताव है?

श्री ए०एस० भडाना: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा तथा भाटिया साहब की जानकारी में लाना चाहूंगा कि नीलम मोड़ से बाटा चौक तक काम करने के लिए हमने 10 लाख रुपया रखा है उससे सारा कार्य होगा। जो गलियां और नालियां टूटी-फूटी रह गई हैं उनके लिए हमने 80 लाख रुपये का प्रावधान रखा है।

सेठ लछमन दास बजाज: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हरियाणा में जितनी भी म्यूनिसिपल कमेटियां हैं क्या उन सब की टूटी हुई नालियों और सड़कों को ठीक करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

Mr. Speaker: This supplementary does not arise out of this question. You please take your seat.

इ० जगपाल सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि फरीदाबाद कम्पलैक्स में जो नालियां रिपेयर की गई हैं वे अण्डर ग्राउंड हैं या ओपन हैं?

श्री ए०एस० भडाना: अध्यक्ष महोदय, जितनी भी नालियां हैं उन सभी को ठीक किया गया है।

कामरैड हरपाल सिंह: स्पीकर सर, आगे जो मौसम आने वाला है, वह बरसात का है और गन्दगी होने की वजह से मलेरिया फैलता है। भाहरों की सफाई का कार्य सही नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या भाहरों के गन्दे पानी को निकालने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री ए०एस० भडाना: स्पीकर साहब, जितनी भी हमारी म्यूनिसिपल कमेटियां हैं उनमें इन्हें ठीक करने का प्रावधान रखा हुआ है।

श्री कुन्दन लाल भाटिया: अध्यक्ष महोदय, एन०आई०टी० से गोची ड्रेन नाले और नालियां दिखाई ही नहीं देती हैं क्योंकि पानी बहुत जमा है और उसे निकालने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्या इसे ठीक करवाया जाएगा?

श्री ए०एस० भडाना: मेरी जानकारी के मुताबिक वहां पर काम हुआ है।

श्री विठ्ठल प्रसाद: स्पीकर साहब, माननीय मंत्री जी ने ठीक भाशा इस्तेमाल नहीं की है इसलिए यह बात रिकार्ड पर नहीं आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: यह बात रिकार्ड न की जाए।

श्री मंगल सैन: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या प्रदेश भर में सीवरेज और पानी के लिए कोई अलग बोर्ड बनाया जाएगा?

Mr. Speaker: This supplementary does not arise out of this question. You please take your seat.

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो जवाब इन्होंने दिया है क्या वह इन्होंने अपनी जानकारी के आधार पर दिया है या कि रिकार्ड के आधार पर?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, सवाल यह था कि फरीदाबाद कम्पलैक्स में ड्रेंज की रिपेयर करने की कोई परपोजल है या नहीं। मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर बताया कि हम ड्रेंज की सफाई करते हैं, री-मॉडलिंग करते हैं और जो डैमेज होता है उसको रिपेयर भी करते हैं। इनके ऊपर पिछले साल 40 लाख रुपये खर्च किये गये हैं और इनकी सफाई, री-मॉडलिंग और रिपेयर के लिए अगले साल के लिए 80 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। फिर यहां कहा गया कि गोची

ड्रेन से एन0आई0टी0 तक कई ड्रेज है जिनकी भाकल ही नहीं दिखाई देती। स्पीकर सर, एक आदमी के लिए यह बहुत डिफिकल्ट बात है कि वह सारी ड्रेज के बारे में याद रखे। फरीदाबाद कम्पलैक्स में बहुत सी ड्रेज हैं। बक्तन फबक्तन जहां-जहां जरूरत महसूस होती है वहां पर सफाई भी होती है, जहां डैमेज हो वहां पर रिपेयर का काम होता रहता है, और जहां री-मॉडलिंग की आव यकता है, वहां री-मॉडलिंग होती है तथा जहां टूट-फूट होती है, उसकी मुरम्मत भी होती रहती है। Sir, it is a continous work and it goes on.

M/s. Bhanu Industries Pvt. Ltd., Hisar

***892. @Shri Ranjit Singh:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) whether the Govt. is aware of the fact that the machinery relating to M/s. Bhanu Industries Private Ltd., Hisar is being shifted from Hisar to Assam; and

(b) if so, the details and the cost thereof?

Industries Minister (Dr. Kirpa Ram Punia):

(a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

श्री दुर्गादत्त अत्री: क्या मंत्री जी एम0एल0एज0 की कमेटी बनायेंगे जो जाकर देखे कि वहां से फ़ैक्टरी िाफ्ट हुई की नहीं?

डा० किरपा राम पुनिया: सर, अभी तक कोई प्रोपोजल नहीं है, मगर इस बारे में विचार कर लेंगे।

श्री मंगल सैन: स्पीकर सर, यह बड़ा इन्ड्रैस्टिंग क्वै चन है और हिसार से सम्बन्धित है। मैंने, चौधरी सम्पत सिंह जी जब मिनिस्टर थे, उस टाइम पर भानू इन्डस्ट्री के बारे में सवाल किया था। लगातार वही सरकार चली आ रही है और इसकी सांझी जिम्मेदारी है। उस सवाल के जवाब में उस समय मुझे बताया गया था कि कुछ पुर्जे ठीक होने के लिए बाहर गये हैं, फ़ैक्टरी रिफ़्ट नहीं हुई है। इसलिए मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि पुर्जे रिपेयर हो कर वापिस आ गये हैं या नहीं? दूसरे वे कौन कौन से पुर्जे थे जो बाहर ठीक होने के लिए भेजे गये थे?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, थोड़े से पुर्जे गये थे और वे वापिस आ गये हैं। वे बड़े छोटे छोटे पार्ट्स थे।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा सेशन में भानू इन्डस्ट्री की मीनिनरी तथा फरनेस आयल परचेज करने के बारे में और लोन ऐडवॉन्स के बारे में जिक्र आया था। उस समय की सरकार ने सारे कानूनों को ताक पर रख दिया था। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि नयी सरकार आने के बाद इस बारे में कोई इंकवायरी करवायी है?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर सर, लोन देने के बारे में सारी चैकिंग कर ली गई है। लोनज सैव इन के बारे में महसूस किया गया है कि लोनज बहुत ही फास्ट स्पीड से सैव इन हुए थे लेकिन कोई इररैगुलेरेटी डिटेक्ट नहीं हुई है। डिसबर्स-मेंट भी ठीक हुई है और इनस्टालमेंट भी ये सही टाइम पर देते रहे हैं।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि उनको फास्ट स्पीड से लोन की पेमेंट दी गई थी और अन्य किसी बात का कोई एतराज नहीं है। मैं आपके द्वारा जानना चाहूंगा कि ऐक्स्ट्रा आर्डिनरी जो फास्टनेस आयी वह क्यों आई और फास्ट पेमेंट करने वालों के बारे में क्या कोई इन्कवायरी की है कि फास्ट पेमेंट क्यों की थी और किस कंसीड्रे इन से की थी?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर सर, डाक्टर साहब ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिस के बारे में उनको अच्छी तरह से मालूम है। भानू इन्डस्ट्री चौधरी भजन लाल के दामाद की है। चौधरी भजन लाल जी उस समय मुख्य मंत्री थे। उन्होंने ही बहुत फुर्ती के साथ सारा काम करवाया था।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी: स्पीकर सर, क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि उन्हें फैक्टरी गोहाटी रिफ्ट होने के बारे में कोई प्रूफ मिला है? अगर कोई प्रूफ मिला है तो क्या और उनके खिलाफ क्या ऐक् इन लिया गया? क्या हरियाणा गवर्नमेंट भी

चौधरी भजन लाल से दब गई है जो बिना परमिशन लिए हुए ही उन्होंने इन्डस्ट्री को शिफ्ट कर लिया?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह बिल्कुल गलत बात है। न कोई दबने का सवाल है और न ही कोई ऐसी बात है। उन्होंने वहां पर कोई इंडिपेंडेंट यूनिट जरूर लगायी है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, हमारे लायक इंडस्ट्रीज मिनिस्टर महोदय ने भी फरमाया और हम सब भी जानते हैं कि वह फैक्टरी किसी की थी। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि क्यों तेजी से काम हुआ और कैसे जल्दी-जल्दी करके कर्जा मिल गया तथा क्या वह तेजी अब भी कायम है? इसके अलावा फरमाया है कि आसाम में भी उन्होंने फैक्टरी लगा ली है। क्या उसके कुछ पुर्जे वहां से तो शिफ्ट नहीं हुए हैं?

डा० किरपा राम पुनिया: यहां से कोई पुर्जा शिफ्ट नहीं हुआ है।

श्री रघु यादव: स्पीकर साहब, सब को पता है कि यह काम भजन लाल के राज में बड़ी तेजी से हुआ। क्या यह काम केवल मैसर्ज भानू इंडस्ट्रीज के संदर्भ में ही तेजी से हुआ या और लोगों के बारे में भी से हुआ?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, इन्होंने पूछा है कि यह काम केवल अपने दामाद के लिये ही तेजी से हुआ है या

किसी और के बारे में भी तेजी से हुआ है। अभी तक तो यही पता चला है कि केवल इसी केस में ही तेजी से काम हुआ है। सब केसिज के बारे में तो कोई इन्वैस्टीगेशन नहीं हुई है लेकिन हमें पता यही चला है कि केवल इसी केस में काम ज्यादा तेजी से हुआ है।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूँ। हमारे यहां रूलिंग पार्टी या सत्ता में जो लोग आज हैं, यह उस समय विरोधी पक्ष में होते थे। भजन लाल के टाईम में हमारे प्रोफ़ेसर सम्पत सिंह जी ने काफी घपलों के बारे में उस वक्त राष्ट्रपति जी को एक मैमोरैंडम दिया था कि इसी इंडस्ट्री के बारे में जो गड़बड़ और घोटाले हुए हैं, उनकी जांच करवाई जाये। हमारी सरकार बनते ही उस समय अखबारों में चर्चा भी आयी थी कि इस इंडस्ट्री को आसाम में लिफ्ट किया जा रहा है। क्या सरकार इस बारे में कोई इंक्वायरी बैठाने के लिये तैयार है कि जो गोहाटी के अन्दर में गिनरी लगी है, वह कहां से खरीदी गयी है और यहां से लिफ्ट नहीं की गयी है।

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, मैं यह बात स्पष्ट कर चुका हूँ कि यहां से कोई गिनरी लिफ्ट नहीं हुई है। उनकी लोन की स्थिति क्या है, वह मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 8 यूनिट्स थे जिन्होंने लोन लिया था। एक एच०एफ०सी० और एच०एस०आई० डी०सी० की इन सब यूनिट्स में जो अमाउन्ट

इन्वोल्वड थी वह 3 करोड़ 32 लाख 45 हजार रु0 की थी यानी यह अमाउन्ट सैक इन किया गया था। इसमें से जो लोन इन्होंने अवेल् किया था, वह था 3 करोड़ 8 लाख 96 हजार रुपये का। इस टोटल लोन के खिलाफ पेमेंट होने के बाद 1 करोड़ 30 लाख 5 हजार रुपया बकाया है। इसमें से ओवरड्यू अमाउन्ट कोई भी नहीं है क्योंकि रैगुलर इन्स्टालमेंट दी जा रही है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं आदरणीय मन्त्री महोदय से यह बात पूछना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि विपक्ष में हम सब लोग स्वर्गवासी चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में प्रधानमन्त्री जी के पास गये थे और एक मैमोरैंडम दिया था जिसमें भानू इंडस्ट्रीज के बारे में हमने काफी कुछ लिखा था? एक बात उसमें यह भी थी कि एक ही जमीन पर बार-बार कर्जा लिया गया है। क्या सरकार ने उस की इन्क्वायरी करवाई है, अगर करवाई है तो जिन अफसरों ने उनको यह रियायतें दी हैं, उनके खिलाफ क्या ऐक् इन लिया है?

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, यह भी तो इंडस्ट्री रिपट करने का सवाल है। It is not relevant.

Shri Mangal Sein: It is quite relevant , Sir.

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, डाक्टर मंगल सैन जी ठीक फरमा रहे हैं कि जब हम विपक्ष में थे तो बड़े भारी करण इन के चार्जिज और लोन ऐडवांस करने

में जो अनियमितताएं बरती गयीं, उनके बारे में एक मैमोरैंडम बनाकर हमने चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को दिया था। प्रधानमंत्री ने कमीशन नहीं बिठाया बल्कि एक जस्टिस जसवन्त सिंह नाम के व्यक्ति को यह काम सौंप दिया। (व्यवधान व भाोर).....

श्री प्रदीप कुमार चौधरी: उन्होंने तो नहीं बिठाया, आप तो बिठा लो, आप तो बिठा सकते हो।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, बीच में ऐसे इन्ट्रूट न करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह: कोई कमजोर आदमी गर्म हो जाये तो दूसरी बात है लेकिन पी0के0 साहब गर्म हों, कोई भाभा नहीं देता। उन्होंने उसकी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी की थी। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस इन्क्वायरी में हमें ऐसा रिपोर्ट नहीं किया गया हालांकि हमने बार-बार लिखा कि हमें ऐसा रिपोर्ट किया जाये और हम सबूत देने को तैयार हैं केवल एक बार उन्होंने हमें बुलाया था और हमने कहा था कि हमारे पास और भी सबूत मौजूद हैं जिन्हें हम देना चाहेंगे। लेकिन हमें बाद में नहीं बुलाया गया और रिपोर्ट दे दी गई। हमने तभी से ऐप्लाइ किया हुआ है कि हमें उस रिपोर्ट की कापी दी जाए ताकि हम आगे की कार्यवाही कर सकें। सैन्ट्रल गवर्नमेंट करप्ट लोगों को कैसे भील्ड करती है यह इस बात से ही अन्दाजा लगाया जा सकता है। तीन साल होने को आए हैं लेकिन हमें उस रिपोर्ट की

नकल नहीं दी गई। अध्यक्ष महोदय, ज्यों ही हमें रिपोर्ट की नकल मिल जाएगी हम आगे की कार्यवाही करना भुरु कर देंगे।

श्री मंगल सैन: राजीव ने तो यह काम नहीं किया और सैन्ट्रल गवर्नमेंट करण्ट लोगों को भील्ड करती है लेकिन क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह सरकार कमी इन औफ इंकवायरी ऐक्ट के नीचे इंकवायरी करने को तैयार है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जहां तक मेरा सवाल है स्टेट गवर्नमेंट को कमी इन औफ इंकवायरी ऐक्ट के तहत कमी इन बैठाने का अधिकार नहीं है। सैन्ट्रल गवर्नमेंट ही कमी इन औफ इंकवायरी ऐक्ट के तहत कमी इन बिठा सकती है। स्पीकर साहब, अब गवर्नमेंट अपने ही कब्जे में आने वाली है सक ठीक हो जाएगा। वैसे जो भजन लाल जी के असैट्स उनकी नौन इन्कम से डिसप्रोपो नेट हैं उनके बारे में सरकार को जो िाकायत मौसूल हुई थी उसके ऊपर एफ0आई0आर0 दर्ज हो गई थी लेकिन कोर्ट ने स्टे कर दिया। ज्यों ही स्टे वैकेट होगा कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया कि एफ0आई0आर0 दर्ज हो गई है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि एफ0आई0आर0 में भानू इंडस्ट्रीज के बारे में भी उल्लेख है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे याद पड़ता है भानू इंडस्ट्रीज के बारे में उल्लेख नहीं है।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने बताया है कि हमने एक मैमोरैन्डम तैयार किया था और कमी इन के सामने पे 1 होने के लिये बार बार आग्रह किया था लेकिन हमारे कहने के बावजूद हमको कमी इन के सामने नहीं बुलाया गया। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो मैमोरैन्डम तैयार किया गया था और बार बार आग्रह किया गया था कि कमी इन हमारी बात सुने लेकिन कमी इन ने नहीं बुलाया, क्या उस डोकुमेंट के आधार पर हमारी गवर्नमेंट ने कोई कार्यवाही की है?

Mr. Speaker: The Government has not yet received the copy of the Report of the Commission.

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जहां तक मेरा अन्दाजा है हम कमी इन तो बिठा नहीं सकते। मैं इसको कौंफीडेंस से तो नहीं कहता but I think it is within the purview of the Central Government. लेकिन जो रिपोर्टें हमें मिल रही हैं उनके बारे में एफ0आई0आर0 दर्ज करवा दी है।

तारांकित प्रश्न संख्या 896

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री मनी राम, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Setting up Small Scale Industries

***846. Shri Durga Dutt Attri:** Will the Minister for Industries be pleased to state the districtwise details of new small scale industries set up during the period from 20th June, 1987 to 31st January, 1989?

Industries Minister (Dr. Kirpa Ram Punia): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

The Districtwise Small Scale Industries set up w.e.f. 20th June, 1987 to 31st January, 1989 are as under:-

Sr. No.	District	No. of SSI Units set up
1.	Ambala	1410
2.	Bhiwani	468
3.	Faridabad	1384
4.	Gurgaon	1460
5.	Hisar	837
6.	Jind	571
7.	Karnal	1102
8.	Kurukshetra	554
9.	Mohindergarh	614

10.	Rohtak	896
11.	Sirsa	569
12.	Sonepat	818
	Total	10683

श्री दुर्गादत्त अत्री: क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से अपना काम धंधा भुरु करने वालों के लिये कोई गाईडेंस देने के लिये ट्रेनिंग सैन्टर खोले गए हैं?

डा० किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय, ऐन्टरप्रिन्योर्ज को इंडस्ट्रीज लगाने के लिए ट्रेनिंग देने का पहले ही प्रबन्ध है और हरेक जिले में आर०आई०डी०सी० सैट अप किए गए हैं और हर जगह गाईडेंस देने का प्रबन्ध है।

श्री कैला । चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि महेन्द्रगढ़ में कुल 614 स्माल स्केल यूनिट्स स्थापित किये गये हैं। क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि इनमें से नारनौल में कितने और महेन्द्रगढ़ में कितने यूनिट्स लगाये गये हैं व कितने-कितने इस समय चालू हैं?

डा० किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय, सवाल था कि 20 जून 1987 से 31 जनवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान स्थापित किये गये नये लघु उद्योगों का जिलावार ब्यौरा क्या है? मैंने सारी स्टेट में लगे लघु उद्योगों की कुल संख्या बतायी है 10683 जिनमें से महेन्द्रगढ़ की संख्या है 614। किस इंडस्ट्रियल

ऐस्टेट में कितने-कितने यूनिट्स हैं और कितने-कितने चल रहे हैं इस के लिये माननीय सदस्य महोदय यदि अलग से नोटिस दें तो हम बता देंगे।

श्री सुरेन्द्र कुमार सदन: अध्यक्ष महोदय, हर जिले में डी0आई0सीज0 हैं और उनके जी0एम0 द्वारा अनएम्पलायड यूथ्स को इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने के लिये 35 हजार रुपये तक की सहायता मन्जूर की जा सकती है। जब वे उन नवयुवकों को इस तरह का कर्जा मन्जूर कर देते हैं तो बाद में उनकी ऐप्लीके ांज फिर नै ानेलाइजड बैंकों के पास जाती है। वहां पर उन को बहुत फौरमैलिटीज पूरी करनी पड़ती है जिससे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या सरकार इस प्रकार का कोई विचार करेगी जिससे उन को सहकारी बैंकों से लोन वगैरह की सुविधाएं दिलवाई जा सकें और लोन के लिए उनको इधर उधर यू ही भागना न पड़े तथा पेर ानी का सामना न करना पड़े?

डा0 किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय, इनकी यह बात ठीक है कि सैल्फ ऐम्पलायमेंट स्कीम के तहत जब भी इंडिविजुअल एन्टरप्रेन्योर की ऐप्लीके ांज किसी कौमि ियल बैंक को भेजी जाती है तो कई दफा ि ाकायत आती है कि ऐप्लीकैंट को बैंकों के कई कई चक्कर लगाने पड़ते हैं और लोन सैक् ान नहीं होता है। क्योंकि कई प्रकार की फौरमैलिटीज पूरी करनी पड़ती है और ऐप्लीके ांज भी बड़ी अधिक मात्रा में होती है इसलिये यह दिक्कत आती है जहां तक कोआप्रेटिव बैंक्स द्वारा कर्जे दिलवाने का

सवाल है, कोआप्रेटिव बैंक्स तो केवल कोआप्रेटिव सोसायटीज को ही लोन देते हैं किसी इंडीविजुअल को लोन नहीं देते। इसलिये इस बारे में तो कमि रियल बैंकों से ही कोई इन्तजाम करना पड़ेगा।

श्री हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने समाल स्केल इंडस्ट्रीज का जिलेवार नम्बर तो बता दिया लेकिन यह नहीं बताया कि कहां-कहां कितनी कितनी चल रही हैं और कितनी बन्द हो गई हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जहां जहां बन्द हो गई है उनके बन्द होने के क्या कारण हैं और उनको चालू करवाने के लिये सरकार क्या कर रही है?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, सारी स्टेट में इस समय टोटल 85027 स्माल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और इस बात को सारी स्टेट जानती है, सभी सदस्यगण जानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स लोग लगाते हैं हालात की वजह से उनमें से कुछ क्लोज हो जाते हैं और कुछ चलते रहते हैं लेकिन इस समय सही जानकारी देना कि कितने इस समय चल रहे हैं और कितने बन्द हो गये हैं, पोसीबल नहीं है। इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिये। यह सूचना तो प्रोपर सर्वे करवा के ही बताई जा सकती है। स्पीकर साहब, यह कंटिनुअस प्रोसैस है। हर साल नये यूनिट्स स्थापित होते हैं जिनमें से कुछ ठीक चलते हैं और कुछ ढीले भी रह जाते हैं। इस तरह का सिलसिला तो चलता ही रहता है।

श्री दुर्गादत्त अत्री: क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो नवयुवक अपना कोई काम भुरु करना चाहते हैं उनको कोई दूसरी सहूलियतें देने के लिये सरकार कोई कदम उठा रही है जिससे वे अपना कोई काम धंधा आरम्भ कर सकें?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, सरकार के पास ऐसी तीन चार स्कीमज हैं। सैल्फ ऐम्पलायमेंट स्कीम के तहत 35 हजार रुपये तक छोटा इंडस्ट्रियल यूनिट लगाया जा सकता है। यह भारत सरकार की स्कीम है। 25 हजार रुपये तक सर्विस यूनिट और 15 हजार रुपये तक विजनैस यूनिट लगाया जा सकता है और इन पर 25 परसेन्ट सब-सिडी दी जाती है। रूरल इंडस्ट्रियल स्कीम के तहत भी काफी सहूलियतें दी जाती हैं जैसे कि प्रोजैक्ट रिपोर्ट हम खुद तैयार करवा देते हैं। सीड मनी भी हम देते हैं। इंडस्ट्रियल पौलिसी के तहत हमने कुछ इन्सैटिव्ज भी दिये हैं। इसके अलावा पिछले दिनों हमारे प्रान्त में एक नई इंडस्ट्रियल पौलिसी अनाउंस की गई जिसके तहत हमने और इन्सैटिव्ज लिब्रेलाइज किए हैं। इसी के तहत हमने यह फैसला किया है कि कोई भी स्माल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट जो 1-4-88 के बाद का है उसको बैकवर्ड एरियाज में 25 परसेन्ट और नौन बैकवर्ड एरियाज में 15 परसेन्ट सब-सिडी मिलेगी। इसी तरह से इलैट्रोनिक्स इंडस्ट्रीज पर भी इन्सैटिव दिया गया है। इस प्रकार के कई प्रावधान सरकार ने नवयुवकों को उत्साहित करने के लिये किये हैं।

श्री आत्मा राम गोदारा: स्पीकर साहब, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के मामले में मार्किटिंग की सब से बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये यूनिट्स बन्द हो जाती है। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इसके बारे में गवर्नमेंट क्या करने जा रही है क्योंकि अब तक जो काम हुआ है वह सफ़ि एंट नहीं है?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि मार्किटिंग की ज्यादा दिक्कत छोटी यूनिट्स को आती है। जब चौधरी देवी लाल जी पहले 1977 में मुख्य मंत्री बने थे तो उस वक्त देहात में रहने वाले नौजवानों के लिए एक नई योजना भारू की गई थी। उसका नाम था रूरल इंडस्ट्रीज स्कीम। हमने उनको हर तरह की सहूलियतें दी थीं और साथ साथ उनकी प्रोडक्शन का मार्किटिंग अरेंजमेंट भी किया था। हमारी जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कार्पोरेट्स हैं उसके थ्रू भी मार्किटिंग का प्रावधान किया गया था। हर साल तीन चार करोड़ रुपए की इमदाद ऐसे यूनिट्स को दी जाती है। इसके साथ साथ 37 आइटम ऐसी आईडेंटिफाई की हैं जिनकी गवर्नमेंट परचेज सिर्फ रूरल इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन से की जाएगी।

श्री उदय भान: अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने मदान साहब के सवाल के जवाब में माना है कि नेनेलाइज्ड बैंक वाले लोन के लिये पेरमिशन करते हैं और कई महीनों तक चक्कर लगवाते रहते हैं, लोन सैकशन नहीं करते हैं। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि भीष्म लोन प्रदान करने के लिए क्या सरकार कोई

उपाय कर रही है और क्या हरियाणा फाइनेंशियल कार्पोरेट्स इन के जरिए लोन दिवाए जाएंगे?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, हरियाणा फाइनेंशियल कार्पोरेट्स इन को कर्ज की दरखास्त देने पर कोई आपत्ति नहीं है, हम वहां से भी कर्जा दिलाते हैं। साथ साथ जो कमर्शियल बैंक हैं उनके जरिए भी लोन दिलाया जाता है। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लैबल पर कमेटी बनी हुई है। उसकी कोआर्डिनेट्स इन पहले से ही डी०सी० करता है।

श्री दुर्गादत्त अत्री: स्पीकर साहब, जिला जीन्द, राजौंद ब्लॉक के अलावा सारा इंडस्ट्रियल बैकवर्ड घोशित किया हुआ है। मैंने लिखित अनुरोध भी किया हुआ है कि इस को भी बैकवर्ड घोशित किया जाए। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस बारे में सरकार क्या कर रही है?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, इस बारे में मैं पूरी जानकारी प्राप्त करूंगा। अगर राजौंद ब्लॉक भी सारी भातें फुलफिल करता होगा तो उसको भी बैकवर्ड घोशित कर देंगे।

श्री जय सिंह राणा: स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का अलग से डायरेक्टोरेट बनाया जाएगा?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, इसके बारे में जांच पड़ताल करवा रहे हैं। जैसे भी उचित होगा, कार्यवाही करेंगे।

श्री देवी दास: स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि हरियाणा में बैकवर्ड एरियाज कहां कहां पर हैं जहां 25% सबसिडी मिलती है। क्या सोनीपत जिले में भी कोई ऐसा इलाका है जो बैकवर्ड एरिया में आता हो?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, जो एरियाज भारत सरकार की तरफ से बैकवर्ड घोशित किए हुए हैं, उनमें रिवाड़ी ब्लॉक को छोड़ कर सारा महेन्द्रगढ़ जिला है, सारा भिवानी जिला है हिसार में बरवाला, हांसी, भूना और टोहाना हैं। जीन्द में जीन्द जुलाना और उचाना है। ये जगहें 15% सबसिडी वाली हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी 'सी' है जहां 10% सबसिडी मिलती है। इसमें सिरसा जिला है। हिसार जिले का आदमपुर, फतेहाबाद, रतिया और हांसी सैकिंड ब्लॉक और नारनौंद ब्लॉक। जीन्द जिले में सफीदों, बूला खेड़ा और कलायत। नारनौल सारा। जो स्टेट गवर्नमेंट ने बैकवर्ड घोशित किए हैं वे हैं नूंह, पुनहाना, फिरोजपुर झिरका, तावडूँ, हबीन, कालका, अम्बाला, नारायणगढ़ सब तहसील नाहड़, मेहम तथा सोनीपत जिले में गोहाना।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश में जितनी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज चददरों के ट्रंक वगैरह बनाती हैं

वे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज वाले इस वक्त अपने कोटे के हिसाब से चद्दरें नहीं उठा रहे हैं। वे चद्दरें उठाने से इन्कार करते हैं मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह मैटीरियल घटिया है या चद्दरे मंहगी हैं जिसके कारण वे लोग अपने कोटे के हिसाब से चद्दरें नहीं उठा रहे हैं?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, इस बारे में मेरे पास इस समय डिटेल्ड इन्फर्मे ान नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं इस बारे में सारी जानकारी प्राप्त करके इनको बाद में दे दूंगा।

तारांकित प्र न संख्या 728

यह प्र न नहीं पूछा गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री महा सिंह, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

तारांकित प्र न संख्या 830

यह प्र न नहीं पूछा गया क्योंकि माननीय सदस्य, सर्वश्री गुरुदयाल सिंह सैनी और हीरा नन्द आर्य, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Industrial Estate, Naraingarh

***925. Er. Jagpal Singh Chaudhri:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to declare Naraingarh as an Industrial Estate; and

(b) if so, the time by which the afore-said proposal is likely to materialize?

Industries Minister (Dr. Kirpa Ram Punia):

(a) No, Sir. There is no proposal to set up an industrial estate at Naraingarh.

(b) Question does not arise.

इ० जगपाल सिंह चौधरी: स्पीकर साहब, अम्बाला जिले में नारायणगढ़ तहसील, अम्बाला ब्लॉक और कालका इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया घोषित किए हुए हैं। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब इन इलाकों को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया घोषित किया हुआ है तो यहां पर कोई इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगाई जा रही है?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, अगर उन एरियाज के लोकल लोगों की तरफ से वहां पर इंडस्ट्रीज सैट अप करने के लिये कोई डिमांड आती तो इंडस्ट्रीज सैट अप करने का थोड़ा बहुत काम भुरू हो जाता लेकिन उन एरियाज के लोगों की तरफ से इस समय कोई खास डिमांड नहीं है। यदि वहां से कोई डिमांड आएगी तो इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे और उस बारे में विचार कर लेंगे।

श्री कांति प्रकाश भल्ला: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या कालका को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया घोषित किया जाएगा?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, कालका तो पहले ही इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर किया हुआ है।

श्री कैलाश चन्द भार्मा: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि औद्योगिक क्षेत्रों में जा भौडज बनाए हुए हैं उनको हायर परचेज पर देने का क्या क्राइटेरिया है और उद्योगपतियों को किन किन भातों पर दिए जाते हैं?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, वैसे तो भौडज किराए पर दिए जाते हैं लेकिन किराए पर देने का क्या क्राइटेरिया है यह इन्फर्मेसन इस समय मेरे पास नहीं है। इस समय भौडज किराए पर देने की बजाय प्रोप्राइटरशिप में चेंज करने का विचार किया जा रहा है जिसके तहत इंडस्ट्रियलिस्ट्स को लोन दिया जा सकेगा।

श्री उदय भान: स्पीकर साहब, मैं आपसे द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस समय कौन कौन से जिलों में कौन कौन सी जगहों को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर करने के लिये मामला विचाराधीन है औ क्या पलवल सब-डिविजन में होडल को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर किया जाएगा?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, किसी भी जगह को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया गवर्नमेंट औफ इंडिया डिक्लेयर करती है लेकिन अब गवर्नमेंट औफ इंडिया सारा स्ट्रक्चर रिवाइज कर रही है। जब गवर्नमेंट औफ इंडिया ने इस स्कीम को स्कैप किया तो 30 सितम्बर, 1988 के बाद इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरियाज में जो सबसिडी मिलती थी वह भी बन्द हो गई। लेकिन हमने गवर्नमेंट औफ इंडिया से रिक्वेस्ट की कि इस स्कीम को थोड़ा और बढ़ाया जाए। अब गवर्नमेंट औफ इंडिया वह स्कीम बन्द करके ग्रोथ सेंटर खोलने के बारे में विचार कर रही है। हर स्टेट में एक या दो ग्रोथ सेंटर खोले जाएंगे। उसके लिए गवर्नमेंट औफ इंडिया वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवैल्प करेंगे ताकि इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन मिले।

श्री कैला । चन्द भार्मा: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन औद्योगिक एरियाज में भौड्ज हैं क्या किसी इंडस्ट्रियलिस्टस को वे हायर परचेज पर दिये गए हैं, अगर दिए गए हैं तो किन किन भातों पर दिए गए हैं?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, इस समय यह इन्फर्मेशन मेरे पास नहीं है। इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।

श्री मांगे राम: स्पीकर साहब, रोहतक जिले में नाहड तहसील मेहम, रोहतक ब्लॉक और झज्जर के एरियाज को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर किया हुआ है। मैं आपके द्वारा मन्त्री

महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या बहादुरगढ़ को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर करने के बारे में विचार किया जाएगा?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, बहादुरगढ़ के एरिया में जब चौधरी मांगे राम जी जैसे नम्बरदार हैं तो उसको इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने अभी बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर करने की स्कीम बन्द कर दी है और एक नया कनसैप्शन बताया कि ग्रोथ सेंटर खोले जाएंगे। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी सदन को ऐनलाइटन करेंगे कि उन ग्रोथ सेंटर के सेलियंट फीचर्स क्या हैं?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, यह सारी स्कीम अभी विचाराधीन है और इस बारे में डिटेल्स तैयार की जा रही हैं।

इ० जगपाल सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, डिपार्टमेंट ऑफ टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग ने नारायणगढ़ में हुड्डा द्वारा कालोनी बनाने के बारे में अभी नोटिफिकेशन किया है। क्या मन्त्री महोदय वहां पर छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिये रिकमेंडेशन करेंगे?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, मैं पहले ही माननीय सदस्य को सूचित कर चुका हूँ कि ये वहाँ पर इण्डस्ट्रीज लगवाने के लिये ऐन्टरप्रिन्योर्ज तैयार कर लें। अगर वहाँ पर ये ऐन्टरप्रिन्योर्ज तैयार कर लेते हैं तो फिर चाहे हमको चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी से कहना पड़े, चाहे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से करना पड़े, हम इसका प्रबंध अव य कर देंगे लेकिन पहले ये ऐन्टरप्रिन्योर्ज को तैयार तो करें।

Development charges for New Construction

***838. Shri Tek Chand:** Will the Minister of State for Local Government be pleased to state the rate of development charges for new constructions per yard or square yard in the town and cities in the State togetherwith the criteria, if any, fixed for the said charges?

स्थानीय भासन राज्य मंत्री (श्री ए० एस० भडाना): दरें निम्नलिखित हैं:—

(1)	फरीदाबाद मिश्रित प्र भासन क्षेत्र	30 रु प्रति वर्षा गज
(2)	“ए” श्रेणी की नगरपालिकाएं	20 रु प्रति वर्षा गज
(3)	“बी” श्रेणी की नगरपालिकाएं	15 रु प्रति वर्षा गज
(4)	“सी” श्रेणी की नगरपालिकाएं	10 रु प्रति वर्षा गज

विकास दरें नियत करने का आधार आन्तरिक सुविधाएं प्रदान करने की लागत होती है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने विकास की दरों के बारे में बताया है कि हम कहीं पर 30 रुपये ले रहे हैं तो कहीं पर 10 रुपये ले रहे हैं। स्पीकर साहब यदि किसी व्यक्ति के पास 1000 गज का प्लॉट फरीदाबाद कम्पलैक्स में है तो उसे विकास चार्जिज 30 हजार रुपये देने पड़ेंगे। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि अगर उस प्लॉट का फ्रंट 25 गज का हो तो भी क्या उसे 30 हजार रुपये देने पड़ेंगे? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इस 30 हजार रुपये की ब्रेकअप क्या होगी यानी यह पैसा किस हिसाब से लिया जाता है।

श्री ए0 एस0 भडाना: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि डिवैल्पमेंट पर जो खर्चा आता है उस हिसाब से ये दरें निर्धारित की जाती हैं।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि फरीदाबाद कम्पलैक्स क्षेत्र में विकास चार्जिज 30 रुपये प्रति वर्ग गज लिए जाते हैं और दूसरी नगरपालिकाओं में कहीं पर 20 रुपये प्रति वर्ग गज, कहीं पर 15 रुपये प्रति वर्ग गज और कहीं पर 10 रुपये प्रति वर्ग गज लिये जाते हैं। आगे इन्होंने यह भी कहा कि विकास दरें नियत करने का आधार आन्तरिक सुविधाएं प्रदान करने की लागत होती है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि आन्तरिक सुविधाओं की परिभाषा क्या है और भिन्न भिन्न नगरपालिकाओं में डिवैल्पमेंट चार्जिज अलग अलग होने का आधार क्या है?

श्री ए0 एस0 भडाना: अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय डाक्टर साहब को बताना चाहूंगा कि इन चार्जिज से फरीदाबाद कम्प्लैक्स प्रॉसासन तथा नगरपालिकाओं द्वारा वहां के निवासियों के लिए निम्नलिखित आन्तरिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:-

1. सड़कों को पक्का करना और फुट पाथ तैयार करना।
2. खाली स्थानों पर घास तथा वृक्षों को लगाना।
3. गलियों में रोनी का प्रबंध करना।
4. समुचित स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना।
5. वर्षा के पानी तथा गंदे पानी के लिए सीवर तथा ड्रेन बनाना और उनको स्वच्छ करने एवं उनकी निकासी का प्रबंध करना।
6. स्कीम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के विकास के लिए अन्य कार्य, जिन्हें नगरपालिका आवश्यक समझती है।

स्थानीय निकायों को उपरोक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिये धनराशि व्यय करनी पड़ती है। इनके वास्तविक खर्चे क्षेत्र अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं और यह गणना की गई है कि यह व्यय 100 रुपये प्रति वर्ग गज से भी अधिक पड़ता है। स्थानीय निकायों द्वारा नियत की गई दरें आन्तरिक सुविधाएं जुटाने में

किए गए व्यय से भी कम हैं। इस प्रकार काफी सुविधाएं हम वहां के लोगों को प्रदान करते हैं।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: कहीं पर तो ये 30 रुपये प्रति वर्ग गज विकास दर चार्ज कर रहे हैं तो कहीं पर 10 रुपये प्रति वर्ग गज विकास दर चार्ज कर रहे हैं जबकि हर जगह पर सुविधाएं ये एक प्रकार की देते हैं। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि जब ये सुविधाएं हर जगह पर एक प्रकार की देते हैं तो फिर विकास दरों में 30 और 10 रुपये प्रति वर्ग गज के बीज में 20 रुपये का अन्तर क्यों है?

Mr. Speaker: Question Hour is over. Please take your seat.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्न
का लिखित उत्तर

Construction of Road in Ratia Constituency

***806. Shri Atma Singh Gill:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct in the following villages of Ratia constituency, district Hisar-

1. from Jakhar to Nadhil-4 km.
2. from Nakta to Khundan-2 km.
3. from Gandagaon to Veorawahi-2 km; and

(b) if so, the time by which the construction work is likely to be started?

लोक निर्माण मंत्री (श्री ओम प्रकाश भारद्वाज):

(क) इस समय इन सड़कों में से किसी सड़क के निर्माण का विचार नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) के दृष्टिगत इस कार्य के आरम्भ करने के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती।

विशेषाधिकार भंग का प्रश्न—

चण्डीगढ़ पुलिस के हैड कांस्टेबल ट्रैफिक श्री परमजीत सिंह तथा कांस्टेबल श्री सुरजीत सिंह के विरुद्ध

15.00 HRS

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of question of breach of privilege from Dr. Mangal Sein, M.L.A. against Sarvshri Paramjit Singh, Head Constable Traffic and Surjit Singh, Constable, of Chandigarh Police, regarding their alleged misbehaviour and obstructing Sarvshri Yogesh Chand Sharma and Surinder Kumar Madan, M.L.A. while they were coming to attend the Haryana Vidhan Sabha Session on 10th March, 1989. I give my consent and hold that the matter proposed to be discussed is in order and I call upon Dr. Mangal Sein, M.L.A. to rise and ask for leave to raise the question of breach of privilege.

Mr. Speaker: Has the Hon'ble Member the leave of the House to raise the question or breach of privilege?

Voice: Yes.

Mr. Speaker: The leave is granted. Shri Mangal Sein may please move the motion.

Shri Mangal Sein: Sir, I have to move-

That the matter in regard to the alleged misbehaviour and obstructing Sarvshri Yogesh Chand Sharma and Surinder Kumar Madan, M.L.As., while they were coming to attend the Haryana Vidhan Sabha Session on the 10th March, 1989, by Sarvshri Paramjit Singh, Head Constable Traffic and Surjit Singh, Constable, of Chandigarh Police be referred to the Committee of Privileges for examination and Report by the 1st sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the matter in regard to the alleged misbehaviour and obstructing Sarvshri Yogesh Chand Sharma and Surinder Kumar Madan, M.L.As., while they were coming to attend the Haryana Vidhan Sabha Session on the 10th March, 1989, by Sarvshri Paramjit Singh, Head Constable Traffic and Surjit Singh, Constable, of Chandigarh Police be referred to the Committee of Privileges for examination and Report by the 1st sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Question is-

That the matter in regard to the alleged misbehaviour and obstructing Sarvshri Yogesh Chand Sharma

and Surinder Kumar Madan, M.L.As., while they were coming to attend the Haryana Vidhan Sabha Session on the 10th March, 1989, by Sarvshri Paramjit Singh, Head Constable Traffic and Surjit Singh, Constable, of Chandigarh Police be referred to the Committee of Privileges for examination and Report by the 1st sitting of the next Session.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The matter is referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next Session.

वाक आउट

कामरेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रिविलेज मोशन था उसका क्या बना?

श्री अध्यक्ष: मैंने उसे डिस्अलाउ कर दिया है।

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, उस प्रिविलेज मोशन पर दोबारा गौर कर लिया जाए क्योंकि एक मन्त्री जी ने विधान सभा में गलत इन्फर्मेशन दी है।

Mr. Speaker: I have disallowed it.

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, यह अलाउ होना चाहिये क्योंकि मन्त्री महोदय ने हाउस को मिसलीड किया है। (विधन एवं भाोर)।

श्री अध्यक्ष: यादव साहब, आप क्यों खड़े हैं? आप कृपया बैठें। I have disallowed it.

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, मैं अर्ज करूंगा कि इस पर दोबारा गौर कर लें।

Mr. Speaker: I have disallowed it after examination from every angle. Rules do not permit its admission. You please take your seat.

कामरेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह ऐडमिट होनी चाहिए। (गौर एवं व्यवधान).....

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded.

श्री हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय,

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded. This is parliamentary democracy. You might have read Communism but you have not read the rules. You can come to my Chamber and discuss it. (Interruption). Instead of going to China and Moscow, you please study the Rules.

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, यदि यह प्रिविलेज मो गौर ऐडमिट नहीं होती तो मैं सदन से वाकआउट करता हूं।

श्री हरनाम सिंह: मैं भी वाकआउट करता हूं।

(इस समय कामरेड हरपाल सिंह, श्री हरनाम सिंह सहित कुछ बोलते हुए हाउस से बाहर चले गये)।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत खेद की बात है। असैम्बली को बने हुए दो साल हो गये हैं और कई सै।न भी हो चुके हैं। माननीय सदस्यों को इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि आनरेबल स्पीकर साहब का वरडिक्ट फाईनल होता है और उसे कोई भी चैलेन्ज नहीं कर सकता। यह बहुत ही हैरानी की बात है कि डाक्टर हरनाम सिंह जैसे संजीदा व्यक्ति आनरेबल स्पीकर साहब की रूलिंग को न मानें। संजीदगी से हर बात को लेना चाहिये। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आपकी रूलिंग के बाद जो कुछ गलत बातें यहां कही गयी हैं, उन्हें ऐक्सपंज कर दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: मैंने पहले ही उसे रिकार्ड पर न लाने के लिए कह दिया है।

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मैंने आज जूनियर इंजीनियरिंग पी0डब्ल्यू0डी0 और डाक्टर ने जो हड़ताल कर रखी है उसके बारे में एक काल-अटैं।न मो।न दिया है। यह नोटिस मैंने आज ही दिया है। दूसरे बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी हड़ताल पर जा रहे हैं। पानीपत में एक कर्मचारी ने मरणव्रत भी रखा हुआ है। कर्मचारी गवर्नमेंट के खिलाफ रैली कर रहे हैं। सरकार इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि यह क्या माजरा है?

Mr. Speaker: I have received it and it is under consideration.

श्री कैला । चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रिविलेज मो ।न एस०एच०ओ० श्री कृष्ण हुड्डा, नारनौल के बारे में दी हुई है। मैंने दोबारा से भी लिख कर दिया है और बाकायदा डौकुमेंट्स के साथ लिख कर दिया है उसके बारे में क्या पोजी ।न है?

श्री अध्यक्ष: वह गवर्नमेंट को कमेंट्स के लिए गई हुई है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी डाक्टर मंगल सैन जी ने फरमाया कि पी०डब्ल्यू०डी० (बी एण्ड आर) के जूनियर इंजीनियर्स हड़ताल पर गये हुए हैं, उसी बारे में मैंने भी एक काल-अटैं ।न मो ।न दी हुई है। उसके बारे में क्या पोजी ।न है?

श्री अध्यक्ष: आपकी काल-अटैं ।न मो ।न अभी तक मेरे पास नहीं पहुंची है जबकि डाक्टर साहब की आ गई है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रिवाइज्ड पैन् ।न के बकायों की अदायगी सिक्कोरिटी डिपोजिट में दिए जाने से व्याप्त रोश सम्बन्धी तथा उप-मुख्य मंत्री द्वारा इस सम्बन्ध में किया गया निवेदन।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of Calling Attention Motion No. 18 from Shri Mangal Sein, M.L.A. regarding resentment prevailing amongst the retired employees with regard to payment of arrears of revised pension in long term security deposits. I admit it. Now Shri Mangal Sein, M.L.A. may read his notice and the Minister concerned may make a statement thereafter.

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक अन्यन्त लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि राज्य भर में सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों में सरकार की इस नीति से बड़ा रोश व्याप्त है क्योंकि उनकी परि गोधित पैन् इन की बढ़ी हुई दरों को नकद में न देकर लम्बी अवधि के प्रतिभूति जमा (सिक्क्योरिटी डिपोजिट) दिए जाएंगे।

सेवा निवृत्त व्यक्ति प्रायः वृद्ध होते हैं तथा लंबी अवधि के प्रतिभूति पत्र (सिक्क्योरिटी बॉन्ड) दिए जाने पर वे इस मंहगाई के दिनों में कैसे गुजारा कर सकते हैं? अतः इस समुदाय में बड़ी बेचैनी व्याप्त है।

इस प्रस्ताव के माध्यम से वे सरकार से अनुरोध करते हैंकि वह अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

उप-मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्मानित सदस्य डाक्टर मंगल सैन जी ने रखा है, उसका जवाब तो मेरे पास तैयार है लेकिन सेवा निवृत्त अधिकारियों ने हाईकोर्ट में रिट-पैटी इन दायर कर

दी है। अब यह मामला सब-जुडिस है। इसके बावजूद भी यदि आप आदे । दें तो मैं जवाब पढ़ देता हूँ।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, इस बारे में अब क्या किया जाये?

श्री मंगल सैन: सर, ये तो आप पूछ रहे हैं। अब आप देख लीजिए।

Mr. Speaker: The matter is now sub-judice and it is not in the public interest to reply. Let the Hingh Court decide it. The Deputy Chief Minister need not make a statement on it.

श्री बनारसी दास गुप्ता: ठीक है जी।

वर्ष 1989-90 के बजट पर अनुदानों की माँगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब वर्ष 1989-90 के बजट की डिमांडज फार ग्रान्टस पर डिस्कान होगी।

पहली प्रैक्टिस के मुताबिक और हाउस का टाईम सेव करने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमान्डज (सं० 1 से 25) एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। आनेबल मैम्बर्ज किसी भी डिमांड पर डिस्कान कर सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हों। डिस्कान के बाद डिमान्डज हाउस को वोट के लिए पुट की जायेंगी।

That a sum not exceeding Rs. **1,17,86,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **1-Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding Rs. **32,52,45,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **2-General Administration.**

That a sum not exceeding Rs. **85,60,80,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **3-Home.**

That a sum not exceeding Rs. **15,53,23,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **4-Revenue.**

That a sum not exceeding Rs. **7,51,02,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **5-Excise and Taxation.**

That a sum not exceeding Rs. **42,78,98,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **6-Finance.**

That a sum not exceeding Rs. **84,15,12,000** for revenue expenditure and **Rs. 20,52,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **7-Other Administrative Services.**

That a sum not exceeding Rs. **45,38,12,000** for revenue expenditure and **Rs. 43,71,16,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **8-Buildings and Roads.**

That a sum not exceeding Rs. **2,71,55,25,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **9-Education.**

That a sum not exceeding Rs. **1,31,27,40,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **10-Medical and Public Health.**

That a sum not exceeding Rs. **4,93,59,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **11-Urban Development.**

That a sum not exceeding Rs. **21,32,34,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray

charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **12-Labour and Employment.**

That a sum not exceeding Rs. **1,43,73,53,000** for revenue expenditure and **Rs. 1,39,04,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **13-Social Welfare and Rehabilitation.**

That a sum not exceeding Rs. **3,85,91,000** for revenue expenditure and **Rs. 1,77,67,79,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **14-Food and Supplies.**

That a sum not exceeding Rs. **1,95,03,00,000** for revenue expenditure and **Rs. 61,62,71,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **15-Irrigation.**

That a sum not exceeding Rs. **18,86,51,000** for revenue expenditure and **Rs. 2,69,16,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **16-Industries.**

That a sum not exceeding Rs. **58,65,88,000** for revenue expenditure and **Rs. 1,48,00,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that

will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **17-Agriculture.**

That a sum not exceeding Rs. **23,08,43,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **18-Animal Husbandry.**

That a sum not exceeding Rs. **3,23,97,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **19-Fisheries.**

That a sum not exceeding Rs. **29,78,27,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **20-Forest.**

That a sum not exceeding Rs. **48,09,32,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **21-Community Development.**

That a sum not exceeding Rs. **7,41,06,000** for revenue expenditure and **Rs. 16,56,66,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **22-Cooperation.**

That a sum not exceeding Rs. **1,37,69,78,000** for revenue expenditure and **Rs. 15,41,00,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **23-Transport.**

That a sum not exceeding Rs. **1,81,00,000** for revenue expenditure and **Rs. 1,67,00,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **24-Tourism.**

That a sum not exceeding Rs. **2,42,12,03,000** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. 25-Loans and Advances by State Government.

श्री भाग मल (सढौरा-अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, यह जो डिमांड्ज हमारे सामने आयी हैं, मैं इनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारे हाउस ने हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद किया है क्योंकि उन्होंने ऐसा बजट लाया है कि उसमें नुक्ता-चीनी की गुंजाइश ही नहीं है। मैं भी उनको धन्यवाद देने वालों में शामिल हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने हल्के की कुछेक जरूरी बातें यहां पर जरूर उठाना चाहूंगा। आपको पता है कि मेरा हल्का हिमाचल प्रदेश के साथ लगता हुआ पहाड़ी इलाका है। बड़ा डिफिकल्ट टैरेन है। 7 नदियां उसमें से निकलती हैं। मेरी कांस्टिचुएंसि में

बहुत ज्यादा गांव हैं। वहां पर 253 गांव हैं। उन गांवों को आपस में जोड़ने के लिये सड़कें भी उतनी ही चाहियें। सड़कों के साथ ही वहां पर पुलों की भी जरूरत है। वहां पर मारकंडा नदी, सोम नदी, सरस्वती नदी, सढौरा की बड़ी नदी और चुटंग नदी आदि आती हैं। यह सारी नदियां वहां से गुजरती हैं। सढौराके पास एक बड़ी नदी है। 25-30 गांव उसके एक तरफ है। वहां पर पुल न बनने की वजह से वह गांव कट-औफ रहते हैं। वहां का एक पुल मंजूर हुआ पड़ा है। माननीय गुप्ता जी वहां पर गये थे। मैं इनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि सढौरा के उस पुल को बनाने के लिये कोई बहुत ज्यादा बजट भी नहीं चाहिये। अगर वह पुल नहीं बनेगा तो वहां के इधर-उधर के गांव आपस में कट-औफ रहेंगे जिसकी वजह से उनकी उन्नति नहीं हो सकेगी। वहां पर इस पुल के न होने की वजह से सारे साल में केवल दो महीने ही बस चलती है। बारिश आती है तो बस रुक जाती है। जब गर्मी पड़ती है तो रेत फूल जाती है इसलिये मैं इस हाउस के माध्यम से मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वह कृपा करके उस पुल को जरूर बनायें। वह हमारे उन गांवों के लोगों के लिये लाइफ लाईन है। ऐसे ही हमारे पास मारकंडा नदी है। मारकंडा नदी ने वहां पर बड़ा भारी कटाव किया था। उसके ऊपर भी एक पुल बनाने की जरूरत है। अगर वह पुल बन जाता है तो हमारी हजारों एकड़ जमीन बच सकती है जो इस वक्त नदी नालों में पड़ी है और वह फिर का त हो सकती है। उसमें बहुत अच्छी प्रोड्यूस हो सकती है क्योंकि वहां पर पानी का बड़ा अच्छा

इन्तजाम है। तो मैं यह प्रार्थना करूंगा कि मारकंडा नदी पर पहाड़ी पुल के पास एक पुल बनाया जाये जहां पर बड़ा भारी कटाव होता है। उस कटाव को बचाने के लिये अब की बार भी लाखों रुपये खर्च करने पड़े हैं। इसलिये मेरा कहना यह है कि वहां पर भी एक पुल बनना चाहिये और यह पुल बनना बहुत जरूरी है। एक तो क्लवर्ट टाईप छोटा सा पुल है, वह हमारे यहां पृथ्वीपुर रोड से 12-13 किलोमीटर की सड़क है जो अली ेरपुर माजरी तक जाती है, उसके ऊपर वह बनना है। इसके न होने की वजह से उस एरिया में बस नहीं चल सकती। अगर वह पुल बन जाये तो उस एरिया में बस सर्विस हो सकती है। काटरवाली के नजदीक भी, मैं यह प्रार्थना करूंगा कि एक पुल बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे ही थोड़ी सी एक और प्रार्थना करूंगा कि हमारे रणजीतपुर से सढौरा आने जाने के लिये बिलासपुर से आना पड़ता है। अगर बीच में कोटला से बिजौली तक एक-सवा किलोमीटर का टुकड़ा बन जाये तो वहां के लोगों को इससे आसानी हो सकती है। जिस पुल के बारे में मैंने प्रार्थना की है उसमें सढौरा नदी के ऊपर भी यदि पुल बना दिया जाये तो उससे सीधा रास्ता बनने से बस वहां पर चल सकती है। कम से कम 25 किलोमीटर का फासला ऐसा करने से तय करना बच जायेगा। रणजीतपुर की तरफ लोगों को आने जाने के लिये एक और महे वरी से पिंजारा तक पौना किलोमीटर का टुकड़ा है, वह भी बना दिया जाये तो इससे आसानी होगी। यह टुकड़ा न बनने की वजह से हमारे लोगों को मुस्तफाबाद अगर आना पड़े तो रणजीतपुर से या फिर

बिलासपुर से जगाधरी आना पड़ता है। यह जो छोटा सा टुकड़ा है, अगर इसको बना दिया जाये तो वहां से डायरैक्ट ऐप्रोच हो जायेगी और बस-सर्विस भी चल सकती है। इससे लोगों को कम से कम 30 किलोमीटर का डिस्टेंस आजकल ज्यादा तय करना पड़ता है। वह कम हो जायेगा। पिंजौरा से महे वरी तक और कोटला से बिजौली तक यह दो सड़कें बनाना तो बहुत जरूरी है। मैं यही डिमांड करना चाहता हूँ कि इन सड़कों पर कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं है। वैसे भी हमारी यह सरकार बड़ी दयालु है। चौधरी देवी लाल जी वहां पर भी आये थे। इन्होंने भी यह कहा था कि यहां पर सड़कें बनायेंगे। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूँ कि मेरी यह रिक्वेस्ट मानी जाये।

स्पीकर साहब, मैं डिमांड नम्बर 9 पर जो ऐजुके ान के बारे में है, कहना चाहता हूँ। मेरे हल्के में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहा हाई स्कूल और मिडल स्कूल बहुत थोड़े हैं। बहुत से बच्चों को बीस पच्चीस किलोमीटर का रास्ता तय करके स्कूल जाना पड़ता है। हमारा इलाका ऐसा है जहां अगर बच्चे प्राइमरी के बाद आगे पढ़ना चाहें तो उनको काफी दिक्कत आती है और बहुत से बच्चे प्राइमरी के बाद पढ़ नहीं पाते। अगर हमारे इलाके में बच्चों की ऐजुके ान का भी अच्छा प्रबन्ध न हो तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे यहां चार ऐसे गांव हैं जहां मिडल स्कूल हैं उनको अपग्रेड किया जाना चाहिए। वे गांव हैं मारवाकलां, मछरौली, नगला राजपुताना और पंजलासा। स्पीकर साहब, चार गांव ऐसे हैं

जहां प्राइमरी स्कूल हैं इनको मिडल स्कूल बनाया जाए। ये गांव हैं अजीजपुर कलां, सादीकपुर, मारवाखुर्द और जोली। यहां लड़कियों और लड़कों के प्राइमरी स्कूल हैं और यहां के बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जा सकते। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इनको अब य ही मिडल स्कूल बना दिया जाए। जो पहले चार गांव हैं वहां मिडल स्कूल हैं उनको हाई स्कूल बना दिया जाए क्योंकि बच्चों को और विशेषकर लड़कियों को बाहर जाने में काफी दिक्कत आती है।

स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नम्बर 20 के बारे में, जो फौरस्ट्स से सम्बन्धित है, कहना चाहता हूं। वहां पर फौरेस्ट्री होती है। किसान अपने पौधे उगाता है। लेकिन जब किसान को जरूरत होती है तो वह अपनी मर्जी से पेड़ नहीं काट सकता और जंगलात वालों से इजाजत लेने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उनका रवैया ऐसा है कि लोग पेराण हो जाते हैं। जंगलात वालों का रवैया ऐसा है कि लोगों को चार-चार चक्कर काटने पड़ते हैं और फिर भी इजाजत नहीं मिलती कि वे अपने पेड़ काट सकें। जबकि उनकी हालत यह है कि अपनी मर्जी से हजारों पेड़ काट डालते हैं और उनको बेच देते हैं। पता नहीं उसका कोई अकाउन्ट भी होता है या नहीं। वे कैसे पेड़ काट डालते हैं इसका कुछ पता नहीं। जो बड़े-बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं वह सब कुछ सैक्टन चार के तहत हो रहा है। मैं हाउस से अपील करूंगा कि सैक्टन 4 को खत्म कर दिया जाए। मेरे इलाके

में किसान के पास जमीन थोड़ी है और लोग पेड़ उगा कर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन उनको उगाने नहीं दिया जाता है और अगर कोई उगाता है तो उसको काटने नहीं दिया जाता और पेड़ गान किया जाता है। लोगों को इसका बहुत बड़ा दुःख है। मेरी सदन से फिर प्रार्थना है कि दफा 4 हटाई जाए। इससे जंगलात वालों को भी फायदा होगा। अगर सैकड़ों 4 खत्म हो जाएगा तो उन पर यह इल्जाम नहीं लग पाएगा। सरकार के खजाने में भी ज्यादा पैसा आएगा और लोगों को भी मुआवजा ज्यादा मिल सकेगा। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

उपाध्यक्ष महोदय अब मैं डिमाण्ड नम्बर 11 जो अर्बन डिवैलपमेंट की है, पर बोलना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, सढौरा कस्बा ऐसा है जहां सब से पहले म्यूनिसिपल कमेटी बनी थी। इससे पहले केवल लाहौर में बनी थी और उसके बाद यहां बनी थी। यह बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। यह जगह वीर बन्दा बैरागी और गुरु गोबिन्द सिंह से सम्बन्धित है। यहां के लोग मुसलमान होते हुए भी गुरु गोबिन्द सिंह के साथ मिलकर लड़ते रहे थे। यहां पर पीर बुद्ध भाह का गुरुद्वारा है। यहां पर गुरु गोबिन्द सिंह फाउंडे 11 ने एक लाख रुपया इन्स्टिट्यू 11 बनाने के लिए दिया है। मुझे पता लगा है वह दो लाख रुपया भी देने के लिए तैयार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक जैन्टलमैन मिले और उन्होंने कहा कि अगर यहां पर कोई इन्स्टिट्यू 11 बनाएंगे तो मैं एक लाख रुपया दूंगा। मेरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर से प्रार्थना है कि

सढौरा में पीर बुद्ध भाह आई0टी0आई बनाई जाए। अगर गुरु गोबिन्द सिंह फाउंडे इन पैसा देने को तैयार है तो उस इंस्टिच्यू इन का नाम पीर बुद्ध भाह रखना पड़ेगा। मेरी प्रार्थना है कि यह इंस्टिच्यू इन वहां पर बना दिया जाए। इसके लिए सरकार भी अपनी तरफ से कुछ कोर्िा कर सकती है और अपने खजाने से पैसा दे सकती है।

इसके बाद मैं स्कूलों के अपग्रेडे इन के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। सढौरा में एक राजकीय हाई स्कूल खोला जाए। वहां पर इस समय केवल एक सरकारी मिडल स्कूल है। वहां पर प्राईवेट हाई स्कूल लड़कियों का और एक लड़कों का है। परन्तु बैकवर्ड क्लासिज के लोग अपने बच्चों को इन स्कूलों में नहीं भेज सकते हैं। इसलिए मेरी यह बड़ी जोरदोर मांग है कि मेरे इस कस्बे में एक सरकारी हाई स्कूल की भीघ्र ही स्थापना की जाए। कालेज तो वहां पर है पर मेरी सरकार से पुरजोर अपील है कि सरकार मेरे इस सुझाव पर अब य विचार करके भीघ्र ही एक राजकीय हाई स्कूल वहां पर खोले ताकि बैकवर्ड क्लासिज के लोग अपने बच्चों को अच्छी ििक्षा दिलवा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर बड़े लम्बे अर्से से म्यूनिसिपल इलैक् इन नहीं हुए हैं लेकिन इस समय वहां का माहौल ठीक है। कोई स्टे का केस था अब वह स्टे भी खत्म हो चुकी है। इसलिए वहां की म्यूनिसिपल कमेटी का इलैक् इन जल्दी

ही करवाया जाए ताकि वहां का सारा इंतजाम पब्लिक के नुमाइंदों के हाथों में सौंपा जा सके।

हस्पतालों का प्रबन्ध भी मेरे इलाके में बेहतर नहीं है। वहां पर हस्पताल की बिल्डिंग 1978 में बनी थी अब वह बिल्कुल क्रैक हो चुकी है। उस बिल्डिंग की ओर खास तवज्जह दी जानी चाहिये। वहां पर 30 बैड्ज का हस्पताल बनना जरूरी है। इससे बहुत लम्बा इलाका कवर हो जाएगा। वैसे वहां पर पी0एच0सी0 है, डाक्टरज भी कई हैं लेकिन वहां पर मरीजों को दाखिल करने के लिए जगह का बहुत कम प्रावधान है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और भीघ्र ही चिकित्सालय का प्रबन्ध किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक मांग नयी सब्जी मण्डी के लिये भी है। अभी तक वह मण्डी बनी नहीं है। इसके लिए लोगों ने बूथ वगैरह भी खरीदे हुए हैं लेकिन सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। बाजार के पास ही एक पुरानी सब्जी मण्डी लगती है। वहां पर ही सब्जी वगैरह आ जाती है। इस नई मण्डी के न बनने के कारण लोगों को काफी परे ानी का सामना करना पड़ता है। लोगों से इसके लिए पैसा भी ले लिया गया है लेकिन नयी मण्डी की डिवैल्पमेंट नहीं हुई है। डी0ए0वी0 स्कूल के पास जगह है। मेरी प्रार्थना है कि उसको मण्डी के लिये डिवैल्प किया जाये और लोगों को वहां पर बूथ दिये जाएं।

अब मैं सढौरा सब-तहसील को अपग्रेड करने के बारे में अपनी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इसको अपग्रेड करके बिलासपुर सब-तहसील को उसके अन्दर रखा जाए। साथ ही मेरी यह प्रार्थना है कि जगाधरी को जिला बनाया जाए और सढौरा को अपग्रेड करके उसके साथ मिलाया जाए। ताकि लोगों को जो आने जाने की दिक्कतें हैं वह दूर हो सकें और लोग अपने काम काज को आसानी से निपटा सकें। इसी तरह से नारायणगढ़ सब-डिविजन है लेकिन वहां पर कोई जूडिियल कोर्ट नहीं है जिसकी वजह से लोगों को अम्बाला आना जाना पड़ता है। अगर सढौरा को जगाधरी से जोड़ देंगे तो लोगों को घर बैठे ही इन्साफ मिलेगा और लोगों को सरकारी कामों के लिये अम्बाला नहीं जाना पड़ेगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नम्बर 15 जो कि एग्रीक्लचर से सम्बन्धित है, पर कुछ कहूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, वहां लोगों के पास जमीन बहुत थोड़ी है। वहां जमीन या तो गड्ढों में है या ऊंची नीची जगह है और समतल नहीं है या फिर जमीन नदियों में है। भाई जगपाल जी ने बोलते हुए सरकार की एक प्रोपोजल के बारे में जिकर किया था कि इस इलाके में एक नहर निकालने की प्रोपोजल है। अगर सरकार की ऐसी कोई प्रोपोजल है तो मैं। इसके लिये अपनी सरकार की पौलिसी का वैलकम करता हूं। इससे लोगों का काफी फायदा होगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, छोटी-छोटी नदी-नालों का बहाव राकने के लिये सरकार की ओर से छोटे छोटे बांधों को बनवाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। इससे फ्लड के पानी को रोका जा सकेगा और उस पानी का सदुपयोग भी किया जा सकेगा। इन बांधों के बनाने से नदी-नालों का जो बहाव है, वह कम होगा। वह जो पानी है वह का त के काबिल हो सकेगा। वह पानी प ़ुओं के पीने के भी काम आयेगा। किसान भाइयों को इससे काफी लाभ होगा। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में एम0आई0टी0सी0 के जो ट्यूबवैल्ज लगे हुए हैं, वे कामयाब नहीं हैं। लगभग 15 मोटरे खराब हो गयी हैं और वे रिपेयर के लिए करनाल भेज दी गयी हैं। ट्यूबवैल्ज के न चलने के कारण से किसानों की हजारों की फसलें नष्ट हो गई हैं जोकि अभी पक ही रही थीं। इसलिये सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। डिप्टी स्पीकर साहब, यह भी पता चला है कि उप मोटरों को ठीक करने के लिए वायर नहीं है। मैंने चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी से भी अलग से प्रार्थना की थी पता नहीं क्या ऐकान हुआ है। मैं सरकार से यह भी अपील करूंगा कि जल्द ऐकान लेकर सढौरा की 15 मोटरें भीघ्र वापस भेजी जाएं। इसी तरह से नारायणगढ एरिया की मोटरें भी वहां पर पडी हैं, उनको भी जल्द मंगवाया जाए ताकि लोगों की फसलें सूखने से बच सकें। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी बहुत सारी जमीन अभी तक भी नाजायज कब्जे में है। चौधरी देवी लाल जी चाहते हैं कि सरप्लस जमीन का सही बंटवारा हो। जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन मिले।

इस बारे में हमारे रैवेन्यू मिनिस्टर भी पूरी ऐफर्ट कर रहे हैं जिसको मैं ऐप्रींशिएट करता हूँ। मैं प्रार्थना करूंगा कि बहुत सारी नजूल लैंड या घटिया लैंड थी जो सरदार प्रताप सिंह करों के टाइम में दी गई थी, उस जमीन के कुछ लोगों ने पैसे जमा करवा दिए थे और कुछ इनफ्लूएंसियल लोगों ने हरिजनों से जमीन निकलवा कर अपने कब्जे में ले ली। मैं प्रार्थना करूंगा कि जहां इस किस्म के कब्जे हैं, वह जमीन उनसे निकलवाई जाए। उन लोगों के केस सिविल कोर्ट्स में चल रहे हैं। वैसे तो इस किस्म की पोजीशन सारे हरियाणा में हो सकती है लेकिन अम्बाला जिला में बहुत सारे केसिज हैं। मैं चाहता हूँ कि इन केसिज की छान बीन हो। कई लोग ऐसे हैं जो 20-30 साल तक जमीन का तकरा कर चुके हैं और गिरदावरी भी उनके नाम है लेकिन नाजायज तौर पर या किसी टर्म एंड कंडीशन का बहाना बना कर उनसे वह जमीन छीनी जा रही है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी जमीन को न छीना जाए। इसी तरह से सरप्लस जमीन भी नाजायज कब्जे में हैं। इस वक्त क्या होता है कि सरकार सरप्लस जमीन लोगों को अलौट कर देती है और लोग उसके पैसे भी दे रहे हैं। लेकिन जो उसके मालिक थे उन्होंने केस कोर्ट में कर रखा है और अलौटीज को उसका कब्जा नहीं मिलता। ऐसा होने पर उस जमीन का फायदा पुराने मालिक ही उठाते हैं और अलौटीज को फायदा नहीं मिलता। अलौटी हैरास होता है। मेरा सुझाव है कि सरप्लस जमीन को पहले सरकार अपने कब्जे में ले, उसका इन्तकाल अपने नाम करवाए उसके बाद उसे अलौटी को दे। अगर कोई झगड़ा हो

तो उसे गवर्नमेंट लड़े न कि अलौटी। जिनको यह जमीन अलौट की जाती है वे तो पहले ही गरीब हैं। इसी वजह से आप उनको जमीन देना चाहते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता इसलिए वे कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते। आप उनकी माली हालत ठीक करने के लिए जमीन देते हैं लेकिन आज की हालत में उनकी हालत और डाउन हो जाती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस पर सीरियसली गौर किया जाए और लोगों को मुसीबत से बचाया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अब ज्यादा न बोलते हुए इन डिमांडज का समर्थन करता हूँ और उप मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा बजट पे किया है। सारे हरियाणा में इसकी वाह-वाह है। चाहे सैलरीड पीपल हैं या दूसरे हैं, सभी ने इसको एप्रीशिएट किया है। धन्यवाद।

इं० जगपाल सिंह चौधरी (नारायणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1989-90 के बजट की डिमांडज का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं डिमांड नं० 2 के बारे में बोलना चाहता हूँ। इसमें ऐडिमिनिस्ट्रेटिव का काफी खर्चा बच सकता है और जैसे डा० बृज मोहन जी ने कहा था टैक्नोक्रेट और डाक्टर्स के जो ग्रीवेंसिज हैं, वे दूर हो सकते हैं। वर्ष 1958 में चीफ इंजीनियर, इरीगेटिव और चीफ इंजीनियर (बी० एंड आर०) तथा चीफ इंजीनियर (इलैक्ट्रिसिटी) सैक्रेटरी टू गवर्नमेंट हुआ करते थे लेकिन अब जब डेज आफ स्पैशियल गेलाइजेटिव आ रहे हैं तो हैडज ऑफ डिपार्टमेंट

का सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होने वाला सिलसिला टूट चुका है। अगर पहले वाला तरीका रखा जाए तो बचत हो सकती है और सभी टैक्नोक्रेट्स और मैडिकल ग्रेजुएट्स में आज जो रोश है वह दूर हो सकता है। इसी तरीके से कई और सेक्रेटरी लैवल के अधिकारी और हैडज ऑफ डिपार्टमेंट भी जो हैं वे उस महकमे से संबंधित टैक्नोक्रेट नहीं है। ऐजूके इन डिपार्टमेंट में डी०पी०आई० नौन टैक्नोक्रेट लगाए हुए हैं। इसी तरह से ऐग्रीकल्चर में और दूसरे महकमों में भी नौन टैक्नोक्रेट्स लगा रखे हैं। इसी तरह से इंजीनियर्स भी दूसरी जगहों पर लगाए हुए हैं जिसके कारण उनके काफी रोश है। उनके अन्दर अन्दरूनी तौर पर बहुत ज्यादा रोश है। इसका उदाहरण हमारे सामने है। उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के इंजीनियर्स ने ओपनली हड़ताल करनी शुरू कर दी है। वर्ष 1958 से लेकर अब तक उनके साथ अन्याय हुआ है और हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा भी देखने में आया है कि मैंने विधान सभा में जो इंजीनियर जगपाल सिंह चौधरी लिख कर अपना क्वैचन भेजा था उसमें मेरे नाम के साथ इंजीनियर लिखने की बजाय श्री जगपाल सिंह चौधरी लिख दिया। इसी तरह से जो डाक्टर हैं उनको डाक्टर नहीं लिखा जाता। मेरा निवेदन है कि जो आदमी डाक्टर हैं उनके नाम के साथ डाक्टर लिखना चाहिये और जो आदमी इंजीनियर है, उसके नाम के साथ इंजीनियर लिखा जाना चाहिये क्योंकि यह उनकी इज्जत का सवाल है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जब मंत्री जी किसी जगह पर जाते हैं तो उस

एरिया के लोकल औफिसर्ज भी उनके पास नहीं आते हैं। जैसे मेरे एरिया में एक मंत्री जी गए थे तो उस समय मैं भी वहां पर था लेकिन वहां के लोकल औफिसर्ज नहीं आए। चलो यह तो कोई बात नहीं कि डिस्ट्रिक्ट लैवल के औफिसर आएंगे या न आएंगे लेकिन वहां के लोकल औफिसर्ज तो वहां पर आने चाहिए थे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब किसी जगह पर मिनिस्टर साहब जाते हैं तो वहां पर बी०डी०पी०ओ०, एस०डी०ओ० (सिविल) और एस०डी०ओ० (पब्लिक हेल्थ) यानी छोटे छोटे महकमों के औफिसर्ज तो वहां पर आने चाहिए। जब मेरे हल्के में पुनिया साहब और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब गए तो उस समय कोई भी एस०डी०एम० लैवल का आफिसर नहीं आया। उस समय यदि कोई पब्लिक का आदमी कम्प्लेंट करना चाहे या कोई दरखास्त देना चाहे, वह ज्यादातर भरोसा पोलिटिकल आदमी पर यानी मिनिस्टर या एम०एल०ए० पर रखते हुए उसे उसको देता है और वह कंसन्ड औफिसर को दे देता है। इस तरह से लोगों की छोटी छोटी समस्याएं मौके पर ही दूर हो जाती हैं। यदि सरकार की तरफ से ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं कि उस समय वहां पर कोई औफिसर नहीं आएगा तो वे खत्म होनी चाहियें ताकि जनता को कोई तकलीफ न हो। मैं डाक्टर बृज मोहन गुप्ता जी की बात का समर्थन करता हूँ कि टैक्नोक्रेट्स की जरूर इज्जत रखी जाए और उनके नाम के साथ जो वे लिखते हैं वही लिखा जाए।

इसके बाद स्पीकर साहब, मैं डिमांड नं० 5 के बारे में अपने विचार रखना चाहूंगा। यह डिमांड ऐक्साइज एंड टैक्स ऐन की है। ऐक्साइज का काफी बजट है। जब हरियाणा बना उस समय ऐक्साइज से सरकार को तीन करोड़ रुपए की आमदनी थी लेकिन अब वह आमदनी बढ़कर 200 करोड़ रुपए हो गई है। इसके साथ साथ मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि टोटली प्रोहिबि ऐन होनी चाहिए। टोटली प्रोहिबि ऐन होने की बजाय भाराब ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसलिए मेरी रिक्वैस्ट है कि मेरे हल्के नारायणगढ़, सढौरा और दूसरी जगहों पर भाराब के ठेके न खोले जाएं क्योंकि मेरे हल्के के लोग बहुत गरीब हैं। भाराब के ठेके उन्हीं जगहों पर खोले जाएं जिन जगहों के लोग भाराब पीने वाले हों और पैसा खर्च करने की भावित रखते हों।

श्री उपाध्यक्ष: क्या आपने किसी गांव की पंचायत की और से सरकार के पास प्रस्ताव भिजवाया है?

इं० जगपाल सिंह चौधरी (नारायणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव भी भिजवाया था और वह ठेका कैंसिल भी हो गया। वह ठेका गढ़ी गुढाया गांव का था वह कैंसिल हो गया। मेरे पास उस गांव के लगभग 500 आदमी आए थे और औरतें भी आई थी कि उस गांव में भाराब का ठेका न खोला जाए। वह प्रस्ताव मैंने सरकार के पास भेजा और सरकार मान गई। उस ठेके को कैंसिल कर दिया। सरकार से मेरा निवेदन है कि जिन

एरियाज के लोग भाराब पीते हैं और पैसा खर्च करने की भावित रखते हैं उन्हीं एरियाज में भाराब के ठेके खोले जाएं और जिन एरियाज के लोग गरीबा हैं, वहां पर न खोले जाएं।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नम्बर 8 के बारे में अपने विचार रखना चाहूंगा जोकि पी0डब्ल्यू0डी0 से संबंधित है। मेरे हल्के में राजडज बनाने का काम काफी धीमी गति से हो रहा है। मेरे हल्के में एक मसूलपुर गांव है वहां पर सब माउंटेनियस एरिया है। वहां पर गांव समलोटा में एक प्राचीन दुर्गा का मंदिर है। वहां पर केवल 7 किलोमीटर का सड़क का टुकड़ा बनना है। यदि वह बना दिया जाए तो वह मंदिर वैशणो देवी की तरह बन जाएगा। वहां पर उस मंदिर में जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता बना है जिससे उस मंदिर में एक लाख लोग जाने भुरु हो गए हैं। वह हिस्टोरिकल टैम्पल है। इसलिए सरकार उस तरफ ध्यान दे करके उस सड़क को बनवाए ताकि लोगों को आने-जाने में दिक्कत न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 11 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा जो अर्बन डिवैल्पमेंट के बारे में है। नारायणगढ़ में हुड्डा ने कालोनी बनाने के लिए जमीन ऐक्वायर की है और उस जमीन की ऐक्वायर करने के लिए सैक्शन 4 का नोटिफिकेशन भी हो गया है लेकिन वहां पर कुछ डिवैल्पड कालोनीज हैं जहां पर मकान बन चुके हैं उनको भी ऐक्वायर करने के लिए सैक्शन 4 का नोटिफिकेशन हो गया है जिसके

कारण वहां पर लोगों में बड़ा रोश है। वहां पर ए क्लास मकान बने हुए हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जहां पर कलस्टर ऑफ हाउसिज हैं और ए क्लास मकान हैं, उनको छोड़ा जाए ताकि वहां पर पब्लिक का रोश कम हो।

उपाध्यक्ष महोदय, नारायणगढ़ में कोई फायर ब्रिगेड का औफिस भी नहीं है, इसलिए वहां पर फायर ब्रिगेड का औफिस अव य खोला जाये। अगर नारायणगढ़ में फायर ब्रिगेड का औफिस खोल दिया जाता है तो इससे नारायणगढ़, रायपुर रानी और सढौरा आदि मिला कर 5-6 कस्बे कवर हो सकते हैं और होने वाली किसी दुर्घटना पर काबू पाने में आसानी हो सकती है। इसलिए मेरी मांग है कि नारायणगढ़ में फायर ब्रिगेड का औफिस अव य खोला जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग नम्बर 15 पर अपने विचार रखना चाहूंगा। हथनीकुण्ड बैराज के लिए सरकार ने इस बजट में केवल 3 करोड़ रुपये रखे हैं। यह राशि इस साल के बजट में काफी कम है। इस समय ताजेवाला का जो हैडवर्क्स है वह 100 साल पूरे कर चुका है। 100 साल की अवधि में कोई भी ऐसा बांध या पुल अनसेफ हो जाता है। अब यह हैड भी अनसेफ हो गया है। यदि जल्दी से हथनीकुण्ड बैराज नहीं बनाया गया तो उस एरिया का इस समय जो इरीगे टन सिस्टम है वह कभी भी खराब हो सकता है क्योंकि ताजेवाला हैडवर्क्स तो पहले ही अनसेफ हो चुका है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि

हथनीकुण्ड बैराज के लिए आने वाले साल के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दें ताकि उस एरिया में इरीगे न का सिस्टम ठीक रहे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में जो एम0 आई0 टी0 सी0 के ट्यूबवैल्ज लगे हुए हैं, उनकी करीब 8 महीने से बिजली नहीं मिल रही जिसके कारण वहां के लोगों को काफी पेर ानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे एरिया में एम0 आई0 टी0 सी0 के ट्यूबवैल्ज के अलावा इरीगे न के साधन न होने के बराबर हैं। वहां पर नहर का सिस्टम भी न होने के बराबर है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर कोई इंतजाम करके एम0 आई0 टी0 सी0 के ट्यूबवैल्ज को अधिक से अधिक बिजली दें ताकि वे लोग एम0 आई0 टी0 सी0 के ट्यूबवैल्ज का फायदा उठा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग संख्या 16 पर बोलना चाहता हूं। नारायणगढ़ तहसील को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिकलेयर किया हुआ है लेकिन फिरा भी वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि नारायणगढ़ में एच0 एस0 आई0 डी0 सी0 के द्वारा एक सीमेन्ट फ़ैक्टरी लगाई जानी है। मेरी सरकार से मांग है कि अगर वहां पर कोई दूसरी इंडस्ट्रीज नहीं लगाई जा रही हैं तो कम से कम वहां पर यह सीमेन्ट फ़ैक्टरी और एक भूगर मिल अव य लगा दी जाये ताकि वहां के लोगों को भी कुछ रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग संख्या 17 पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, ऐग्रीकल्चर के तहत स्वायल कन्जर्वे इन के लिए एक कंडी एरिया प्रोजैक्ट 40 करोड़ रुपये की लागत से लगाने की घोशणा मुख्यमंत्री जी ने की है जिसकी भुरुआत करने की तारीख 1-1-1990 है। मेरा सारा ही क्षेत्र बहुत ही अन-डिवैल्पड है। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इस प्रोजैक्ट की फार्मैलिटीज, जो वर्ल्ड बैंक से पूरी होनी हैं, ऐक्सपीडाइट कराई जायें ताकि यह काम निर्धारित अवधि में भुरु हो सके और खत्म हो सके। यदि समय पर सारी फार्मैलिटीज पूरी नहीं करवाई जाएंगी तो फिर इस कण्डी प्रोजैक्ट का काम निर्धारित समय पर आरम्भ होना कठिन होगा। यदि इस प्रोजैक्ट का काम निर्धारित अवधि में पूरा हो जाता है तो इससे वहां के सब-माउनटेनियस एरिया को फायदा होगा। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस कंडी प्रोजैक्ट की मुख्य मंत्री जी द्वारा घोशणा करने के बाद वहां के लोगों में काफी खुशी भी है क्योंकि यह प्रोजैक्ट वहां के लोगों के लिए काफी बड़ी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग संख्या 18 पर बोलना चाहता हूँ। धनाना गांव में अभी तक कोई पट्टा डिस्पैन्सरी नहीं है क्योंकि वहां पर पहले चौधरी लाल सिंह की वजह से एक डिस्पैन्सरी नहीं खोली जा सकी। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वहां पर एक पट्टा डिस्पैन्सरी अवश्य खोली जाये ताकि वहां के लोग भी अपना पट्टा धन अच्छी प्रकार से रख सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग संख्या 20 पर बोलना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र में सब-माउन्टेनियस गांव बहुत ज्यादा हैं। मेरे क्षेत्र में भी और साथ लगते छछरौली और कालका क्षेत्र में भी काफी गूजर बिरादरी के लोग रहते हैं। वे काफी समय पहले आकर बसे थे। इन लोगों का मुख्य धन्धा पशु पालन है। आज इन लोगों को अपने पशुओं को चराने के लिए जंगलों की काफी दिक्कत हो रही है। अब उनके जंगल में अपने पशु चराने के राईट्स भी खत्म कर दिए गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, गूजरों का मुख्य व्यवसाय पशु पालन है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि जहां पर ये लोग रह रहे हैं, वहां मोरनी हिल के आस-पास का जो जंगल है, उसको नीलाम न किया जाये और इनके पशु चराने के राईट्स समाप्त न किये जाएं। क्योंकि वहां बहुत ही थोड़ी मात्रा में घास बिकता है। पशु पालक उससे बहुत थोड़ा फायदा उठा सकते हैं। यहां की जनता की, यहां के लोगों की, यह बहुत बड़ी डिमांड है कि उस जंगल को नीलाम न किया जाए। घास से सरकार को नुकसान भी नहीं होगा।

डिमांड नम्बर 23 ट्रांसपोर्ट के बारे में है। रत्तोड़ और भाहजादपुर दो बहुत पुराने कस्बे हैं, जहां पर बस स्टैंड नहीं हैं। मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि यहां पर बस स्टैंड बनाए जाएं।

डिमांड नम्बर 24 टूरिजम के बारे में है। पिछली बार भी मैंने अनुरोध किया था कि चण्डीगढ़ से चल कर पांवटा साहिब या नाहन तक कोई भी टूरिस्ट कम्पलैक्स नहीं है। इस हाईवे पर

नारायणगढ़ में यदि टूरिस्ट कम्पलैक्स बना दिया जाए तो इससे लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। इन भावों के साथ ही मैं धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

सेठ लछमन दास बजाज (करनाल): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय वित्तमंत्री तथा उप-मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट पे 1 किया और जो आज मांगे पे 1 की गई हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स के बारे में जो एक बिल आया था वह बहुत अच्छा था। मैं इस बिल की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं यह प्रार्थना करूँगा कि दादरी के अन्दर चना सैंकड़ों नहीं हजारों एकड़ में बोया जाता है। यह सारे का सारा चना हरियाणा की मण्डी में नहीं आता बल्कि इसे व्यापारियों द्वारा जमींदारों से खरीद कर सीधे दिल्ली भेज दिया जाता है। 4% सेल्ज टैक्स और 3 प्रति 100 मार्केट फीस यानी 7 प्रति 100 के हिसाब से पैसे बचाकर दिल्ली में 50 रुपये मुनाफे पर बेचा जाता है। व्यापारी लोग जमींदार को 5, 10 या 15 रुपये देकर माल खरीद लेते हैं। इस प्रकार माल मण्डी में आता ही नहीं मिलता। और सीधे दिल्ली ट्रांसफर हो जाता है। इससे ट्रांसपोर्टर्ज को काम नहीं मिलता आढ़ती भी खाली रहते हैं और दूसरी प्रभावित जनता तथा मजदूरों को भी काम नहीं मिलता खासतौर पर दादरी के अन्दर चने की इस मार्केट की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। फसल के सारे सीजन में 100 या 50 बोरी चने मण्डी में आती है। इसलिए

सरकार इस ओर ध्यान दें। इसके साथ ही इलैक्ट्रिकल गुड्स जो 12 रुपये सैंकड़े के हिसाब से बिकती हैं उन पर 10 परसेन्ट के हिसाब से सेल्ज टैक्स लगाने से उनकी कीमत 13.20 रुपये हो जाती है। रोजाना हजारों की तादाद में डेली पैसेंजर्ज दिल्ली से 5 प्रति टन सेल्ज टैक्स देकर माल ले आते हैं और 5 प्रति टन और लगा कर उस माल को बेच देते हैं। इस प्रकार इलैक्ट्रिकल गुड्स का काफी माल डेली पैसेंजर्ज के जरिये बिक जाता है जिस कारण स्टेट को बहुत ज्यादा सेल्स टैक्स का घाटा उठाना पड़ता है। यदि इलैक्ट्रिकल गुड्स पर सेल्ज टैक्स की दर घटा दी जाए तो मैं विवास के साथ कह सकता हूँ कि स्टेट को जितना टैक्स इस समय आता है उससे कई गुणा टैक्स आएगा। आजकल जो टैक्स आता है वह केवल 10 प्रति टन या 15 प्रति टन ही आता है इससे ज्यादा नहीं आता है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कम्बल वगैरह पर जो सेल्स टैक्स लगा है, उसको समाप्त किया जाए ताकि हरियाणा में कम्बल की अच्छी इण्डस्ट्री बन सके। इस समय अच्छा कम्बल बनाने वाली कोई भी फैक्टरी हमारे यहां नहीं है। पंजाब के हालात के मददेनजर हरियाणा के अन्दर कुछ अच्छे कम्बल बनाने वाले व्यापारियों ने फैक्टरीज लगाई थी लेकिन धीरे-धीरे अब वे हरियाणा से बाहर जा रहे हैं। सारे भारत के अन्दर किसी भी जगह पर कम्बल पर टैक्स नहीं है। चण्डीगढ़ के साथ लगते पंजाब के एरिया मोहाली में सिल्वानिया की ट्यूब्स पर 4 प्रति टन सेंट्रल ड्यूटी है जब कि हरियाणा के अन्दर रोहतक में 9 प्रति टन माल बिकता है।

हरियाणा के जो व्यापारी हैं, वह मोहाली से माल डायरेक्ट खरीद कर ले जाते हैं और इस प्रकार हमारी स्टेट को टैक्स का घाटा होता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस का भी प्रबन्ध होना चाहिए जिससे हरियाणा स्टेट को अधिक लाभ हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग नम्बर 23 पर आता हूँ। यह मांग ट्रांसपोर्ट के बारे में है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में मिनी बसें चल रही हैं। मेरा निवेदन है कि करनाल में भी ये मिनि बसें चलायी जानी चाहिए। दूसरेजा बसें जी0 टी0 रोड से बाई पास हो कर जाती हैं उनके लिए एक मिनि बस स्टैण्ड बनाया जाये ताकि लोगों को फैसिलिटी हो और जो लाग बाई पास पर आकर रात को लम्बा सफर करने वाल हैं उनको वहां बैठने के लिए जगह मिल सके। वहां पर हर गाड़ी खडी भी होनी चाहिए।

मांग नम्बर 19 ऐजुके ान के बारे में है। इस मांग के बारे में मैं यही कहूंगा कि स्कूलों को अपग्रेड करने के मामले में बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां करनाल के अन्दर प्रेम नगर में मैट्रिक तक का स्कूल है। उस स्कूल में 2500 लड़के और लड़कियां हैं। वहां पर न टीचर्स की आव यकता है और न ही बिल्डिंग बनाने की जरूरत है। मेरा केवल यही निवेदन है कि लड़के और लड़कियों का अलग अलग स्कूल कर देना चाहिए। यह मेरी सब से बड़ी मांग िाक्षा के बारे में है। इसके साथ साथ मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि करनाल में गवर्नमेंट हायर सैकेण्डरी स्कूल और गवर्नमेंट कालेज की

बिल्डिंग की बहुत खराब हालत है। दोनों इंस्टिट्यूटों की लगभग आधी आधी बिल्डिंग खत्म हो चुकी हैं। इनकी मुरम्मत करायी जाये और जो बांसागेट के अन्दर स्कूल है, उसकी भी मुरम्मत करायी जाये क्योंकि वह बिल्कुल नाकारा बन चुका है। इसके अलावा जो काच्छवा के अन्दर हाई स्कूल है उसे 10+2 किया जाये। वहां पर लड़कियों का भी कोई स्कूल नहीं है। इसलिए वहां लड़कियों का स्कूल भी खोला जाये और एक खेल का मैदान भी बनाया जाये।

नम्बर 16 इन्डस्ट्रीज की है। उपाध्यक्ष महोदय, करनाल के अन्दर कोई इन्डस्ट्री नहीं है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां पर कोई बड़ी से बड़ी इन्डस्ट्री लगायी जाये ताकि वहां के मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा काम मिल सके और बेरोजगारी खत्म हो सके। उसके लिए छोटे छोटे गांवों में लग सकते हैं। गांव के अन्दर जो पुर्जे मैनुफैक्चर हों उन्हें भाम को गाड़ी ले कर आ जाये और उनकी असैम्बलिंग इस बड़ी इन्डस्ट्री में हो जाये। ऐसा करने से 15-16 गांवों के लोगों को धन्धा मिल जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड नं० 11 म्यूनिसिपल कमेटी और अर्बन डिवैल्पमेंट के बारे में है। उपाध्यक्ष महोदय, करनाल के अन्दर एक मुगल कैनल है। वास्तव में यह कैनल नहीं है, अब यह गन्दा नाला कहलाता है। यह सदियों से चला आ रहा है। उसमें अब गन्दा पानी बहता है। उस नाले के दोनों तरफ भाहर बसा हुआ है। अब वह मक्खी और मच्छरों की जगह बन चुकी है।

उसके में जब हमने सरकार से मांग की तो सी०एम० साहब ने कहा कि हमारे पास रुपया नहीं है लेकिन अब हमने प्रयत्न करके दो करोड़ रुपया लोन मंजूर करवाया है। उस नाले को बन्द करके म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से कालोनी बनाने का फैसला किया गया है। इस बारे में मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वहां पर जल्द से जल्द कालोनी बनवाने की कोशिश करें ताकि वहां से मक्खी मच्छर खत्म हो सकें।

इसके बाद में मांग नम्बर 10 जो हैल्थ के बारे में है, के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। करनाल में सिविल हस्पताल बना हुआ है। उस हस्पताल को बने हुए आज सौ साल हो चुके हैं। वह बिल्डिंग बहुत पुरानी है, अब तो वहां पर नई बिल्डिंग बननी चाहिए, अगर सरकार के पास इतना पैसा न हो तो कम से कम उसकी मरम्मत तो होनी ही चाहिए। बरसात के आने से पहले उस हस्पताल की मरम्मत करा दी जाये तो ठीक रहेगा क्योंकि बरसात के दिनों में कमरों में पानी टपकता रहता है। जो कमरे खराब हो गये हैं उनकी छतें ठीक करायी जायें। उसी हस्पताल में एक आप्रेन थियेटर पी० डब्ल्यू० डी० वालों ने नाकारा करार दे दिया है दूसरा आप्रेन थियेटर फैमिली प्लानिंग वालों का है। वह इस काबिल नहीं है कि दो-तीन आप्रेन एक दम से हो जायें। एक मरीज का आप्रेन करना हो तो दो-तीन घण्टे लग जाते हैं। इसलिए आप्रेन थियेटर न होने के कारण कई मरीज मर जाते हैं। कई मरीज आप्रेन के बिना सिसक सिसक कर मर

जाते हैं, दम तोड़ जाते हैं। क्योंकि करनाल में जी० टी० रोड पर बहुत एक्सीडेन्ट होते रहते हैं। वहां पर आप्रै इन थियेटर की कमी होने के कारण कई बार ऐसा सिलसिला हुआ है कि लोग चिल्लाते रहते हैं क्योंकि वहां पर आप्रै इन ठीक ढंग से नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि वहां पर एक आप्रै इन थियेटर बिल्कुल नया जरूर बना दें।

ऐजुके इन के मुताबिक मैं एक दो चीजें भूल गया था। वे मैं अब कह देता हूं। मेरे हल्के में एक गांव वजीदा है। उसके अन्दर प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड किया जाये। अन्त में मैं उप-मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने ऐसा अच्छा बजट बनाया है जिसके द्वारा उन्होंने हरियाणा के अन्दर किसी किस्म का कोई कर नहीं लगाया है। मैं इन को धन्यवाद देने के साथ साथ इनके कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस बजट के बनाने के अन्दर पूरी सहायता की है।

श्री हजार चन्द (सिरसा): उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट की मांग नम्बर 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 आदि के मुताल्लिक मैं आपके सामने अपने विचार रखना चाहूंगा। जहां तक मांग नम्बर 15 का ताल्लुक है, वह सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है। मैंने पिछले सै इन में भी यह बात रखी थी कि मेरे हल्के के अन्दर 8 गांव ऐसे हैं जिनको सहारन माईनर का पानी लगता है जो रोड़ी नहर से निकलती है। उसके साथ तीन गांव ऐसे हैं जो घग्गर की तरफ माईनर पर हैं। इस माईनर की भुरू से ही लाइनिंग गलत

रही है। उस गलत लाइनिंग को इरीगे इन डिपार्टमेंट का रकबा बताया गया है। उसका कब्जा तो लाइनिंग डिपार्टमेंट को दे दिया गया लेकिन उस माईनर की गलत लाइनिंग होने के कारण इरीगे इन डिपार्टमेंट तो यह कहता है कि यह जिम्मेवारी हमारी नहीं है और लाइनिंग वाले यह कहते हैं कि काम हमने नहीं किया इसलिये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। इसी बात को होते-होते 10-12 साल हो गये हैं और 10-12 गांव पानी से महरूम हो रहे हैं। हर बार जब भी कोई नेता गण वहां पर गये हैं, वह यह वायदा करके आये हैं कि उसकी लाइनिंग को ठीक करा देगें या फिर नया मोघा दिया जायेगा। मेरा कहना यह है कि अगर उसकी लाइनिंग ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी विभाग उसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, हरेक कोई अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो उन गांवों की मांग यह है कि उसके साथ ही ओटू फीडर नहर साथ साथ जाती है, उस रकबे को इस ओटू फीडर नहर से एक नया मोघा दे दिया जाये। इस मुसीबत से उनको निजात दिलायी जाये। उनकी समस्या इस तरह से हल हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ के बाद सरकार ने एक एलान किया था कि बाढ़ में जो फसलें तबाह हो गयी हैं, उनका मुआवजा तो अभी सरकार नहीं दे रही है लेकिन आबियाना मुलतवी करने का एलान जरूर किया गया है। मैं अपने मुख्य मंत्री और उप-मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जिनकी बिल्कुल ही फसल तबाह हो गयी है, जिनके मकान भी नहीं रहे हैं, जिनकी अगली फसल आशादी की अब होगी, और जिससे आढ़तियों के पूरे

कर्जे भी अदा नहीं कर पायेंगे वे आबियाना कहाँ से देंगे? अगर हम उनको मुआवजा नहीं दे पाते तो कम से कम उनका आबियाना तो माफ जरूर होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में एक गांव बरवाली ऐवल है। उस गांव को जिस माईनर का पानी लगता है वह टेल पर है। अस्सी क्यूसिक का वह माईनर है। बारह क्यूसिक पानी हरियाणा का है और अड़सठ क्यूसिक पानी पंजाब का है और यह पानी पंजाब के सब गांवों का है। उस गांव में आज तक पानी टेल पर नहीं पहुंचा। नहरी इलाका होते हुए भी वह गांव सूखा है और पानी नहीं पहुंचता। मैं उप मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि पंजाब से उस पानी की निजात दिलाकर हरियाणा की सुखचैन माईनर से या सिरसा मेजर से पानी दिलाया जाए। तभी उस गांव को पानी मिल सकेगा और लोग राहत महसूस कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग नम्बर 8 जो पी0 डब्ल्यू0 डी0 की है, के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मन्त्री महोदय ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि सिरसा में कई किलोमीटर सड़क नई बनी है। मैं कहना चाहता हूं कि सिरसा में एक किलोमीटर सड़क भी नहीं बनी। बल्कि एक सड़क जिस पर एक किलोमीटर या सवा किलोमीटर पर अर्थ वर्क हो चुका है, उसको भी आगे बनाने की कोशिश नहीं की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 9 जो ऐजूके 11 से ताल्लुक रखती है, के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में शिक्षा मन्त्री महोदय ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अन्दर सात स्कूल अपग्रेड किए हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इन सात स्कूलों में से एक भी स्कूल मेरे हल्के के अन्दर अपग्रेड नहीं हुआ है। मैं एक बात उप-मुख्य मंत्री महोदय के नोर्स में लाना चाहता हूँ। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि पच्चीस, पचास और सौ स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह गिनती तो बहुत मामूली है। अगर पच्चीस स्कूल अपग्रेड करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि एक जिले में दो स्कूल अपग्रेड होंगे जोकि बहुत थोड़े हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कुछ ऐसा इन्तजाम किया जाए कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहिए जिससे कि हरेक कांस्टिचुएँसी में हर तरह के स्कूल का अपग्रेडे 11 हो सके और लड़कियों के स्कूलों को अपग्रेड करने की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 11 जो नगरों के विकास के बारे में है, पर बोलना चाहता हूँ। इस बारे में मैं यह गुजारि 11 करना चाहता हूँ कि इस वक्त नगरपालिकाओं की हालत काबिले रहम है। कोई भी ऐसी नगरपालिका नहीं है जो अपने बलबूते पर या अपनी आमदनी के वसीले पर किसी कस्बे या भाहर का विकास कर सके। मेरी प्रार्थना है कि नगरपालिकाओं के लिए

कोई खास फण्ड मखसूस किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल में मार्किटिंग बोर्ड की तरफ से कोई फण्ड दे दिया जाना चाहिए। आज सिरसा की यह हालत है कि वहां पर सड़के ठीक नहीं हैं, नालियों का ठीक इन्तजाम नहीं है और सफाई का ठीक इन्तजाम नहीं है। इसका कारण यह है कि उनके पास फण्ड नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ओर बात की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब से इलैक्शन हुए है। तब से ऐडमिनिस्ट्रेटर और नगरपालिका के चुने हुए मैम्बरज के बीच लगातार तनाव चल रहा है। तनाव का कारण यह है कि जो ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं वह यह चाहता है कि जो कुछ भी काम हो वह उसी की मर्जी से होना चाहिए और नगरपालिकाओं के मैम्बर कहते हैं कि हम जनता द्वारा चुने हुए हैं इसलिए हम जो कुछ कहें वह होना चाहिये। इस तनाव के कारण जो काम वहां होने हैं वे भी नहीं हो रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि यह फैसला होना चाहिये कि ऐडमिनिस्ट्रेटर के क्या अख्तियारात हैं और नगरपालिकाओं के मैम्बरज के क्या अख्तियारात हैं तथा वे उनको मिलने चाहिए।

16.00 बजे

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं मांग नम्बर 13 जोकि सो गल वेलफेयर से सम्बन्धित है, पर अपने विचार रखना चाहूंगा। लोकदल पार्टी ने, जो अब जनता दल है, इलैक्शन के दिनों में यह वायदा किया था कि बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के साथ किसी किसम का भेदभाव नहीं होगा और उनकी रिजर्वेशन 10 से

15 परसैन्ट कर दी जाएगी लेकिन दो साल बीत चले हैं अभी तक रिजर्वे इन बढ़ाई नहीं गयी है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मेरी लोकप्रिय सरकार इस ओर विशेष ध्यान दें। डिप्टी स्पीकर साहब, जब इंस्टिट्यूटों में, स्कूलों में, कालिजों व पोलिटैकनिक्स में दाखिले की बात आती है तो उस वक्त रिजर्वेड कैटेगरी को और दूसरी जनरल कैटेगरी को मिक्स कर दिया जाता है। मेरा कहना है कि जो बैकवर्ड क्लासिज के लड़के वैसे ही पहले मैरिट पर आते हैं उनको रिजर्वे इन में न गिना जाए। उनका जनरल में गिनकर उसके बाद हमें 10 परसैन्ट रिजर्वे इन का कोटा दिया जाए। जो लड़का पहले ही मैरिट में आता है उसका तो वैसे ही अपना हक बन जाता है कि वह मैरिट के कारण जनरल कैटेगरी में आ गया। लेकिन आजकल होता क्या है कि जो बैकवर्ड क्लासिज के बच्चे पहले ही मैरिट में आते हैं उनको 10 परसैन्ट में गिनकर रिजर्वे इन दे देते हैं। इससे हमें उल्टा नुकसान हो रहा है। इसलिये सरकार इस ओर ध्यान दे। मैरिट वाले बच्चों को अलग से निकाल कर रिजर्वे इन का जो 10 परसैन्ट कोटा है वह हमें दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड नम्बर 16, जो कि उद्योग से सम्बन्धित है, के बारे में मैं बिनती करूंगा कि उद्योग मन्त्री जी बहुत ही अच्छे सज्जन हैं। वे पिछली चार तारीख को सिरसा के दूर पर गये थे। उन्होंने वहां पर यह घोषित किया था कि सिरसा जिले को पिछड़ा क्षेत्र बनाया जाएगा लेकिन आज जो लिस्ट

उन्होंने पढ़ी है उसके अन्दर सिरसा का नाम तक नहीं है। सिरसा इंडस्ट्रीज के लिहाज से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है लेकिन फिर भी अभी तक उस को पिछड़ा हुआ जिला घोषित नहीं किया गया है। अतः सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

अब मैं डिमांड नम्बर 23, जोकि परिवहन विभाग से सम्बन्धित है, के बारे में गुजारि करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, सिरसा जिला के अन्दर इतनी कम बसें हैं कि लोगों को देहातों तक जाना मुश्किल हो जाता है। सिरसा का एरिया काफी लम्बा चौड़ा एरिया है। लगभग सवा चार लाख की वहां की आबादी है और 6 किलोमीटर के अन्दर यह भाहर बसा हुआ है पर इस भाहर के अन्दर लोकल बसों का भी कोई प्रबन्ध नहीं है। जब भी हम इस बारे में सम्बन्धित विभाग से बात करते हैं तो जवाब मिलता है कि बसें नहीं है जिससे लोगों की काफी प्रोब्लमस बढ़ गयी हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से उप-मुख्य मन्त्री महोदय से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें और अपने बजट में इसके लिये और प्रोविजन करवाएं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इतना ही कहते हुए जो बजट हमारे उप-मुख्य मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसकी प्रतीक्षा किये बैगर नहीं रह सकता। यह एक ऐसा संतुलित बजट है जिसमें हर पहलू को ध्यान में रखने की कोशिश की गयी है। इन अलफाज के साथ आपका भुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ।

श्री मोहमद असलम खां (छछरौली): डिप्टी स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। सब से पहले मैं डिमांड नं० 5 पर बोलना चाहता हूं। मैंने पहले भी यह बात कही थी कि मेरी कांस्ट्रिक्शंस में एक बैरियर 25 किलोमीटर के अन्दर लगा दिया गया है। मन्त्री जी उस दिन पूछ रहे थे कि वह काहं पर लगा हुआ है? मैं उनको बताना चाहता हूं कि वह बैरियर किान पुरा में लगा हुआ है और पहले यह कलेसर में था। अब 40 गांवों को बहुत परेानी उठानी पड़ती है। कोई ट्रक गुजरता है तो उससे टैक्स मांगते हैं। टैक्स न लेते हों तो पैसे जरूर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बैरियर को वहां से जल्द से जल्द उठाया जाए।

इसके अलावा, एक अर्ज है कि यू०पी० और पंजाब में बुग्गी और ट्रैक्टर के टायरों पर टैक्स नहीं है, केवल हरियाणा में लगा हुआ है। जहां आप किसानों को राहत दे रहे हैं वहां सरकार इन टायरों पर भी टैक्स हटाए। अब जमींदार सहारनपुर (यू०पी०) से टायर खरीद कर लाते हैं। हमारे व्यापारियों की दुकानों पर ये टायर यूं के यूं पड़े रहते हैं। अगर इन पर टैक्स हटा दिया जाए तो उससे हमारे किसानों को, दुकानदारों को दोनों को रिलीफ मिलेगी। ऐसा करने से दुकानदारों का सामान बिना भुरु हो जाएगा और किसानों को यू०पी० जाने की मुसीबत नहीं उठानी पड़ेगी। इसलिये सरकार इस पर विचार करे।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड नं० 8 पर भी बोलूंगा। आज कल सड़कों की हालत बहुत खराब है। एक चीज को देखने से यह तो पता चलता है कि सरकार इस बारे में जागरूक है। वह चीज यह है कि जहां सड़कों में गढ़े पड़ जाते हैं वहां सरकार मिट्टी डलवा रही है। इसका मतलब है कि सरकार को पता है कि सड़कें खराब हैं। सड़कों के लिये बजट में राशि बहुत कम रखी गयी है। अगर हरियाणा की सड़कों की मुरम्मत न हो सकी तो डिवैल्पमेंट के काम पीछे रह जायेंगे और नई सड़कें बनाने की बात बहुत पीछे रह जाएगी। इसलिये कम से कम सड़कों की मुरम्मत जरूर करवा दी जाए।

डिमांड नं० 9 ऐजूके तान के बारे में है। डिप्टी साहब, जो मेरा क्षेत्र है वह पहाड़ी इलाका है और सारे का सारा नदी नालों से भरा पड़ा है। पहाड़ से इतने नदी नाले निकलते हैं कि आप कहीं जाएं तो रास्ते में देखेंगे कि एक गांव पड़ता है और एक नदी पड़ती है। ऐसी जगहों पर ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलने चाहियें तथा अपग्रेड करने चाहियें। बरसात के टाईम में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। दो-तीन साल पहले की बात है कि नदी के पानी में स्कूल जाते हुए बच्चे वह गए थे। उसके बाद बरसात के दिनों में स्कूलों में छुट्टियां की जाने लगीं। उसके कुछ समय बाद फिर वहीं कर दिया जैसे हरियाणा में और जगहों पर स्कूल खुलते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले जाएं।

अब मैं डिमांड नम्बर 10 के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने पहले भी हाउस में सवाल उठाया था। मेरे हल्के के छछरौली हस्पताल के बारे में मुझे बताया गया था कि उसे डि-ग्रेड नहीं कर रहे हैं। यह बड़ी अच्छी बात है। मगर मैं चाहता हूँ कि चूंकि उसकी हालत बहुत खस्ता है और वहां पर मरीजों को पड़े हुए यह डर लगता है कि कहीं उन पर छत न गिर पड़े। उस हस्पताल को बनाने के लिये राशि जरूर दी जाए। अभी 17 लाख 18 हजार रुपये में से केवल 10 हजार रुपये दिस गए हैं। इस दस हजार रुपये में से भी साढ़े तीन हजार रुपये सायल टैस्टिंग के लिये दे दिए गए हैं। इसके अलावा और कोई राशि नहीं दी गई है। मैं चाहता हूँ कि उस हस्पताल को भीघ्र बनाया जाए ताकि लोगों को आराम हो सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नम्बर 15 की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहूंगा। इस डिमांड के बारे में इं० जगपाल सिंह चौधरी अपने ख्यालात प्रकट कर चुके हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, ताजेवाल ब्रिज 1890 में बनाया गया था। जब 1978 में पहली बार फ्लड आया तो उस वक्त वह पुल बचा रहा लेकिन अब 1988 में जब फ्लड आया तो उस समय लोगों के दिल में यह बात थी कि यह पुल बच जाएगा या बह जाएगा लेकिन वह बच गया। वह बहुत पुराना पुल है और बहुत मजबूत बनाया हुआ है। खुदा न खास्ता अगर वह पुल टूट गया तो वैस्टर्न जमुना कैनल और ईस्टर्न जमुना कैनल दोनों नहरें बंद हो जाएगी। उन दोनों

नहरों के बंद होने से हरियाणा प्रदेश के किसानों को कितना नुकसान होगा, आप सब यह अंदाजा लगा सकते हैं। इस पुल का 48 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और इस बजट में उसके लिए केवल तीन करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है यह बहुत ही कम राशि है। इस तीन करोड़ रुपए में से मैं समझता हूँ कि लगभग डेढ़ करोड़ रुपए यू0पी0 के जमींदारों की जो जमीन ऐक्वायर की गई है, उसके मुआवजे के रूप में दे दिए जाएंगे। बाकी जो डेढ़ करोड़ रुपया बचा उससे उस पुल का काम होना बड़ा मुश्किल है। यदि इस पैसे में उस पुल का थोड़ा बहुत काम हो भी जाएगा तो वह बारिश के पानी से बह जाएगा। वह सारा पैसा व्यर्थ जाएगा। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उस पुल के बनाने के लिये ज्यादा से ज्यादा राशि दी जानी चाहिए क्योंकि वह बहुत बड़ा पुल है। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात इरीगेशन के फायदे की कहूंगा। वहां पर एक पावर हाउस लगाने से डेढ़ लाख रुपए की बिजली से आमदनी होगी। इसलिये वहां पर एक पावर हाउस बनाया जाना चाहिये और वह बनाया जाना बहुत ही जरूरी है। वहां पर हथनी कुण्ड बैराज के लिये जो टैक्नीकल स्टाफ मौजूद है वही स्टाफ उसका काम कर सकता है। वहां पर पावर हाउस नम्बर चार पर काम चल रहा है। अगर उस स्टाफ को एक पावर हाउस बनाने के लिये लगा दिया जाए तो वह काम बड़ी आसानी से हो सकता है क्योंकि सारा टैक्नीकल स्टाफ मौके पर मौजूद है। वह काम उस स्टाफ से पूरा करवाया जा सकता है। इससे सरकार को भी बड़ा फायदा होगा।

इरीगे इन से मुतल्लिक में एक बात और कहना चाहूंगा। वैस्टर्न जुमना कैनल से जो दो माइनर निकलती हैं वे हर साल टूट जाती है। अगर उन दोनों माइनर्ज के पानी को एक नहर में डाल दिया जाए तो दोनों माइनर्ज टूटने से बच जाएगी। वहां पर सरकार के फौरैस्ट डिपार्टमेंट ने प्लान्टे इन कर रखी है जब उन माइनर्ज में प्लांटे इन के लिये पानी छोडते है। तो बारि 1 के पानी की वजह से वे टूट जाती है और उनको बांधने में 8-10 दिन लग जाते हैं वही 8-10 दिन किसानों के लिये फसल बोने के बहुत अच्छे दिन होते हैं लेकिन वे माइनर्ज टूटने से किसानों को बहुत नुकसान होता है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि नग्गल खाले की बनवाया जाए ताकि किसानों की दिक्कत दूर हो। नग्गल खाले को बनवा कर उन दोनों माइनर्ज का पानी उसमें डाला जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मांग सख्या 20 के बारे में मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहूंगा। यह मांग फोरैस्ट विभाग से सम्बन्धित है। हमारा इलाका पहाड़ी क्षेत्र है। हर पहाड़ी के साथ साथ जो नदी है उसके साथ साथ गांव बसे हुए हैं और पूर इलाके में जितने गांव बसे हुए हैं उनमें पूर्ण रूप से इरीगे इन की व्यवस्था नहीं है जबकि सभी गांवों की जमीन को इरीगे इन की आव यकता हे। उन गांवों के लोग जंगलात पर निर्भर करते हैं। अपने जानवरों का दूध बेचते हैं या अपने जानवरों को बेचते हैं। इसी से उनका गुजारा हो पाता है क्योंकि उनकी जमीन के लिये

इरीगे ान का कोई बंदोबस्त नहीं है। पिछले दिनों फौरेस्ट मिनिस्टर साहब ने उन गांवों के जंगलात में प्लांटे ान को देखा था। उन जंगलात का जो अन्दरूनी हिस्सा है वहां पर पानी नहीं पहुंचता है। जंगलात के अन्दरूनी हिस्से में प्लांटे ान नहीं है केवल जंगलात के दरवाजे पर ही प्लांटे ान की हुई है। उन गांवों के रहने वाले जो लोग हैं उन्हें प ़ुओं को चराने के लिए सरकार की तरफ से परमिट दिए हुए हैं लेकिन फिर भी वे लोग अपने प ़ुओं को चराने के लिए जंगलात में नहीं ले जा सकते। हर गांव में वाटर सप्लाई भी हो गई है लेकिन वाटर सप्लाई के लिये हर गांव में वाटर टैंक नहीं बनाया गया है। उन गांवों के लोगों को अपने प ़ुओं को कुओं से पानी निकाल कर पिलाना पड़ता है। दो-दो या तीन-तीन किलोमीटर से पानी लाकर स्टोर करना बड़ा मु् कल होता है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अगर सरकार उन गांवों के जंगलात में एम0आई0टी0सी0 के ट्यूबवैल्ज लगवा दे तो उससे वहां के लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी और प्लांटे ान के लिये भी काफी फायदा होगा। जो लोग अपने प ़ुओं के लिये जंगलात से हरी पत्तियां लेने के लिये जाते हैं, घास लेने के लिये जाते है, वे एम0आई0टी0सी0 के ट्यूबवैल्ज के पानी से अपनी बरसीन बो लेंगे और सूखे चारे में मिला कर अपने प ़ुओं को खिला देंगे। (विध्न) मेरे कहने का मतलब है कि अगर वहां पर एम0आई0टी0सी0 के ट्यूबवैल्ज लगाये जायें तो सारी समस्या हल हो जायेगी और लोग अपनी बरसीन व दूसरा चारा पैदा करके

अपने पशुओं को अच्छी प्रकार से पाल सकते हैं। एम0आई0टी0सी0 घाटे में जा रही है। क्यों जा रही है इसका तो मुझे पता नहीं। मेरा तो यही कहना है कि अगर वहां पर एम0आई0टी0सी0 के ट्यूबवैल्ज लगाने का प्रबंध कर दिया जाये तो वहां के लोगों को बहुत फायदा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग सं0 16 पर बोलना चाहूंगा। इस समय कालका और नारायणगढ़ तहसील का एरिया इंडस्ट्रियली बैकवर्ड घोशित किया हुआ है। जिस प्रकार से कालका और नारायणगढ़ ऊपर-नीचे की पहाड़ियों पर बसा हुआ है उसी प्रकार से मेरा क्षेत्र भी ऊपर नीचे की पहाड़ियों पर बसा हुआ है। मेरी सरकार से मांग है कि छछरौली क्षेत्र को भी इंडस्ट्रियली बैकवर्ड घोशित किया जाये ताकि वहां पर लोगों को इंडस्ट्रीज लगाने में जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती है वे मिल सकें और वहां पर इंडस्ट्रीज डिवैल्प हो सकें।

अब मैं मांग संख्या 17 पर बोलना चाहता हूं। यह मांग एग्रीकल्चर के मुतालिक है। इस संबंध में पिछलेदिनों एक बिल भी सदन के सामने लाया गया था कि एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड द्वारा मण्डी तक आने के लिये लिंक रोड बनाई जायेगी। उस बिल का मैंने उस समय स्वागत भी किया था कि ऐसी लिंक रोड अब य बनाई जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में एक खारवान परचेज सैन्टर है। इस सैन्टर की आमदनी बढ़ाने के लिये बलाचोर से खारवान तक एक डेढ़ किलोमीटर सड़क का पक्का टुकड़ा यदि

बना दिया जाये तो खारवान परचेज सैन्टर की आमदनी काफी बढ़ सकती है। इसी प्रकार ये याकूबपुर से कड़कौली, लेदेह से जटेड़ी और मीरपुर से सलीमपुर का भी यदि एक एक—डेढ़ किलोमीटर का टुकड़ा बना दिया जाये तो इनसे बिलासपुर और छछरौली की अनाज मण्डियों की आमदनी काफी बढ़ सकती है। इस समय ये 3—4 सड़कें पूरी न होने के कारण लोगों को फसल मण्डी में लाने में बड़ी कठिनाई हो रही है। आज से तीन साल पहले छछरौली की अनाज मण्डी की आमदनी सिर्फ 8—9 लाख रूपये की थी जो बाद में बढ़ कर आज से डेढ़ वर्ष पूर्व 28 लाख हो गई थी। उस समय सारे हरियाणा में छछरौली मार्किटिंग बोर्ड कीकमेटी फर्स्ट आई थी। इन भाब्डों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री रघु यादव (रिवाड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1989—90 की बजट अनुदान की मांगों पर मैं अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो हरियाणा में आदरणीय चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व में जनता दल और भाजपा की लोकप्रिय सरकार कायम हुई है यह सरकार हरियाणा की चहुमुखी विकास की ओर ले जाने में लगी हुई है। अभी कर मुक्त बजट भी हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने पे 1 किया था। मैं भी सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि सरकार ने भुश्क दिनों में जो नाजायज तरीके से भाराब बिकती थी उसे न बिकने देने के लिये सरकार ने भुश्क दिनों में कमी कर दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वाधीनता विस और 2 अक्टूबर गांधी जयंति को भुश्क दिवस रखे गये हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त राष्ट्रीय उत्सव के दिन हैं। उस दिन तो इस लोकप्रिय सरकार को लोगों को खुली मनाने का अवसर देना चाहिये। जिस दिन देश आजाद हुआ, जिस दिन संविधान लागू हुआ या जिस दिन राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने जन्म लिया, उस दिन को तो हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। अतः इन दिनों को भुश्क दिवस की बजाये अन्य दिनों की तरह खुला रखना चाहिये बल्कि इन दिनों भाराब सबसिडी पर बिकनी चाहिये। गांधी के सपनों को साकार करने का संकल्प लेने वाली इस सरकार को पूरे साल—365 दिन मदिरा बिक्री और सेवन की खुली छूट देनी चाहिये। मुझे एक भोयर की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं—

इलाही, पीने वालों को कहीं दुनिया जूदा होती,

जहां हुकमन पिया करते, न पीते तो सजा होती।

मैं आशा करता हूँ कि हमारी लोकप्रिय सरकार मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में जो लोकप्रिय सरकार आज हरियाणा में सत्तासीन है इसके आबकारी एवं कराधान मन्त्री राव राम नारायण इस सदन के एक बुजुर्ग एवं वरिष्ठ सदस्य हैं। नई आबकारी नीति में भाराब के लिये साल में तीन दिन भुश्क रखे गए हैं। नई सरकार का यह

कदम बहुत ही सराहनीय है। मैं। इस लोकप्रिय सरकार से मांग करूंगा कि वह तीन भ्रष्टक दिवसों को भी समाप्त करें। उपाध्यक्ष महोदय, गांधी जी के सिद्धान्तों को स्वीकार करने के बाद भी गुजरात और तामिलनाडू में न गाबन्दी नहीं हो पाई। आपने पढ़ा होगा कि हाल ही में बड़ौदा में अवैध भाराब पीने के कारण सैंकड़ो लोग मरे। यह अवैध भाराब जो लोगों को पिलाई जाती है और इससे जो आमदनी होती है वह विकास के कार्यों में नहीं लगती बल्कि वह आमदनी इस अवैध भाराब के धन्धे में लिप्त लोगों और भ्रष्ट पुलिस कर्मियों की जेबों में चली जाती है। भ्रष्ट पुलिस जनों के साथ अवैध भाराब बनाने वाले मिली भगत रखते हैं और इस प्रकार मजबूर होकर लोग घटिया भाराब पीते हैं। मैंने कभी भाराब नहीं पी। जहां तक मुझे पता है चौधरी देवी लाल जी ने भी कभी भाराब नहीं पी लोग अगर भाराब पीते हैं तो उनको जहर न पीना पड़े बल्कि उन्हें दारू ही मिले। इसके लिये हरियाणा सरकार ने जगह जगह बार खोल दिए हैं ताकि लोग जो पीना चाहते हैं वह आराम से और तसल्ली से पंखे के नीचे कुर्सी पर बैठकर दारू पी सकें। देसी भाराब के वैडज पर भी अहाते खोल दिए गए हैं ताकि लोग वहां भी आराम से बैठकर भाराब पी सकें। सड़कों पर खड़े खड़े पीने वाले वैसे भी न्यूसेंस पैदा करते हैं और लड़ाई झगड़े भी करते हैं। इस लोकप्रिय सरकार ने दारू पीने के लिये बीयर-बार और अहाते खोल दिए हैं। इससे एक तरफ लोग भ्रान्ति के साथ बैठ कर वहां भाराब पी सकेंगे और दूसरी ओर इससे सरकार के भासन में हरियाणा का कोई गांव ऐसा नहीं

रहेगा जहां पर भाराब के ठेके न हों। सरकार ने निर्णय लिया है कि दारू की बिकने वाली हर बोटल पर एक रूपया वहां की पंचायत को मिलेगा। (विघ्न) मैं समझता हूं कि राव साहब, इस लोकप्रिय सरकार के राज में आने वाले सालों में हरियाणा में कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां दारू का ठेका न हो।

श्री मंगल सैन: उपाध्यक्ष महोदय, तारीफ करने का इनका अलग ही अन्दाज है। क्यों ये सचमुच तारीफ कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: इनका तारीफ करने का अपना ही अन्दाज है।

श्री रघु यादव: पंचायतो के पास आमदनी का एक साधन हो जायेगा और उनके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। इस पैसे से गांवों का विकास होगा। मैं इसके लिये राव राम नारायण जी को बधाई देता हूं। (विघ्न)

श्री मंगल सैन: उपाध्यक्ष महोदय, ये भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि ये सरकार की तारीफ कर रहे हैं या आलोचना ? (विघ्न)।

श्री रघु यादव: आप लोग बात को गलत तरीके से ले रहे हैं क्योंकि बड़ी-बड़ी गांधी वादी सरकारों ने न आबन्दी की लेकिन जहां न आबन्दी होती है लोग वहां भी भाराब पीते हैं। गुजरात के अन्दर अभी हाल ही में दुखद घटना हुई। वहां भाराब पी कर लोग मरे। तामिलनाडू के अन्दर भी लोग जहरीली भाराब

पी कर मरे। हरियाणा सरकार लोगों को इस प्रकार जहर पीने से तो रोक सकती है। पीने वाले लोगों को कम से कम पीने को दारू तोमिलेगी और उन्हें मजबूर हो कर जहर नहीं पीना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक हकीकत है और इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिये। हरियाणा सरकार ने सारे दे 1 के अन्दर मिसाल कायम की है और दे 1 की अन्य राज्य सरकारों को भी इस मामले में हरियाणा का अनुसरण करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं जनरल ऐडमिनिस्ट्रे 1न के बारेमें मांग नम्बर 2 पर अपने विचार रखना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस लोकप्रिय सरकार ने प्र 1ासन को लोगों के पास भेज है और मुक्त द्वार प्र 1ासन भुरू किया है। उपाध्यक्ष महोदय दो दिन के लिये सारे अफसर अपने सरकारी वाहन, तम्बू वगैरा ले कर गांवों में जाते हैं और वहां पर लोगों की तकलीफों को अफसर खुद सुनते हैं। दो दिन में करीब 24 गांवों के लोगों की सुनवाई मुक्त द्वार प्र 1ासन के अन्तर्गत होती है। 2 दिन के अन्दर मुक्त द्वार प्र 1ासन ने 6-6 हजार लोगों की तकलीफों को सुना और उन्हें दूर किया। इस प्रकार अधिकारियों ने सरकार को बता दिया है कि वे कितने कार्य कु 1ाल हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आ चर्य होता है 2 दिन में 24 गांवों के 6-6 हजार लोगों की तकलीफों को सुन कर उनका कश्ट दूर किया गया। इससे साफ जाहिर है कि मुक्त द्वार प्र 1ासन में तो काम हो रहा है परन्तु सरकारी कार्यालयों में कुछ काम नहीं हो रहा है। जहां एक ओर 24 गांवों के 6-6 हजार

लोगों का काम दो दिन में हो गया वही सरकारी दफतरों में चक्कर पे चक्कर काटने पर भी लोगों के काम नहीं हो पाते हैं। दफतरों में अधिकारी मिलते ही नहीं हैं। कई बार टैलीफोन करने पर भी मालूम होता है किवे सीटों पर नहीं हैं। दफतरों में लोगों की सुनवाई नहीं होती। अगर अफसर सीटों पर बैठते ही नहीं। मैं माननीय गुप्ता जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ क्योंकि अनुभव है कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार कैसे बढ़ता गया था और माननीय गुप्ता जी को यह भी मालूम है कि अब इस सरकार के दौरान भ्रष्टाचार कैसे कम होता जा रहा है। यह भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। मुक्त द्वारा प्र शासन एक प्र ांसनीय पग है लेकिन अफसरों के लिए सरकारी कार्यालयों का द्वार मुक्त नहीं होना चाहिए कि जब मन आया, चले आये और जब जी चाहा चले गए। दफतरों में भी काम ठीक प्रकार से होना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को और अधिकारियों को समय पर दफतर में आना चाहिए और समय पर दफतरों से जाना चाहिए। अफसरों को अपनी सीटों पर मिलना चाहिए और लोगों की सुनवाई दफतरों में भी होनी चाहिए। गांव में मुक्त द्वारा प्र शासन हो और खण्ड, तहसील व जिला कार्यालयों का द्वार मुक्त ही—अफसर जब जी आया चले आये, जब जी चाहा चले गये—यह ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दे ा में जनतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई है। चौधरी देवी लाल बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वे आम आदमी के जीवनस्तर को ऊंचा उठाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। वे चाहते हैं कि आम आदमी की सुनवाई हो, आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा

उठे। महात्मा गांधी सारे जीवन भर यही संघर्ष करते रहे कि भारत के आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा हो। इसी प्रकार से लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने भी आम आदमी के लिए संघर्ष किया। यह जो हमारी लोकप्रिय सरकार है इसके विधायक आम लोगों से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं लेकिन जहां देना में कांग्रेस की हकूमत कायम है उसके मंत्री और विधायकों को आम आदमी में से बदबू आती है। हमारे जो आई0ए0एस0ए आई0पी0एस0 और एच0सी0एस0 अधिकारी हैं, उन सब को मैं बुरा नहीं कहता लेकिन जो अधिकारी ईमानदार हैं, जो अधिकारी ईमानदारी से और कर्मठता से काम करते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए और जो अधिकारी गलत काम करते हैं उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए। केवल दण्ड देने से ही काम बनने वाला नहीं, उन्हें तो और अधिक सजा मिलनी चाहिए। मेहनती और ईमानदार अफसर को ईनाम मिलना चाहिए तभी तो लोग ईमानदारी और मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित होंगे। जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तभी भ्रष्टाचार करने वालों को खौफ होगा और वे हतोत्साहित होंगे तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। दोनों पहलुओं पर सरकार को देखना चाहिए। आज जो अधिकारी ईमानदार हैं, इन्ट्रैस्ट ले कर काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं उन्हें पुरस्कार देना चाहिए, ईनाम देना चाहिए लेकिन जो लोग अपने काम में कोताही बरतते हैं जिनका आचरण भ्रष्ट है उन्हें कड़े तरीके से सजा देनी चाहिए। सब बेईमान आदमियों को डर होना चाहिए और ईमानदारों का हौसला बढ़ाना

चाहिए। अधिकारियों और मन्त्रियों को इस राज में नहीं बल्कि कांग्रेस राज में आम आदमी से बढबू आती है इसलिए आम आदमी को वे अपने से दूर रखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आम आदमी जनता, जनार्दन इस देश की व्यवस्था का मूल है। आज हम इस सदन में बैठे हुए मंत्री, विधायक और अधिकारी इस जनता के ओदर से, जनता की मर्जी से बैठे हैं। जितने अधिकारी हैं वे पब्लिक सर्वेन्ट्स हैं, हम सब जनता के सेवक हैं, हम सब जनता की मर्जी से बनते हैं, जनता की इच्छा से आये हैं। जो अधिकारी या गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं वे सब पब्लिक के सर्वेन्ट्स हैं। आज तो हमारा देश आजाद है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जब देश आजाद नहीं था, अंग्रेज जब यहां पर भासन करते थे तब भी ये अधिकारी उस गुलामी के दौर में भी उस गुलाम जनता के सेवक अर्थात् पब्लिक सर्वेन्ट्स कहे जाते थे। वे गुलाम जनता के सेवक थे। आज वे आजाद जनता के सेवक हैं। अधिकारियों को आम आदमी में से बढबू नहीं आनी चाहिए। उन्हें अपने आप में से बढबू आनी चाहिए। राजनीतिज्ञों और अधिकारियों का पहला कर्तव्य है कि वे आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कार्य करें। आज आजादी के 42 साल बाद भी यदि आम आदमी का जीवन स्तर वही है, वह बीमार है, फटे हाल हैं, गरीब है, कमजोर है और दर-दर की ठोकरें खा रहा है तो इसके लिए वे लोग दोषी हैं जो तन्त्र पर, सत्ता पर काबिज हैं। इसलिए अधिकारियों को आम आदमी से बढबू नहीं आनी चाहिए। कार्यालय में जब कोई व्यक्ति

जाये तो अधिकारियों को आम आदमी से सम्मान के साथ बोलना चाहिए उसकी बातें सुननी चाहिए, उसकी दिक्कतें सुननी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मांग नम्बर 11 अर्बन डिवैल्पमेंट के बारे में है। हरियाणा में यह विभाग औद्योगिक और नगरीय विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण करता है। मेरे अहीरवाल क्षेत्र में डूंडाहेड़ा, सिरहौल, कार्टरपुरी और झाड़सा ऐसे गांव हैं जहां की भूमि अधिग्रहित की गई है। उन गांवों के जोहड़ और भामान भूमि को भी अधिग्रहित कर लिया गया। गांवों में आप जानते हैं भौच आदि के लिए भी लोग जंगल में जाते हैं। लेकिन जब गांव के लालडोरे से बाहर की सारी जमीन अधिग्रहित कर ली जाती है तो लोगों को पाखाना जाने के लिए भी मुश्किल हो जाती है। जब भामान भूमि की जमीन ले ली जाती है तो मृत लोगों का दाह संस्कार तक भी मुश्किल हो जाता है। नगर के विकास के नाम पर, उद्योग के विकास के नाम पर बसे हुए लोग उजड़ जायें, यह अच्छी बात नहीं है। यह कैसा नगरीय विकास है जिसकी वजह से बसे बासये गांव गन्दी बस्ती बन जायें, नरक बन जायें। मेरे इलाके के डूंडाहेड़ा गांव में जा कर कोई भी देख सकता है कि किस तरह वहां के लोगों का जीवन दूभर हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मैं फिर कहना चाहूंगा कि गांव के जोहड़ और भामान भूमि को एक्वायर करना कोई अच्छी बात नहीं है। यह भजन लाल जी के राज में हुआ था। जो फार्म हाउस होते हैं, ये फार्म हाउस, अधिकतर दिल्ली में बसने वाले सरमायेदार काले धन

से खरीदते हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जबगांव की भाँचादि की जमीन, जब गांव की जोहड़ आदि की और भाम गान आदि की जमीन ले ली जाती है तो फार्म हाउस क्यों छोड़े जाते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, यह फार्म हाउस खेती नहीं करते। यह फार्म हाउस केवल पैसे को काले से सफेद करते हैं। जब बाढ़ आती है तो सर्वे होता है कि पूरा जिला बाढ़ में डूब गया और सारी फसल तबाह हो गयी। लेकिन फार्म हाउस वाले जब इन्कम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो उसमें यह लिखते हैं कि मेरे 5 एकड़ के फार्म में 50,000 रुपये की फसल हो गयी। जब सूखा पड़ता है और लोगों की फसल मारी जाती है तो लोग तो मुआवजा मांगते हैं कि सूखा पड़ा है हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन यह फार्म हाउस के मालिक इन्कम टैक्स रिटर्न में यह लिखते हैं कि हमारे 5 एकड़ के फार्म के अन्दर 50,000 रुपये की फसल हुई है। यह इन्कम टैक्स रिटर्न में ऐग्रीकल्चर इन्कम दिखाकर पैसे को सफेद करने का धन्धा करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अर्बन डिवैल्पमेंट के लिये इस काले पैसे को सफेद करने वाले फार्म हाउसिज को ऐक्वायर किया जाना चाहिये। जो गांव के जोहड़ हैं, भाम गान हैं और सार्वजनिक उपयोग की चीजें हैं, उनको हमें ऐक्वायर नहीं करना चाहिये। नये भाहरों का विकास हो, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन बसे-बसाये गांव जो हैं, उनको नर्क न बनाया जाये। आज हमारी सरकार लोगों के सपने साकर करने में जुटी हुई है। मैं यह कहता हूँ कि यह सरकार आडम्बर को नहीं मानती, हिपोक्रेसी को नहीं मानती। यह सरकार

रियलिटी को स्वीकार करती है। यह सरकार साधन जुटाने में सफल हो, यह सरकार हरियाणा में कुछ नया और अच्छा कर सके, यही आशा करते हुए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री रतन लाल कटारिया (बबैन-अनुसूचित): मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान गुप्ता जी ने कर रहित बजट देकर हरियाणा की जनता की भावनाओं की कदर की है। यद्यपि हरियाणा प्रदेश के अन्दर किसी भी नये कर का प्रावधान नहीं किया गया है लेकिन फिर भी केन्द्रीय सरकार का जो बजट आया है, उस बजट के कारण जो मुद्रा-स्फीति बढ़ेगी और मंहगाई पर जो असर है, वह हरियाणा की जनता पर अवश्य पड़ने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग नं० 3 के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आज हरियाणा प्रदेश के गृह विभाग के ऊपर बहुत बड़ा खर्च करना पड़ रहा है। आज से 5-7 साल पहले गृह विभाग के ऊपर इतना भारी बोझ नहीं पड़ता था। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे प्रधानमंत्री की अस्पष्ट तथा गलत नीतियों के कारण जो इस प्रदेश के अन्दर विशेषकर पंजाब में जो उग्रवाद फैला हुआ है, उसके कारण हरियाणा प्रदेश के अन्दर भी कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं हुई हैं कि हरियाणा के अन्दर कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिये हमें इतना बड़ा धन गृह विभाग के ऊपर खर्च करना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, अगर प्रधान मंत्री जी ने सूझबूझ से काम लिया होता तो हिन्दुस्तान के हजारों लोगों को

मौत के घाट उतरने से बचाया जा सकता था। उपाध्यक्ष महोदय, आज दे 1 के अन्दर चारों तरफ बहुत गलत प्रकार का वातावरण बना हुआ है। आज से चार साल पहले आम वोटर ने केन्द्र के अन्दर वि ेश परिस्थितियों में कांग्रेस सरकार बनायी थी लेकिन जो मैम्बर बनाये गये थे, वही आज यह कह रहे हैं—

मैं जिसके हाथ में एक फूल देकर आया था,

उसी के हाथ का पत्थर मेरी तला 1 में है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज पंजाब के अन्दर चारों तरफ गलियां सुनसान हैं जिसके परिणामस्वरूप आज हर घर के अन्दर रोने की आवाज आ रही है और उसका असर हरियाणा प्रदेश 1 पर भी पड़ रहा है।

आज जो हालात बन रहे हैं, उनके बारे में रवीन्द्र झाकू का एक भोयर मैं हाउस के सामने पे 1 करना चाहता हूँ। भोयर है—

सयम को यह कैसी नजर सी लगी है,

अ कों की लम्बी झड़ी सी लगी है।

लाओं कहीं से तहजीब की चादर,

आदमियत भाहर में नंगी खड़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय, वह पंजाब जो बहुत अधिक फलता फूलता प्रान्त था और जहां पर विकास की गति बहुत तेज थी आज उसको ग्रहण लगा हुआ है और यह ग्रहण प्रधान मन्त्री की गलत नीतियों के कारण लगा हुआ है। आज सारे देा का वातावरण बिगड़ गया है। उपाध्यक्ष महोदय, वह बेचारा क्या करे, उसके जो सलाहकार हैं के ही ऐसे हैं ईसा मसीह से हजारों साल पहले भुकरात, जिसको जहर का प्याला पीने के लिये दिया गया था, ने राजा, प्रधान मन्त्री या मुख्य मन्त्री, कैसा होना चाहिये, के बारे में कहा था कि राजा हो, प्रधान मन्त्री हो या मुख्य मन्त्री जो वह ऐसा होना चाहिए जो जनता का अधिक से अधिक भला कर सके और उसमें अपनी पोलिटिकल फिलौसफी भी होनी चाहिए। उसके अन्दर अपनी पोलिटिकल फिलौसफी का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ प्लेटो और एरिसटोटल ने जोर देकर कहा कि राजा, प्रधान मन्त्री या मुख्य मन्त्री अगर अनुभवहीन है तो वह देा का भला तो कर ही नहीं सकता, वह तो उसको तबाह कर सकता है। आज का प्रधान मन्त्री इस देा को तबाह करने की ओर बढ़ रहा है और यह सब कुछ अपनी कुर्सी के लिए कर रहा है। उसे केवल कुर्सी चाहिए। किसी तरह से उसकी कुर्सी पर कोई आंच न आए वह इस को देा में लगा हुआ है। आज पंजाब के अन्दर आग लगी हुई है। उसको कोई फिक्र नहीं है। आसाम के अन्दर चाहे करोड़ों लोग बंगला देा से आ जाएं और चाहे नौर्थ ईस्टर्न एरिया जलकर राख हो जाए और चाहे कोई और मुसीबत देा पर आ जाए लेकिन उसको तो केवल अपनी

कुर्सी बचाने की चिन्ता है। दे 1 की उसको बिल्कुल चिन्ता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जब से हरियाणा में चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में लोकदल बी0 जे0 पी0 सरकार आई है केन्द्रीय सरकार की इसके प्रति बदनीयती रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के अन्दर वर्षा के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारी लोकप्रिय सरकार ने प्रधान मन्त्री से प्रधान मन्त्री से प्रार्थना की कि हमें सूखे से निपटने के लिए 450 करोड़ रुपया चाहिए और बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है उसके लिए 192 करोड़ रुपया चाहिए लेकिन प्रधान मन्त्री ने हमारी सरकार और हरियाणा के प्रति बदनीयती रखते हुए हमें पैसा नहीं दिया ताकि यह सरकार फाइनेंशियल साधनों की कमी के कारण कमजोर हो जाए और बदनाम हो जाए। राजस्थान और उत्तर प्रदेश को जहां कांग्रेस का भासन है, काफी रुपया राजीव की सरकार ने दिया लेकिन हरियाणा के साथ भेदभाव बराता गया और बहुत ही कम पैसा दिया। नागालैंड जिसकी आबादी हमारे कुरुक्षेत्र जिले जितनी है उसको को भी काफी पैसा दिया लेकिन हरियाणा को 'न' के बराबर दिया जबकि यहां पर सूखे और वर्षा के कारण काफी तबाही हुई थी। यह केन्द्रीय सरकार की हरियाणा के साथ भेदभाव की नीति है। उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी इस सरकार ने अपने सीमित साधनों से लोगों को बेहतर राहत पहुंचाई। सूखे में लोगों को चारा दिया और बाढ़ में प्रभावित लोगों को राशन दिया, मकानों की मरम्मत के लिए चार-चार सौ रुपए दिए तथा कम्बल लोगों में बांटे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग नम्बर 4 के तहत राजस्व

मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हल्का रादौर यमुना के आसपास का इलाका है। जब यमुना में बाढ़ आती है तो पन्द्रह बीस गांवों को तबाह कर देती है। अगर समय के रहते उस तरफ ध्यान न दिया गया तो वहां यमुना से काफी नुकसान होने की सम्भावना है। मेरा हल्का रादौर बहुत बड़ा हल्का है। उसमें 165 गांव हैं। मैं राजस्व मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि 165 गांवों के इस हल्के को जो इस समय सब-तहसील हैं, तहसील बनाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 8 पर कुछ कहना चाहूंगा। मेरे हल्के की सड़कों की हालत बहुत खराब है और स्कूलों की इमारतें भी बुरी तरह से खस्ता पड़ी हैं, वे गिरने को जा रही हैं। पिछले 40 सालों से वहां से विपक्ष का एम0एल0ए0 ही आता रहा है और वे लोग अपने बैस्टिड इंट्रैस्ट में ही कभी बंसी लाल और कभी भजन लाल की झोली में गिर जाया करते थे और इलाके की बहबूदी के बारे में कभी उन लोगों ने सोचा तक नहीं था। इन्हीं कारणों से मेरे हल्के का विकास अवरुद्ध रहा है। मेरी सरकार ने पिछले 20 महीनों के अन्दर काफी सुधार करने की कोशिश की है लेकिन फिर भी मेरे हल्के के स्कूलों की बिल्डिंग और सड़कों की तरफ सरकार को खास ध्यान देना चाहिये।

अब डिमांड नम्बर 9, जोकि ऐजूके तान के बारे में है, के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। मेरे हल्के के अन्दर कोई कन्या महाविद्यालय नहीं है। इसलिये मैं यह मांग करता हूँ कि बबैन व रादौर के अन्दर एक कन्या कालेज खोला जाए। जिन गांवों की

आबादी 5000 से ऊपर है वहां पर 10+2 सिस्टम को लागू किया जाए और इसके लिये बजट में और प्रोविजन करवाया जाए। अभी गुप्ता जी ने बताया था कि हरियाणा के अन्दर एक और यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। बाबा भीम राव अम्बेडकर जी की 1991 में सैंचरी आने वाली है और अब यहां चौधरी देवी लाल जी की लोकप्रिय सरकार है। चौधरी देवी लाल जी की रहनुमाई में अगर उस युनिवर्सिटी का नाम भीम राव अम्बेदकर यूनिवर्सिटी रख दिया जाए तो हिन्दुस्तान के करोड़ों दलितों की सहानुभूति चौधरी देवी लाल जी के साथ होगी। इनकी जय जयकार होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब डिमांड नम्बर 10 के बारे में कहना चाहूंगा जोकि चिकित्सा से सम्बंधित है। इस बारे में गवर्नर ऐड्रैस पर भी मैं बोला था कि मेरे हल्के के अन्दर चिकित्सा सुविधाएं अब य दी जाएं। अतः मेरी फिर रिकवैस्ट है कि मेरे हल्के में दो हस्पताल खोले जाएं ताकि लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं मिल सकें।

अब मैं नगरपालिकाओं से सम्बन्धित कुछेक बातें यहां कहना चाहता हूं। अभी म्यूनिसिपल इलैक्शन में नया बलड चुनकर आया है और वह सोचता है कि अपने-अपने हल्कों के उत्थान के लिये कुछ न कुछ अब य करेंगे। आज उन्हीं में से प्रैजीडेंट्स भी है, वार्ड्स प्रेजीडेंट्स भी बन चुके हैं लेकिन सरकार ने उनको किसी भी प्रकार की कोई पावर्ज नहीं दी है जिस से वे अधिकारियों पर कुछ अंकुश लगा सकें। जब इन म्यूनिसिपल

कमि नर्ज से हम बात करते है। तो वे हमें जवाब देते है। कि भाई हम क्या करें, हमें तो किसी भी प्रकार की सरकार की तरफ से पावर नहीं दी गई। सब कुछ सी0ई0आज0 के हाथ में ही है। वह जो कुछ करे, वही होती है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी म्यूनिसिपल कमेटियों के प्रैजीडैन्ट्स हुआ करते थे, कमि नर्ज हुआ करते थे। उनका हर प्रकार से सभी अधिकारियों पर पूरा दबदबा रहता था। अधिकारी लोग उनकी खूब आओ भगत करते थे लेकिन आज सारा मामला इसके बिल्कुल विपरीत है। सी0ई0ओज0 के पास सारी ताकत है और वे प्रैजीडैन्ट्स और कमि नर्ज को कुछ नहीं समझते। उल्टा अपने कर्मचारियों को भड़काते हैं और हड़तालें करवाते हैं। अगर आज किसी मामूली कर्मचारी से हम बात करें तो वह भी यही कहता है कि प्रधान के हाथ में क्या है। जो सी0ई0ओ0 है वही मालिक हैं। हम जो कुछ भी करें, प्रधान हमारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिये आजकल के जो कमि नर्ज हैं वे धक्के खा रहे हैं। अतः मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि यह जो सी0ई0ओज0 की बीमारी सरकार ने इनके ऊपर थोप रखी है इसको उनके ऊपर से हटाया जाए ताकि लोकतंत्र में लोगों की आस्था रह सके। सरकार से मेरी यह भी अपील है कि पहले जिस तरह से म्यूनिसिपल कमि नर्ज और प्रधानों के पास पावर्ज होती थी उसी तरह की पावर्ज उन्हें दी जाए ताकि हल्कों की हालत को सुधारा जा सके। नहीं तो यह होगा कि इसी तरह आपसी खींचातानी में लोगों का काफी नुकसान होगा। इस वक्त यह हालात हैं कि गलियों में कोई स्ट्रीट

लाईट नहीं है। आवारा पतु इधर-उधर फिर रहे हैं और गन्दगी फैला रहे हैं। सड़कों की हालत बहुत खराब है। मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूँ कि हमारे रादौर म्यूनिसिपल भाहर में एक पानी की टंकी का उद्घाटन करने की बात थी। मैंने कहा कि भाई उद्घाटन करवा लो। केवल पत्थर रखने की ही बात थी। जिस पर 100-150 रुपये लगने थे। इसी बात पर आपस में झगड़ा हो गया। हरेक कहने लगा कि आप करवाओ। हम क्या करें हमसे तो तनख्वाह ही नहीं दी जाती। हम कहां से करवायें? केवल 100-150 रुपये का खर्चा ही करना था। उपाध्यक्ष महोदय, 6-6 महीने से तनख्वाह पैडिंग पड़ी है, डेढ़ सौ रुपये कहां से खर्च करें, इतनी बुरी हालत है। कई बार तो वे मेरे को इस्तीफा देने लगे। मेरा इस महान सदन के माध्यम से निवेदन है कि म्यूनिसिपल कमि नर्ज को उनकी पावर दी जाए। जब हमारे सामने उनकी व्यथा आती है तो वाकई उन बेचारों के साथ ज्यादाती होती नजर आती है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बार-बार उनकी हालत को देखते हुए और लोगों का नुमायंदा होते हुए तरस आता है कि हम कहां खड़े हैं और वे बेचारे कहां खड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। हरिजनों को ऊपर उठाने की बात की गई है। ठीक है मैं इसको मानता हूँ लेकिन हरियाणा सरकार के पास और कई ऐसे साधन हैं जिनसे हरिजनों की गरीबी दूर हो सकती है। मैं गुप्ता जी को उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि हरिजन कल्याण निगम की पंचकूला में एक प्रैस है। 25 लाख रुपए की बिल्डिंग का उद्घाटन इन्हीं ने

किया था। लेकिन वह प्रैस काम के लिए तड़पती रहती है। हरियाणा में इतनी कार्पोरेट इंज और बोर्डज हैं। ये कार्पोरेट इन या बोर्ड थोड़ा बहुत छपाई का काम ही सरकार से करवाते हैं बाकी प्राइवेट करवाते हैं, पता नहीं प्राइवेट प्रैस वालों के साथ इनका क्या मामला है? वे लोग हरिजन कल्याण निगम के प्रैस में क्यों नहीं आते, अब पता नहीं हम उनके एप्रूवड सोर्स हैं या नहीं। मैं उस निगम का चयरमैन हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि बिजली बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग की करोड़ों रुपए की छपाई होती है। अगर इनका काम हमारे प्रैस में होने लगे तो बेचारे गरीब हरिजनों का भी फायदा हो सकता है। ऐसा होने से हरिजन कल्याण निगम को करोड़ों रुपए का काम मिल सकता है। इसके साथ साथ हरिजन कल्याण निगम रोडवेज और पुलिस विभाग के लिए जुते बनाती है। यह काम पहले बहुत अच्छा चल रहा था अब पता नहीं क्या कारण है? लोग कहते हैं कि हमारा माल घटिया है। मैं कहता हूँ कि जो भी स्टैंडर्ड पुलिस तथा परिवहन विभाग वाले रख दें, हम देने के लिए तैयार हैं लेकिन माल उनको हमारे माध्यम से खरीदना चाहिए ताकि वह पैसा गरीबों को ऊपर उठाने के लिए लगे। अब प्राइवेट कम्पनी वाले कहीं न कहीं से बात बना कर आ जाते हैं और आर्डर ले जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हमारा माल गोदाम में पड़ा रह जाता है। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। इन भाब्डों के साथ मैं आदरणीय गुप्ता जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इतना बढ़िया बजट पे 1 किया है। धन्यवाद।

श्री दुर्गा दत्त अत्री (राजौंद): आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, बजट अनुदानों को मांगों पर चर्चा चल रही है और इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं मांग संख्या 4 के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। यह मांग राजस्व से संबन्धित है। मैंने बजट पर बोलते हुए एक मांग की थी कि मेरे हल्के में अलेवा गांव को सब-तहसील बनाया जाए। इस बारे में मैंने लिखित रूप में भी सरकार को दिया हुआ है। डिप्टी स्पीकर साहब, एक कानूनगोई पर पहले भी कई तहसीलें बनाई गई हैं। अलेवा गांव में दो कानूनगोई पड़ती हैं जिनमें 28 गांव हैं। यदि अलेवा गांव को सब-तहसील बना दिया जाए तो उस एरिया के गांवों को बड़ी सुविधा हो जाएगी। इस समय कम से कम 30 किलोमीटर का चक्कर काट कर उस एरिया के लाग राजौंद जाते हैं। अलेवा गांव को सब तहसील बनाने से लोगों का वह चक्कर बच जाएगा। अलेवा को सब-तहसील बनाने के लिए नौमर्ज भी पूरे हैं। इसलिये मेरी मांग है कि उसको सब-तहसील बना दिया जाए। जो पीलूखेड़ा सब-तहसील है उसमें बहुत थोड़े गांव पड़ते हैं और वहां पर एक ही कानूनगोई है। इसलिए भी सरकार से मेरा निवेदन है कि अलेवा को सब-तहसील बना दिया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं मांग संख्या 6 के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। यह मांग विभाग से संबंधित है। इसलिए आपके माध्यम से गुप्ता जी से मेरी प्रार्थना है कि अलेवा

में एक सब-ट्रेजरी भी खोल दी जाए। वहां पर कई कामियायल और दूसरे बैंक्स हैं। उनमें काफी ट्रांजैक्शन चलती रहती हैं। इस बारे में भी सरकार गोर करे।

अब मैं मांग संख्या 8 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। यह मांग सड़क तथा भवन से संबंधित है। डिप्टी स्पीकर साहब, कुछ सड़कें बरसात के कारण खराब हो गई हैं। माननीय वित्त मन्त्री जी ने बताया था कि सड़कें खराब होने के कारण लगभग साढ़े 17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था जिसमें से केवल चार करोड़ रुपये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल जाएगा। बाकी पैसा अपने साधनों से उपलब्ध करना पड़ेगा। यह बात भी ठीक है और यह सम्भव भी नहीं है कि जितनी सड़कें बरसात के कारण खराब हुई हैं उन्हें एक साल में ठीक कर दिया जाए। माननीय वित्त मन्त्री जी ने यह बताया था कि उन सड़कों की प्रायोरिटी बेस पर मरम्मत करवाई जाएगी जो बहुत ही जरूरी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो सड़कें बनी हुई हैं उनमें से गैर जरूरी सड़क कोई भी नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सभी सड़कों की मरम्मत करवाई जाए, चाहे इसके लिए बजट में ज्यादा पैसे का प्रावधान करना पड़े। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ गांव ऐसे हैं जो सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं और वह केवल दो-दो और तीन-तीन किलोमीटर के टुकड़े हैं यदि उनको बना दिया जाए तो लोगों को जो एक दूसरी जगहों पर आने जाने के लिए 15-15 और 20-20 किलोमीटर का चक्कर

काटना पड़ता है वह चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी। ऐसी सड़कों के निर्माण की तरफ सरकार को गौर करना चाहिए। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जो लम्बे रूट की बसें हैं वे कई गांवों के बीच में से हो कर गुजरती हैं यानी आधा गांव एक तरफ पड़ता है और आधा गांव दूसरी तरफ पड़ता है। वे बसें बड़ी स्पीड से चलती हैं। कई बार उनके नीचे बच्चे या पशु आ जाते हैं और ऐक्सीडेंट्स हो जाते हैं इसलिए मेरी प्रार्थना है कि ऐसी सड़कें जिन पर लम्बे रूट की बसें चलती हैं और गांवों के बीच से गुजरती हैं उन पर स्पीड ब्रेकर लगवाए जाएं ताकि ऐक्सीडेंट्स न हों। मेरे हल्के में कई गांव ऐसे हैं जो चण्डीगढ़ से लिंक करते हैं। मैंने उन गांवों में सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगवाने के लिए लिखित रूप में कई बार सरकार से अनुरोध किया है और संबंधित विभाग से भी अनुरोध किया है लेकिन उस बारे में अमल नहीं किया गया। मेरी प्रार्थना है कि यह तो सारे हरियाणा प्रदेश की मांग है कि जहां पर ऐसी रोड़ हैं जिन पर लम्बे रूट की बसें चलती हैं और जो गांव के बीच में से गुजरती हैं, वहां पर स्पीड ब्रेकर अवश्य बनाए जाएं।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं मांग संख्या 9 के बारे में अपने विचार रखना चाहूंगा। यह मांग शिक्षा विभाग से संबंधित है। पिछले सत्र में मैंने सरकार से मांग की थी कि देहाती इलाकों में कुछ मॉडल स्कूल खोले जाएं। यदि देहातों में कुछ

मौडल स्कूल खोल दिए जाए तो शिक्षा में असमानता नहीं रहेगी। डिप्टी स्पीकर साहब, कुछ तो देहात के बच्चे वैसे ही नहीं पढ़ते। अगर देहात के बच्चे ठीक ढंग से पढ़ना चाहें तो उनको अच्छा अवसर नहीं मिलता। मेरा निवेदन है कि सरकार देहातो में भी कुछ मौडल स्कूल जरूर खोलें ताकि देहाती बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के में टैन-प्लस-टू प्रणाली का स्कूल अपग्रेड किया जाए। मेरे हल्के में 10-12 गांव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी आबादी भी काफी है। इसलिए वहां पर लड़कियों के लिए टैन-प्लस-टू प्रणाली का स्कूल अपग्रेड किया जाए ताकि लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो सके क्योंकि लड़कियों के मां बाप अपनी लड़कियों को गांव से दूर पढ़ने के लिए भेजने में संकोच करते हैं। मेरे हल्के में नगुरा, किठाणा, डाठरत और अलेवा बहुत बड़े बड़े गांव हैं, वहां पर लड़कियों के लिए टैन-प्लस-टू प्रणाली का स्कूल अपग्रेड किया जाए। इसके अलावा, मेरे हल्के के गांव बधाना के प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करके मिडल स्कूल बनाया जाए। उस स्कूल के बच्चों की संख्या 700 के करीब है। उस स्कूल में 10-10 और 11-11 साल के बच्चों को बहुत लम्बा रास्ता तय करके आना जाना पड़ता है जिसके कारण छोटे छोटे बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। इस तरफ सरकार को गौर करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के संडील गांव में स्कूल की एक बिल्डिंग है और वह बिल्डिंग सारी भार्ते पूरी करती है जो शिक्षा विभाग द्वारा किसी बिल्डिंग को टेक ओवर करने के लिए लगाई जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि शिक्षा विभाग उस बिल्डिंग को अपने कब्जे में लेकर संडील गांव में जो इस समय मिडल स्कूल है, उसे अपग्रेड करके वहां पर हाई स्कूल बना दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग में कुछ स्कूल अभी भी ऐसे हैं जो पी0डब्ल्यू0डी0 की बुक में नहीं आते और उन स्कूलों की हालत बहुत ही खराब और खस्ता है। उन स्कूलों की छतें टूटी हुई हैं और जब बारिश आती है तो छतों से पानी टपकने लगता है जिस कारण बच्चों की बारिश के दिनों में छुट्टियां करनी पड़ती हैं। छुट्टियां होने से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिन स्कूलों की छतों की खराब हालत है और जो गिरने को हो रही हैं, उन्हें गिरने से बचाया जाये और उन स्कूलों की छतें व बिल्डिंगों ठीक करवाई जायें। यदि इन बिल्डिंगों को ठीक नहीं करवाया गया तो कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इसलिए मैं पुनः सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे स्कूलों की छतें व बिल्डिंगज तुरन्त ठीक करवाई जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग संख्या 10 पर बोलना चाहता हूं। मैंने पहले भी बोलते हुए कहा था कि सरकार लोगों को चिकित्सा सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध करवाये। मैंने यह भी कहा था कि विशेष तौर पर देहातों में चिकित्सा की पूरी व्यवस्था

नहीं है। अगर कहीं पर देहात में चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो भी जाती है तो वहां पर कोई डाक्टर जाने के लिए तैयार नहीं होता। कोई डाक्टर देहात में जाने के लिए इसलिए तैयार नहीं होता क्योंकि जितनी सुविधाएं एक डाक्टर को भाहर में उपलब्ध होती है उतनी सुविधाएं देहात में उस डाक्टर को नहीं मिलती। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि देहातों में भी डाक्टरों को भेजने के लिए उन्हें अधिक से अधिक सुविधायें दे ताकि कोई भी डाक्टर देहात में जाने से न हिचकिचाये। उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टरों की हड़ताल के बारे में अखबारों में भी आया है। यह एक गम्भीर बात है। अगर ये डाक्टर किसी बात पर बिगड़ रहे हैं या उनकी कोई समस्या व दिक्कत हैं तो सरकार को उनकी सामूहिक समस्या पर उनसे विचार कर लेना चाहिए इससे जो हड़ताल उन द्वारा की जा रही है, उसको टाला जा सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आज देहात के अन्दर काफी लोग आर्युवैदिक और यूनानी डाक्टरी की प्रैक्टिस करते हैं और वे इस नाजायज प्रैक्टिस का लाईसैंस लेने के लिए इधर उधन फिरते हैं। इन लोगों ने अपने लाईसैंस लेने के लिए सभी विधायकों से भी अनुरोध किया हुआ है कि हमारी मांग सरकार के नोटिस में ला कर हमें लाईसैंस दिलवाए जायें। इस संबंध में मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ऐसे डाक्टरों को कोई ट्रेनिंग दे कर उन्हें लाईसैंस दे दिए जायें। ऐसा करने से वे लोगों की सेवा भी कर सकेंगे और फिर सरकार को फीस भी मिलेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यदि

सरकार द्वारा मेरे इन सुझाव पर विचार कर लिया जाये तो अच्छी बात होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग संख्या 15 पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। मेरे हल्के में एक भडाना मार्डनर खुचराना कलां तक है। यह मार्डनर नहर विभाग की जुरिस्टिडक् न में आती है। इस मार्डनर की समस्या के संबंध में मैंने कई बार लिख कर भी दिया है। इस मार्डनर पर लकड़ियों का एक पुल बना हुआ है और दूसरे इस पुल पर आवागमन बहुत अधिक रहता है। इस पुल से गुजरते समय कई बार पंजु भी मर जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहां पर एक पक्का पुल तुरंत बनवाया जाये ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो सके। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में एक राजौंद नाम से डिस्ट्रिब्यूटरी है। इस डिस्ट्रिब्यूटरी पर पुल तो बना हुआ है लेकिन उस पुल के किनारे टूटे हुए है। जिसके कारण वहां से बसें गुजरते समय उस डिस्ट्रिब्यूटरी में गिर जाती हैं और जानी व माली दोनों प्रकार का नुकसान होता है। किनारे न होने की वजह से वहां पर हमें गा बसों का गिरने का खतरा बना रहता है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उस पुल की मरम्मत तुरंत करवाई जाये ताकि जो खतरा वहां पर हमें गा बना रहता है वह दूर हो सके।

17.00 बजे

अब मैं मांग संख्या 16 पर बोलना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार छोटे उद्योगों को काफी बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार ने 10-10 हजार रुपये देकर काफी लोगों को लघु उद्योग लगाने के लिए ऋण भी दिया है। इनमें से कितने लघु उद्योग चल रहे हैं और कितनों का विकास हुआ है, तरक्की हुई है, उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री विप्र गद पदासीन हुए) सभापति महोदय, इन लघु उद्योगों के लिए मैंने अलग से डायरेक्टोरेट बनाने की मांग की थी ताकि लघु उद्योगों के लिए अलग डायरेक्टोरेट होने पर जो लोग कोई भी लघु उद्योग लगाना चाहते हैं या अपना काम करना चाहते हैं उन्हें सभी बातों की जानकारी वहीं से मिल सकेगी और वे अपना काम अच्छी प्रकार से कर सकेंगे। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन लघु उद्योगों के लिए एक अलग से डायरेक्टोरेट बनाया जाये। किस चीज के लिए कौन सा बाजार है, कौन व्यक्ति कैसे काम चला सकता है, कहां से उसे कच्चा माल मिल सकता है। इन सब बातों की जानकारी देने के लिए चेयरमैन साहब, अलग छोटे उद्योगों के लिए एक अलग डायरेक्टोरेट खोल दिया जाए तो दो डायरेक्टोरेट हो जायेंगे और छोटे और लघु उद्योग स्थापित करने में मदद मिलेगी। चेयरमैन साहब, मैंने पहले भी लिख कर प्रार्थना की है कि मेरा इलाका कृषि पर निर्भर है। जिला जीन्द में राजौन्द समेत आठ ब्लॉकस हैं तथा सात कांस्टिचुएन्सीज हैं। ब्लॉक राजौन्द को छोड़ कर इस इलाके को इण्डिस्ट्रियली बैकवर्ड

घोशित किया गया है लेकिन कौन सी ऐसी बात हुई कि ब्लौक राजौंद को इण्डिस्ट्रियली बैकवर्ड घोशित नहीं किया गया। मैंने देखा कि कई ऐण्टरप्राइज ने जमीनें खरीदीं, छोटे-छोटे बोर्ड हमने लगे देखे। हमने सोचा कि उद्योग लगने से कुछ लोगों को तो रोजगार मिलेगा, रोजगार के साधन मिलेंगे, लोगों को ऊपर उठने का अवसर मिलेगा और रोजगार मिल जाने से उनकी स्थिति सुधरेगी लेकिन उद्योग नहीं लग पाए। पता नहीं किस कारण उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी जिससे कि वे छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करना चाहते थे, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया और वे अपने उद्योग स्थापित नहीं कर पाये। चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरी इस मांग और प्रार्थना पर भी गौर कर लिया जाए।

चेयरमैन साहब, मांग नं० 17 कृषि से ताल्लुक रखती है। पिछले सै। न में भी माननीय मंत्री महोदय ने आवासन दिया था कि तीन गांव किठाना, नगूरा, ढाठरत में परचेज सेंटर मंजूर हुए हैं? जिनके लिए इस वक्त 15-15 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। चेयरमैन साहब, दो गांव नगूरा और ढाठरत बहुत बड़े हैं और वहां पर भी परचेज सेंटर खोलने का आवासन दिया गया था लेकिन अभी तक वहां पर काम भुरु नहीं हुआ। अगर उन पर भी कार्यवाही चालू कर दी जाए तो किसानों को अपनी जिन्स वहां पर ले जाने में फायदा मिलेगा और इस इलाके के गांवों को काफी लाभ भी होगा। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष

महोदय, अलेवा में मण्डी है और कुछ छोटे परचेज सैंटर्ज उसके नीचे हैं। अगर इसे प्रिंसिपल यार्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए और उसके बाद मार्किट कमेटी बना दी जाए तो हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा। हमारे इलाके में फीस का पैसा पीलूखेड़ा तथा जीन्द में चला जाता है। हमारे इलाके में 43 गांव हैं जो कि काफी बड़े हैं लेकिन हमारे खुद का पैसा हमारे इस्तेमाल में नहीं आता। यदि अलेवा सब-यार्ड को बड़ा कर दिया जाए और प्रिंसिपल यार्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हमारी कमेटी बन सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस के बाद मैं वन मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जीन्द के अन्दर हमारे यहां एक बहुत बड़ा बीहड़ है जिसका रकबा करीब 1100 एकड़ के लगभग है। इतना बड़ा बीहड़ सारे हरियाणा के अन्दर भायद कही भी नहीं है। इसके साथ चितंग नदी और वैस्ट जमुना नहर लगती है, यदि इस एरिए को नेचुरल जू में कन्वर्ट कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। इस इलाके में हमें एक और बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह बहुत बड़ी समस्या नील गाय है। नाम तो इसका नील गाय है लेकिन वास्तव में यह बहुत भयंकर जानवर है जिससे किसान को कोई लाभ नहीं बल्कि नुकसान होता है। इन सब को इक्ठ्ठा करके इस बीहड़ में छोड़ कर नैचुरल जू बना दिया जाए और दूसरे बड़े जानवर भी वहां पर छोड़ दिए जाएं तो यह एक हिस्टोरिकल जगह बन जाएगी। इसके साथ ही साथ सरकार की आय में बढ़ौतरी भी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं मांग संख्या 24 जो कि टूरिज्म से ताल्लुक रखती है, के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पिछले दिनों भी मैंने इस की मांग की थी। दो पार्टियों की इस संयुक्त सरकार को लाने में जीन्द जिले का संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें जिला जीन्द के बहुत सारे लोगों ने बड़ा काम किया था। वहां पर एक टैनरी बनायी गई थी। वह टैनरी 11 साल त घाटे में चलती रही। जब उसके बेचने की बात आयी तो हमने कहा था कि इसे न बेचा जाए क्योंकि 300-400 आदमी बेकार हो जाएंगे लेकिन इसके बावजूद भी वह टैनरी बेच दी गई। इस बारे में मेरा निवेदन है कि उन लोगों की क्षतिपूर्ति के लिए वहां पर ऐसी चीज दे दी जाए ताकि उन लोगों को रोजगार मिल सके। टैनरी के जाने से जो लोग बेकार हुए हैं उनको रोजगार मिल जाए।

दूसरी चीज एक और भी अर्ज करना चाहता हूँ कि जिला जीन्द के अन्दर वहां के लोगों को रिवार्ड के तौर पर कोई ऐसा कारखाना दिया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके क्योंकि वहां के लोगों ने न्याय-युद्ध के समय जो चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में चला था, बड़ा बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। उस न्याय युद्ध को उन लोगों ने सुल बनाया था। वह समस्त हरियाणा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वहां कारखाना लगाने से उन लोगों का उत्साह बढ़ेगा और जो वहां पर बेकार

लोग हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। इसलिए जो उन्होंने उत्साह दिखाया था उसके लिए वहां पर कोई कारखाना लगाया जाए।

जिला जीन्द में कई गांव बड़े ऐतिहासिक हैं जैसे रामराय पिंडारा, कलायत और स्वयं जीन्द भी बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। वहां पर महाराजा जीन्द ने जो भूते वर तालाब बनाया था, उस तालाब को जिन लोगों ने देखा है वह बिल्कुल हू-बहू अमृतसर के हरमन्दिर गुरुद्वारे यानी गोल्डन टैम्पल में जो तालाब है, उसकी तरह है। यह बड़ा ही ऐतिहासिक है। पिछली सरकार ने वहां पर काम शुरू किया था। हमारे से पहले जो पूर्व विधायक जीन्द से ताल्लुक रखते थे उन्होंने वहां पर काम शुरू कराया था। वहां के लिए काफी पैसा मंजूर किया गया था, पता नहीं वहां पर वह पैसा क्यों नहीं लगा? इसलिए उसे विकसित किया जाए। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में विकास बोर्ड बनाया गया है, इसी प्रकार से जीन्द में भी बनाया जाए। (विघ्न) इसे ऐग्री करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर ऐसा कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी। वहां के लोग इस सरकार के साथ हैं। उन्होंने उस टाईम पर इस सरकार का बड़ा सहयोग दिया था। इसलिए वहां पर विकास बोर्ड अब य बनना चाहिए। इन भाब्डों के साथ जो सन् 1989-90 की मांगे हाउस में रखी गई हैं उनका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और उप-मुख्य मन्त्री जी का और अधिकारियों का जिन्होंने ये तैयार की हैं, उनका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री निव प्र ताद (अम्बाला भाहर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले डिमान्ड नम्बर 4 की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के जिन दो जिलों में रजिस्ट्री बन्द की गई है वहां पर अब सरकार की ओर से स्टैम्प ऑडिटर बैठा दिए गए हैं। यह ठीक बात है कि उनके बैठाने से सरकार को कुछ आमदनी हुई होगी लेकिन उससे करणान बढ़ी है। मैं आपके द्वारा हाउस के सामने एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक आदमी जिसकी रजिस्ट्री हुए तीन साल हो गए हैं उसको समन भेज कर बुला लिया गया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब रजिस्ट्री स्वीकार हो जाती है तो उसके बाद भी उस आदमी के लिए नयी परेगानी क्यों पैदा की जाती है? इस बात पर सरकार को जरूर गौर करना चाहिए। सरकार की थोड़ी आमदनी की वजह से करणान अधिक हो गई है। सरकार ने करणान को खत्म करने के लिए कहा है लेकिन वह बढ़ रही है। इस बात पर सरकार जरूर विचार करे। कांग्रेस के वक्त में तहसीलदार एक परसैन्ट लेते थे लेकिन अब दो परसैन्ट ले रहे हैं। जब हमारी सरकार आ गई है तो उसके बाद भी करणान बढ़े यह अच्छी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अम्बाला ब्लॉक के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूँ। 35-40 से अधिक गांव एक ब्लॉक में होने के कारण डिवैल्पमेंट के हिसाब से अम्बाला ब्लॉक पिछे रह गया है। इसे दो भागों में बांट दिया जाए ताकि अम्बाला ब्लॉक की भी

तरक्की हो सके। ज्यादा गांव होने के कारण अम्बाला ब्लॉक की डिवैल्पमेंट रूकी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, डिमान्ड नम्बर 5 के बारे में केवल एक बात कहना चाहूंगा। बैरियर पर कभी-कभी पैनेल्टी लगायी जाती है। पैनेल्टी के बारे में अपील की जाती है और उसका फैसला हो जाता है लेकिन फैसला होने के बाद जब नकल के लिए ऐप्लार्ड किया जाता है तो नकल देने में बहुत टाईम लिया जाता है। नकल देने का टाईम फिक्स होना चाहिए। मैं हाउस के सामने कालका-पिंजौर के एक व्यापारी का उदाहरण देना चाहता हूं। सन् 1978 से उस व्यापारी ने 14 हजार रुपया वापिस लेना है। उस व्यापारी को इन्ट्रैस्ट तो छोड़िए, असली रुपया भी वापिस नहीं मिला है। और भी ऐसे उदाहरण होंगे। फैसले की नकल दस दिन या हफ्ते में मिलनी चाहिए। अगर इतने समय में नकल मिलेगी तो जो पैसा पैनेल्टी के रूप में लिया गया है वह भी वापिस हो जाएगा।

वैसे तो मैंने सड़कों के बारे में बोल दिया है लेकिन एक बात जिसको मैं अब य कहना चाहता हूं वह यह है कि जगह-जगह सड़कों के मामले में हम पी0डब्ल्यू0डी0 वालों की लापरवाही देखते हैं। जब सड़क बनाने के लिए या उसकी मरम्मत करने के लिए तय हो जाता है तो उसके किनारों पर रोड़ी वगैरा डाली जाती है। वह या तो सड़क को चौड़ा करने के लिए होती है या फिर उसकी रिपेयर करने के लिए होती है। अकसर यह देखने

में आया है कि रोड़ी गिरने के महीनों प चात तक वहां पर कोई काम भुरू नहीं किया जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि रोड़ी वहां पर बिखरती रहती हैं और आखिर में बिल्कुल न के बराबर रह जाती है। जो अकसर बात खटकती है, वह यह है कि बजरी तो वहां पर गिर जाती है लेकिन वह बजरी कई बार लोग उठा ले जाते हैं, कई बार इधर-उधर बिखर कर कम हो जाती है। मेरा कहना यह है कि जब सड़क बनाने के लिए एक बार तय हो गया तो उस सड़क को 8-10 दिन के अन्दर-अन्दर बनाना भुरू कर देना चाहिए। अगर हम 8-10 दिन के अन्दर बनाना भुरू करेंगे तो एक तो रोड़ी गिरते ही काम पर लग जाएगी, दूसरे सड़क की मुरम्मत ठीक से हो सकेगी और तीसरे जो नुकसान उसके वहां पर पड़ रहने की वजह से होता है, वह भी बच जाएगा।

शिक्षा के बारे में भी मैं कुछ जरूर कहना चाहूंगा। स्कूलों में जब ऐडमिशन का सवाल आता है तो आम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जहां ऐडमिशन लेना चाहते हैं, वहां पर उनको ऐडमिशन नहीं मिल पाता। इस वक्त तो जगह-जगह पब्लिक स्कूलों का जाल बिछता जा रहा है। मैं सरकार से कहूंगा कि पब्लिक स्कूलों को बिजनैस का अड्डा नहीं बनने देना चाहिए। आज कल ये पब्लिक स्कूल बिजनैस का अड्डा बनते जा रहे हैं। हमारी सरकार को इन पब्लिक को डिमोरेलाईज ही नहीं करना चाहिए बल्कि यह भी देखना चाहिए कि हमारे स्कूलों में शिक्षा के

मामले में पूरी फ़ैसिलिटीज दी जाएं। हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा की दृष्टि से परिपूर्ण बनाकर इस काबिल बनाना चाहिए कि वे आम कंपिटिशन में भागमिल हो सकें और उनको सफलता प्राप्त हो सके। जहां तक स्कूलों के अपग्रेड करने का सवाल है, यह बात ठीक है कि पिछले दिनों में भायद कुछ थोड़े ही स्कूल अपग्रेड किए गए हैं लेकिन मेरे हल्के के अन्दर 10-10, 20-20 और 30-30 प्राइमरी स्कूलों के बीच में भी कई जगह पर कोई मिडल स्कूल नहीं है। कांग्रेस के भासन काल में भी अम्बाला जिले की ओर कोई विशेष रूप से अम्बाला भाहर की ओर इस मामले में कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए मेरा कहना यह है कि जहां पर 3, 4, 5 या 6 प्राइमरी स्कूलों के बीच में कोई स्कूल ऐसा न पड़ता हो, वहां पर कम से कम एक स्कूल को जरूर मिडल स्कूल अपग्रेड करना चाहिए। लड़के तो कहीं न कहीं पर पढ़ने के लिए चले जाते हैं लेकिन लड़कियों के लिए दिक्कत होती है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी इस सरकार ने बच्चियों की शिक्षा के लिए एक नयी स्कीम बनाकर इस ओर ध्यान दिया है। तीन चार गांवों के बीच में एक गांव मानोपुर है। वहां पर 4-5 प्राइमरी स्कूल हैं। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अगर उनके बीच में मिडल स्कूल बना दिया जाए तो आस-पास के 4-5 गांव के बच्चों को यह सुविधा हो जाएगी कि वह पास ही में मिडल यानी आठवीं तक अपनी शिक्षा वहीं से प्राप्त कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप अम्बाला भाहर से भली भांति परिचित हैं। रेलवे लाईन के दूसरी तरफ कोई भी बच्चियों का मिडल स्कूल नहीं है।

वहां से पांचवीं कक्षा पास करने के बाद बच्चे को वहां से लाईन पार करके आना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि रेलवे की लाईन क्रॉस करके आना पड़ता है। पिछले दिनों ही की बात है कि एक बच्चा लाईन क्रॉस कर रहा था, वह गाड़ी के नीचे आ गया। मेरा कहना यह है कि रेलवे लाईन के पार जो मोती नगर का प्राइमरी स्कूल है, अगर उसको मिडल स्कूल बना दिया जाए तो उसके आस-पास के देहातों के, जैसे सलारसा, कालूमाजरा, सिंहावाला, रतनगढ़, के बच्चे जो अब रेलवे लाईन क्रॉस करके दूसरे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, वे वहां पर ही आठवीं तक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। मैंने पहले बोलते हुए भी उसी गांव का था कि कालका के हल्के में एक गांव पड़ता है खेत पराली। मैं भी उसी गांव का रहने वाला हूं। उस गांव के साथ साथ कम से कम 7 प्राइमरी स्कूल हैं। वहां से पांचवीं कक्षा पास करने के बाद बच्चों को 7-8 किलोमीटर दूर अगली शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है। अगर इस खेत पराली के प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड कर दिया जाए तो आस-पास के गांवों के बच्चों को अढ़ाई किलोमीटर तक तो आना पड़ेगा लेकिन उनको यह सुविधा प्राप्त हो जाएगी। कालका हल्के के एक दो दूसरे स्कूल जो अपग्रेड होन हैं, अगर उनके साथ ही इस को भी अपग्रेड कर दिया जाए तो अच्छा होगा। स्पीकर साहब, अम्बाला एजूके इन सैन्टर है और डिस्ट्रिक्ट प्लेस है और वहां पर सनातन धर्म सभा की ओर से जमीन मिल सकती है। उनसे जमीन लेकर अगर मैडिकल कालेज या इंजीनियरिंग कोलेज खोल दिया जाए तो बहुत लाभ हो सकता

है। आस पास के बच्चे वहां पर दाखिला ले सकते हैं। ऐजूके इन सैन्टर होने के कारण बच्चों को दाखिला लेने में आसानी होगी। अध्यक्ष महोदय, प्राईवेट स्कूल के जो अध्यापक हैं उनके बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, होना यह चाहिए कि टीचर के लिए यह आवश्यक हो कि वह टीचिंग के ही काम में लगा रहे और बच्चों का जीवन बनाने में लगा रहे। उनको अपनी बात मनवाने के लिए सड़क पर न आना पड़े। प्राईवेट स्कूलों को 95 प्रतिशत ग्रांट दी जानी चाहिए और टीचर्स को तनखाह सरकारी खजाने से मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं डिमाण्ड नम्बर 13 पर ज्यादा न कहते हुए एक बात कहना चाहता हूं। सरकार लोगों को कर्जा देकर उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहती है लेकिन उसमें गड़बड़ होती है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। किसी ने एक भैंस के लिए कर्जा लिया और हम सभी जानते हैं कि भैंस बहुत कम लोग खरीदते हैं। सारा काम फर्जी किया जाता है और कोई आदमी भैंस नहीं लेता। बल्कि डाक्टरों भैंस की मौत का सर्टिफिकेट अपनी जेब में लिए घूमते हैं। न भैंस खरीदी जाती है और न ही भैंस मरती है। सरकार इन लोगों को अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने और जीवन निर्वाह के लिए कर्जा देती है लेकिन जब उसका ठीक उपयोग ही न हो तो जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठेगा? सरकार एक एम को सामने रखकर आम आदमी की मदद करती है कि वह एक या दो भैंस खरीदकर अपने बच्चों का जीवन निर्वाह

कर सके लेकिन इसका लाभ उन लोगों को नहीं मिल रहा है जो इसके लिए कर्जा लेते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि जिस आदमी ने भैंस के लिए कर्जा लिया है वह अब यही भैंस खरीदे। इसका नतीजा यह होगा कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और सरकार का ध्येय भी पूरा होगा।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अस्पतालों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आमतौर पर हम अस्पताल बनाते जा रहे हैं। हमने अस्पताल की बिल्डिंग तो बना दी है लेकिन वहाँ पर डाक्टर नहीं होते। डाक्टर न होने से लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए वह राहत नहीं मिलती। डाक्टर के न होने से लोगों की समस्या हल नहीं होती। मेरी प्रार्थना है कि डाक्टर अस्पतालों में अब यलगाए जाएं। अगर कोई कपल केस है तो दोनों को एक ही जगह पर लगा दिया जाए। ऐसा करने से पत्नी और पति एक साथ रह सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अर्बन डिवैल्पमेंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के भासनकाल में भाहर में रहने वाले लोगों को कुछ धोखे में रख दिया गया। जब हाउस टैक्स का सवाल आया तो लोगों को यह कहा गया कि रैन्टल वैल्यू सौ रुपए प्रति माह के हिसाब से बारह सौ रुपए माफ कर दी जाएगी। मतलब यह है कि लोगों को कह दिया गया कि इतनी टैक्स माफी है लेकिन सरकार ने बारह सौ रुपए साल की माफी की बजाए एक

हजार रुपए प्रति वर्ष की माफी दी। जिन लोगों की रैन्टल वैल्यू एक हजार और बारह सौ रुपए के बीच में थी उन पर टैक्स लग गया और उनको इस बात का उस वक्त पता लगा जब उनकी अपील का समय निकल गया। मेरी प्रार्थना है कि मंहगाई बढ़ने के कारण रैन्टल वैल्यू एक हजार से बढ़ाकर दो सौ रुपया महीना यानी चौबीस सौ रुपए साल की माफ कर दी जाए ताकि उन लोगों को जिनके साथ ज्यादाती हुई है उनको राहत मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिवैल्पमेंट चार्जिज के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: कृपया वाइड अप करें।

श्री विप्रताप: अध्यक्ष महोदय, बस मैं अभी खत्म करता हूं। सरकार ने डिवैल्पमेंट चार्जिज के रेट बढ़ाए हैं। ठीक है, लेकिन इस बारे में मेरी प्रार्थना है कि डिवैल्पमेंट चार्जिज सारे प्लॉट पर न लिए जाएं बल्कि केवल फ्रंट पोर्न पर ही यदि डिवैल्पमेंट चार्जिज लिए जाएं तो अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, इतना ही कह कर मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री कुन्दन लाल भाटिया (फरीदाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले डिमांड नम्बर 4 पर कुछ कहना चाहूंगा। फरीदाबाद जिला बना हुआ है और वहां पर ट्रैजरी भी है लेकिन वहां पर एक रुपए से लेकर 15 रुपए तक के कोई स्टैम्प पेपर्ज उपलब्ध नहीं हैं। मेरे विचार में अभी फरीदाबाद जिला कंफर्म नहीं हुआ है

जिसके कारण से लोगों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और लोगों की दिक्कतों को दूर करना चाहिए।

अब मैं डिमांड नम्बर 5, जो कि सेल्ज टैक्स से सम्बन्धित है, पर अपने विचार रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, कुछेक चीजें ऐसी हैं जिनका निर्माण तो हरियाणा के अन्दर होता है लेकिन जब वह चीज बनकर तैयार हो जाती है तो उसका सारा सेल्ज टैक्स सैन्ट्रल सरकार ले जाती है। फरीदाबाद के अन्दर एक कैल्सीनेटर फैक्टरी है। वहां बिजली हरियाणा की जलती है, हरियाणा के वर्कर वहां काम करते हैं, और भी बहुत सी आवयक चीजें हैं जिनका प्रयोग वहां पर किया जाता है लेकिन जब वहां से फ्रिज तैयार होकर मार्किट में पहुंचता है तो उसका सारा लाभ टैक्स के रूप में दिल्ली वाले ले जाते हैं। इसलिए हमारी सरकार को इस बात पर अंकुश लगाना चाहिए ताकि इसका सारा सेल्ज टैक्स हरियाणा को आए और हरियाणा का राजस्व बढ़े। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अभी और नहीं तो कम से कम एक परसैन्ट सेल्ज टैक्स की कमी कर दी जाए ताकि लोगों को बाहर दिल्ली जाकर माल न खरीदना पड़े और वे अपने हरियाणा के अन्दर से ही खरीदारी करें ताकि उस सेल्ज टैक्स का सारा पैसा हरियाणा के खजाने में ही जाए।

अध्यक्ष महोदय, अगर आज हम चण्डीगढ़ से कार खरीदें तो हमें 4 परसैन्ट सेल्ज टैक्स देना पड़ेगा और अगर हम हरियाणा

से कार खरीदें तो हमें 10 परसेंट सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। कोई इस तरह की सरकार की स्कीम बनानी चाहिए जिससे हरियाणा के राजस्व पर बुरा असर न पड़े। एक परसेंट सेल्स टैक्स हम अगर हरियाणा में कम कर दें तो हर लिहाज से हमारे हरियाणा को काफी फायदा हो सकता है।

इसके साथ साथ मैं आग्रह करूंगा कि फार्म 38 को हटा दिया जाए। इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है बल्कि लोगों को इसके रखने से काफी परेशानी हो रही है। सरकार कहती है कि इसके लगाने से लोग चोरी नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ कि इसके कारण से लोग ज्यादा चोरियां करेंगे। लोग हेराफेरी से अपने आपको बचा लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं ट्रक का ट्रक पास करवा लेता हूँ, आप रोक कर दिखाइए। जिस प्रकार से प्रैक्टिकल पर टैक्स कम करने से सरकार को काफी फायदा हो रहा है उसी तरह से इस फार्म को हटाने से हो सकता है क्योंकि इस फार्म 38 के लगाने से सरकार को कई गुना टैक्स नहीं मिल रहा है। अतः मेरा बार बार अनुरोध है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे ताकि टैक्स की चोरी न हो सके।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 8 पर कहना चाहूंगा। फरीदाबाद में सैक्टर 2, 3 और 4 की जो रोडज हैं उन सड़कों की रिपोयर आज तक नहीं हुई है। फिर डबवा कोलीनी से लेकर गांव नगली तक आधी रोड बनी हुई है। इसलिए मेरी

रिक्वैस्ट है कि इन रोडज की तरफ ध्यान दिया जाए और इसके लिए बजट में प्रोविजन रखा जाए।

अब मैं डिमांड नम्बर 9 के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद के अन्दर कुछेक स्कूलों को छोड़कर बाकी स्कूलों की हालत बहुत ही खराब है और उनकी छतों की हालत बहुत खस्ता है। बारि 1 के दिनों में बच्चों को इस डर से छुट्टी करनी पड़ती है कि कीहं छतें गिर न जाए और कहीं नुकसान न हो जाए। पी0डब्ल्यू0डी0 वालों से बात करें तो वे बात ही नहीं करते। वे कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। कुछेक भवनों की दीवारें तो अब य गिर सकती हैं लेकिन छतों की हालत ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, कई स्कूलों के अन्दर दो लाख से लेकर तीन लाख रुपए तक के फण्डज पड़े हैं। उन फण्डज को एक जगह इक्ठठा करके उनको और ग्रांट दी जाए ताकि उन स्कूलों की छतों की मरम्मत करवाई जा सके जिनकी छतें गिरने वाली है। आ 11 है कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी।

इसी तरह से मैं यह भी कहूंगा कि स्कूलों के अन्दर पीने के पानी की भी दिक्कत है। पानी न होने की वजह से बच्चों को तो दिक्कत होगी ही, इसके साथ साथ हरियाली भी नहीं होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि छोटे ट्यूबवैल्ज लगाने का हर जगह पर प्रबन्ध किया जाए ताकि बच्चों को पीने के पानी की सुविधा हो सके और खेतीबाड़ी व हरियाली के लिए भी उस पानी का उपयोग किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 10 के बारे में बोलना चाहता हूँ। फरीदाबाद के अन्दर एक बी०के० हस्पताल है। जिनके नाम से यह हस्पताल है वे चौधरी देवी लाल जी के साथी थे। फरीदाबाद के अन्दर यह हस्पताल 30-35 लाख की आबादी के हिसाब से बना था आज इसकी आबादी 15 लाख गुना बढ़ गई है और आमदनी भी बढ़ी है लेकिन उस हस्पताल का कमरा एक भी नहीं बढ़ा है। पहले इस हस्पताल में 4-5 लाख रुपए की दवाई आती थी आज, 15 गुना आबादी बढ़ने के हिसाब से वहां पर 75 लाख रुपए की दवाई आनी चाहिए लेकिन इसमें भी कोई बढ़ौतरी नहीं हुई। उस हस्पताल की बाउंडरीवाल कुछ तो बनी हुई है और कुछ नहीं बनी। जहां पर बाउंडरीवाल नहीं बनी हुई है वहां पर लोग झुग्गियां डाल कर बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि उन झुग्गी वालों को और जगह दी जाए और वहां पर हस्पताल की बाउंडरीवाल बनाई जाए। वहां पर एक टी०बी० वार्ड है। बाहर सड़क से लेकर उस वार्ड तक पक्का रास्ता कोई नहीं है। इसी तरह से वहां पर जो पोस्ट मार्टम का कमरा है, वहां तक भी पक्का रास्ता नहीं है। मेरा निवेदन है कि इन दोनों जगहों के लिए पक्की सड़क बनाई जाए। अब वहां तक जाने के लिए बहुत मुश्किल आती है। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों दो और एक नम्बर की चार दीवारी तो बना दी गई लेकिन पांच नम्बर डिस्पैन्सरी की चार दिवारी अभी तक नहीं बनाई गई है। मैं चाहता हूँ कि उसकी चार दीवारी जल्द बनाई जाए ताकि लोगों को आराम मिल सके।

डिमांड नम्बर 11 पर मैं यह कहूंगा कि फरीदाबाद के अन्दर पीने के लिए पानी नहीं है। पिछली सरकार के समय हमने रैली की थी और 15 रुपए बजाए 12 रुपए का पानी का बिल करवाया था। हमारी सरकार ने चुनाव के समय यह कहा था कि या तो वहां पर पानी दिया जाएगा वरना पानी का रेट कम किया जाएगा। आज वहां पर दो फुट नीचे पानी मिलता है लेकिन फिर भी परसों तक वहां पर 55 रुपए पानी का बिल लिया जा रहा था, आज का मुझे मालूम नहीं। इससे हमारी सरकार की छवि बिगड़ रही है, इसको रोका जाए। इसके साथ साथ जवाहर कालोनी और डोबा कालोनी है। ये दोनों कालोनीज साथ साथ लगती हैं। एक कालोनी में तो डिवैल्पमेंट चार्जिज 10-40 रुपए लिए जा रहे हैं और दूसरी डोबा कालोनी में 30 रुपए लिए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये चार्जिज एक जैसे होने चाहिए चाहे घटा कर एक जैसे किए जाएं या बढ़ा कर एक जैसे किए जाएं। दोनों का रेट एक जैसा होना चाहिए। इसके अलावा फरीदाबाद में कम्पलैक्स के सामने 15 दिन से वर्कर धरना दिए बैठे हैं लेकिन वहां का ऐडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि बैठे रहो मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि उसका भी फैसला जल्द करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष: भाटिया जी अब आप कृपया बैठिए।

श्री कुन्दर लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मैं एक बात और कह कर अपना स्थान लूंगा। फरीदाबाद के अन्दर एक निक्की-ता गा फ़ैक्टरी है जिसके ऊपर 96 लाख रुपए की चुंगी

है। मैं चाहता हूँ कि जो सरकार का कायदा है चुंगी उसके हिसाब से लगनी चाहिए। इसी तरह से कई फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिनको बाद में चुंगी का पैसा वापिस करना पड़ा। अगर इसी तरह से चलेगा तो फरीदाबाद में कोई काम नहीं चलेगा। धन्यवाद।

श्री उदय भान (हसनपुर-अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, आदरणीय उप-मुख्य मन्त्री जी ने जो बजट अनुदानों की मांगे पे की है उन सभी मांगों के बारे में मैं अपने थोड़े थोड़े विचार रखना चाहूंगा। मैं सबसे पहले मांग संख्या 4 के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। यह मांग राजस्व से संबंधित है। मेरे हल्के में होडल सब-तहसील में 46 पटवार सर्कल हैं जबकि कालका, झज्जर और बावल सब-तहसील में केवल 11, 12 और पटवार सर्कल हैं। होडल सब-तहसील में 50 गांव पड़ते हैं लेकिन वह पूर्ण तहसील नहीं है जिसके कारण वहां के लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि होडल सब-तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा मैं यह बात भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो रजिस्ट्रियों पर रोक लगा रखी है उसके कारण सरकार को रैवेन्यू में हानि हो रही है। हमारे यहां जो रजिस्ट्रियां होनी चाहिए वे दिल्ली में जा कर हो जाती हैं और उसका फायदा दिल्ली को मिलता है क्योंकि हमारे यहां पर सरकार ने रजिस्ट्रियों पर रोक लगा रखी है। इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। मेरा हल्का हसनपुर जमूना के साथ साथ लगाता है। इस बार जब

जमूना में बाढ़ आई तो मेरे हल्के के काफी गांव इससे प्रभावित हुए थे। आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने वहां पर 11 स्टड बनवाने स्कीम मंजूर की थी। अपनी लोकप्रिय सरकार से मेरा निवेदन है कि अगली मौनसून से पहले वहां पर स्टड बनाए जाएं ताकि उन गांवों को बाढ़ से नुकसान न हो। अब मैं सड़क तथा भवनों से संबंधित मांग के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। मेरे हल्के में जो पुरानी सड़कें हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। इसलि सरकार से मेरी प्रार्थना है कि आगे आने वाली बरसात से पहले पहले उन सड़कों की मरम्मत की जाए। मेरा पिछड़ा हुआ इलाका है इसलिए वहां पर सड़कों की मरम्मत भीघ्र की जाए। इसके अलावा, जिन नई सड़कों को बनाने के लिए ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल मिल चुकी है उनको भी भीघ्र बनाया जाए।

अब मैं शिक्षा के संबंधित मांग के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में मेरे हल्के के साथ पूरी तरह से सौतेला व्यवहार होता रहा है। पिछली कांग्रेस सरकार में 1985-86 में होडल गवर्नमेंट कोलेज में साईंस की क्लासिज का ऐडमिशन भुरू हो गया था लेकिन जिस समय चौधरी बंसी लाल की सरकार आई तो उन्होंने होडल गवर्नमेंट कालेज से साईंस का सारा सामान उठवा कर भिवानी में किसी कालेज को दे दिया। वह होडल कालेज के साथ बड़ा अन्याय किया गया था। मैं अपनी लोकप्रिय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां पर साईंस क्लासिज भुरू करने के बारे में विचार किया जाए। इसके अलावा, मैं एक

बात यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के में टैन-प्लस-टू प्रणाली का एक भी स्कूल नहीं है। होडल, हसनपुर और बड़ोली तीन जगहों के लड़के लड़कियों को होडल गवर्नमेंट कालेज में आना पड़ता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि लड़के लड़कियों की बहुत ज्यादा संख्या को देखते हुए वहां पर टैन-प्लस-टू प्रणाली का स्कूल खोला जाए। माननीय शिक्षा मंत्री महोदया ने बताया था कि हरियाणा राज्य में 75 स्कूल अपग्रेड किए गए थे लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फरीदाबाद जिले में एक भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस असन्तुलन को दूर करने के लिए बि हमारे जिले में स्कूल अपग्रेड किए जाए।

अब मैं समाज कल्याण विभाग से संबंधित मांग के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। बजट में हरिजनों को मकान बनाने के लिए जो पांच हजार रुपए इंटरैस्ट फ्री लोन देने की स्कीम है यह राशि बहुत कम है। आज कल पांच हजार रुपए में एक छप्पर भी नहीं बन सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस स्कीम को और उदार बनाया जाए और इस राशि को पांच हजार से बढ़ा कर 10 हजार रुपए किया जाए ताकि गरीब हरिजन कम से कम एक कमरा तो बना सके। मेरे क्षेत्र में गुड़गांव कैनाल से रामपुरखेड़ा और पेलक दो रजवाहे निकलते हैं। कागजों में तो उन दोनों रजवाहों में पानी चलता रहता दिखाया जाता है लेकिन अगर मौके पर जा कर देखा जाए तो उनमें पानी नहीं होता है

और न ही उनकी कभी सफाई हुई है। उस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरा हसनपुर हल्का पिछड़ा हुआ इलाका है उसको इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर किया जाना चाहिए। इन भावों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री बलबीर सिंह चौधरी (फतेहाबाद): स्पीकर साहब, यह सरकार सन् 1987 में चुनी गई थी। उस समय इस सरकार के सामने सबसे बड़े दो मुद्दे थे। सबसे पहले मुद्दा जो हरेक से संबंध रखता था, वह था भ्रष्टाचार बंद और बिजली पानी का प्रबंध। दूसरा मुद्दा हरियाणा के हितों की भलाई का था। उस समय हरियाणा के सियासी हालात कुछ ऐसे थे कि हरियाणा का मुख्य मंत्री राजनीति में आने से पहले भुर्गु में फेरी लगाकर कपड़ा बेचने का व्यापार करता था और बाद में उसने घी व चने का व्यापार किया।

श्री मोहम्मद आसलम खां: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, जो व्यक्ति हाउस से संबंध न रखता हो उनके संबंध में इनकी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ये अन-पार्लियामेंटरी लैंग्वेज बोल रहे हैं। इसलिए इन्होंने व्यापार की जो बात कही है वह रिकार्ड पर नहीं आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: ये व्यापार की बात कर रहे हैं। व्यापार के बारे में कहना कोई बुरी बात नहीं है और इसमें कोई अन-पार्लियामेंटरी भाव भी नहीं है।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, ये तो उनके व्यापार की बात कह रहे हैं। मैं बतलाना चाहूंगा कि जब पुलिस की वर्दी के लिए कपड़ा खरीदा जाता था तो उस कपड़े को खरीदने के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनी हुई थी। उसमें वे कहा करते थे कि मेरे से अच्छा कपड़े की कोई क्या पहचान करेगा? वे कपड़े की खुद सिलैव इन किया करते थे। मैं भाई असलमखां को बताना चाहता हूं कि श्री बलबीर सिंह चौधरी तो उनकी तारीफ कर रहे हैं और तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: स्पीकर साहब, जिस तरह उसने अपनी पावर का मिसयूज किया उसी के कारण बाद में यहां की सभी अपोजी इन पार्टियों ने उसके खिलाफ एक मैमोरेण्डम भी दिया था। उस के समय में सारे हरियाणा में त्राहि-त्राहि मची हुई थी। उस समय कदम कदम पर रि वत ली जाती थी और हर व्यक्ति का बिना रि वत के काम नहीं हो पाता था। उस समय हर नौकरी का मोल पड़ा हुआ था। जमादार की नौकरी भी लेनी हो तो 4 हजार रुपए देने पड़ते थे। इसी प्रकार बड़ी से बड़ी नौकरी के लिए पैसे फिक्स किए हुए थे। उस समय अगर किसी ने कोई नहर का अपना काम करवाना हो या ट्यूबवैल का कनैव इन लेना

हो तो उसके लिए भी 2 हजार या इससे अधिक रुपए तय थे। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हरियाणा उस समय भ्रष्टाचार से कुचल दिया गया था और हरियाणा के अन्दर लोकतन्त्र की मेन बुनियाद मानी जाती थी उसे उस समय उस व्यक्ति ने एक तरह से समाप्त कर दिया था। उसके समय में नौकरियों में एक जाति के लोगों को प्रैफरेंस दिया गया। अगर आज भी इस बात का रिकार्ड निकलवाया जाए तो पता लगेगा कि उस समय जो भी नौकरी बगैर पैसे के दी गई होगी वह अपनी बिरादरी के सिवाए किसी को नहीं दी होगी। बाकी सब की सब नौकरियां पैसे में दी गई थी जिस कारण यहां के नौजवानों में रोश पैदा हुआ। अध्यक्ष महोदय, हर सरकारी कर्मचारियों को पैसा बनाने का मौका नहीं मिलता। इसलिए उस भासन में सरकारी कर्मचारी भी तंग आ गए थे, यहां की पुलिस भी तंग आ गई थी और यहां का नौजवान बागी हो चला था। उस का परिणाम यह हुआ कि हरियाणा के अन्दर चौधरी देवी लाल जी की रहनुमाई में इस मौजूदा भासन की उत्पत्ति हुई।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग संख्या 2 और 3 पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। अब पहले वाले हालात कितने बदल गए हैं, इस के लिए कोई सर्वे या कोई सर्वे लैस कमेटी बना कर पता लगवाया जाए। इसमें कोई भाक नहीं कि हमारी सरकार ने ऐन्टी क्रप्टान बोर्ड भी इस काम के लिए बनाया हुआ है और वह अपना काम भी कर रहा है। इस बोर्ड के नतीजे कितने निकले हैं और भ्रष्टाचार में कितनी कमी हुई है, इसके लिए पुलिस बन्दोबस्त

में जितना सुधार होना चाहिए था क्या वह हुआ है? क्या आम आदमी अब बिना किसी भय के या दबाव के अपने हक के लिए पुलिस के पास जाने से पहले की तरह डरता तो नहीं है या उस में कुछ कमी हुई है? यदि पहले की तरह डरता है तो उसका क्या इलाज किया जाए, यह हमें सोचना होगा। क्योंकि जब कोई किसी को भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़वाना चाहता है तो सी0आई0डी0 और विजिलेंस डिपार्टमेंट वाले यह कहते हैं कि हम तभी उसकी पकड़ सकते हैं अगर आप उसे रि वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाओगे। मेरी प्रार्थना है कि कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए जो भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्यवाही कर सके। मेरे कहने का भावार्थ है कि ऐसी सर्वेलेस कमेटी बनाई जाए जो अधिकारियों के काम काज पर निगाह रखे और हर तीन महीने के बाद पूरी रिपोर्ट दे। वह कमेटी यह देखे कि कहीं कोई ऐसा अधिकारी तो नहीं है जो अपनी मनमानी कर रहा है अथवा कोई अधिकारी नेताओं की या सरकार में मन्त्रियों की खुा मद करके उनके नजदीक लग कर भ्रष्ट तरीकों से पैसा तो नहीं बना रहा। कहीं पुलिस अफसर करप्ट तो नहीं और थाने में जाने पर गरीब आदमी की रिपोर्ट लिखते हैं या नहीं। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की कोई कमेटी का प्रावधान यदि विधान सभा रूलज में हो तो बनाई जानी चाहिए या कोई सर्वेलेस कमेटी बनाई जाए जो जनता की हमदर्द हो। यह कमेटी समय-समय पर डिपार्टमेंट्स की वर्किंग को रिव्यू करे और उनके काम-काज पर नजर रखे। यह कमेटी जनता से और पौलिटिकल वर्करज से तालमेल रखे। भ्रष्टाचार के जो मामले

सामने आएँ उनमें इन्कवायरी करवाई जाए। यह कमेटी इस बात का अध्ययन करे कि भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है या नहीं। अगर भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ तो उसे किस तरह समाप्त किया जा सकता है, इस बात को देखे। इस काम में कहीं कोई कमजोरी नजर आती है तो उसे दूर किया जाना चाहिए। सरकार ने भ्रष्टाचार समाप्त करने की जो कमिटीमेंट की हुई है उसे पूरा करने के लिए जो हमारे हाथ में है, सरकार के हाथ में है, वह सभी कुछ किया जाना चाहिए। सरकारी अफसर इन्सानों को इन्सान समझें। अगर पब्लिक को कोई आदमी कार्यालयों में जाता है तो उसे वहां बदला हुआ वातावरण मिलना चाहिए और उसका काम होना चाहिए ताकि उसको लगे कि जो जनक्रान्ति उसने की है उसका फल उसे मिला है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि सेंटर की सरकार में बैठे हुए लोग इस क्रान्ति को, इस सरकार को, फेल करने के लिए झूठे आरोप भी लगा रहे हैं। उनकी मन्ता यही रहती है कि जहां राज्य सरकार को जरूरत हो वहां पर कोई पैसा न दिया जाए। बड़े दुख के साथ कहा जाएगा कि हिन्दुस्तान के अन्दर बजट में किसानों की बहबूदी के लिए बहुत कम पैसा रखा गया है। स्पीकर साहब, हमारी सरकार किसानों की सरकार है, गरीब मजदूर की सरकार है। इस सरकार ने हरेक वर्ग का पूरा ध्यान रखा है, देहात का पूरा ध्यान रखा है और पहले से ही काफी सुविधाएं अपने प्रदेशों की जनता को दी है। 75 करोड़ रुपया ऐम्पलाईज को पैसा तथा नए ग्रेड देने के लिए दिया गया है। 11 करोड़ रुपया शिक्षकों

और उनको यू0जी0सी0 ग्रेड के मुताबिक वेतनमान देने के लिए रखा है। अध्यक्ष महोदय, बाढ़ राहत कार्य के लिए सरकार ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है लेकिन किसानों को बाढ़ से हुई नष्ट फसल का एक पैसा भी मुआवजा अभी नहीं दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अफसर गाही और फ्लड कंट्रोल महकमें ने फ्लड के बारे में लोगों को समय पर जानकारी नहीं दी। फ्लड का पानी रातों-रात तो खेतों में नहीं पहुँच गया। हरियाणा की लोकप्रिय सरकार ने फ्लड में लोगों को सराहनीय ढंग से सहायता दी है लेकिन अगर संबंधित महकमें के अफसर लोगों को समय पर फ्लड आने की सूचना दे देते तो लोगों का और किसानों का काफी नुकसान कम किया जा सकता था। यदि किसानों को पता होता तो समय रहते वे ट्यूबवैलों से मोटरें खोल लेते, अपना अनाज और अन्य सामान समय पर सुरक्षित जगह पर ले जा सकते थे। लेकिन फ्लड के बारे में लोगों को पूर्व सूचना नहीं दी गई।

Mr. Speaker: Please wind up. I am not going to give you more than one minute now.

श्री बलबीर सिंह चौधरी: स्पीकर सर, मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। सबसे जरूरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वह यह है कि इस लोकप्रिय सरकार ने लोगों की बहबूदी के लिए कई सराहनीय पग उठाए हैं, कई प्रावधान किए हैं। मैं चाहूंगा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम काज पर नजर रखने के लिए एक सर्वेलेंस कमेटी बनाई

जाए। इसके साथ ही साथ फलड से लोगों का जो नुकसान हुआ है, उसको कम्पनसेट करने के लिए केन्द्रीय सरकार पर दबाव दिया जाए क्योंकि आज सैंटर लोगों को धोखा दे रहा है कि उसने बाढ़ राहत कार्य के लिए 42 करोड़ रुपया दिया है जब कि हमें इतना पैसा नहीं दिया गया है। फसल के नुकसान के लिए और दूसरे नुकसान के लिए लोगों को पूरा मुआवजा देने के लिए सैंटर पर दबाव दिया जाना चाहिए। आज लोगों को कम्पनसेटान की जरूरत है। (विधन)

Mr. Speaker: Balbir Singh Ji, this is not the way. If time is not given, then you protest and if time is given then you are not relevant. You please take your seat now.

श्री बलबीर सिंह चौधरी: इरीगेटन डिपार्टमेंट उन खेतों का भी पैसा चार्ज कर रहा है जिन खेतों में फलड आया था और फसल समाप्त हो गई थी। पता नहीं किस अधिकारी की गलती की वजह से ऐसा हो रहा है? मुख्य मन्त्री जी ने तो ऐलान किया था, आर्डर किये थे कि एक बार जिन खेतों में पानी लग गया था और जिनकी गिरदावरी भी हो गई थी उनकी वसूली भी माफ कर दी जाए। (विधन) मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठें।

उप-मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, आज से दो तीन दिन पहले बजट पर हुई जनरल

डिस्कान का जवाब देते हुए मैंने विस्तार से सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों का जवाब दिया था। आज सदन के सामने मांगे प्रस्तुत हैं। मांगों पर कुछ सम्मानित सदस्य बोले हैं और मैंने बड़े गौर से उनकी बातें सुनी हैं और नोट भी लिए हैं लेकिन मैं यह समझता हूँ कि आज कोई ऐसी नयी बात नहीं उठायी गई जो बजट की चर्चा पर बोलते हुए न उठायी गई हो। जो बात आज उठायी गई है उन सभी बातों का जवाब तकरीबन दिया जा चुका है। आज हमारे कुछ वे माननीय सदस्य भी बोले हैं जो बजट पर नहीं बोल पाये थे। अध्यक्ष महोदय उन माननीय सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए था क्योंकि वे भी अपने क्षेत्र की जनता द्वारा निर्वाचित हो कर आये हैं। वे जब तक अपने हल्के की कठिनाइयों मांगें और समस्यायें यहां पर प्रस्तुत न करें, तो मैं समझता हूँ, वे अपने कर्तव्य का सही पालन नहीं करते हैं। कुछ सदस्य ऐसे भी बोले हैं जो पहले बजट पर भी बोल चुके हैं। उन्होंने तकरीबन वही बातें कही हैं जो पहले कही जा चुकी है। मांगों पर जो नये सदस्य बोले हैं उन्होंने अपने हल्के की कठिनाइयों का जिक्र किया है। श्री रघु यादव पहली बार बोले हैं, भायद जनरल बजट की डिस्कान पर उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला था। मद्यपान की नीति के विशय में उन्होंने काफी लम्बा भाषण दिया लेकिन मैं यह समझ नहीं पाया कि वे इस नीति को सराहना कर रहे थे या निन्दा कर रहे थे। डाक्टर मंगल सैन जी, जो बहुत पुराने एवं प्रबुद्ध सदस्य हैं, भायद समझ पायें हो परन्तु मैं ऐसा मान कर चलता हूँ कि वे हमारी नीति की सराहना ही कर रहे थे। उन्होंने

कुछ बातें टौन्टींग—वे में भी कही हैं, ऐसा मुझे अहसास हुआ है। कुछ बातें उन्होंने उचित भी कही हैं। मैं मानता हूँ कि भाराब का व्यसन बहुत बुरा है। कोई सीसाइटी, कोई धर्म या मजहब यह नहीं कहता कि इसका बढ़ावा हो, फैलाव हो लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे भारतवर्ष के लोग हमारी संस्कृति को त्याग कर आज नई संस्कृति का जरूरी अंग बन गया है। हमारी पढ़ाई, रहन—सहन जब वैसा होगा, हमारी सोसाइटी के आचार विचार जब वैसे होंगे तो उसमें वे बातें जरूर होगी। यह मुल्क की बदकिस्मती है। भाराबबन्दी, मद्यनिशेध होना चाहिए, इस बात को कोई इन्कार नहीं करता लेकिन उसको प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाये। हम मद्यनिशेध तो करे और वह लागू न हो तो उसका कोई लाभ नहीं है। जैसा मेरे सम्मानित सदस्य ने उदाहरण दिया है कि गुजरात में काफी लोग मर गये। यह बात समाचार पत्रों में भी छपी कि वहां पर सौ से अधिक आदमी जहरीली भाराब पी कर मर गये। वे गरीब आदमी थे, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले थे। अध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा होगा। समाचार पत्रों में चित्र छपे हैं। उनके परिवार की महिलाएं, लड़कियां, बच्चे, बूढ़ियां, विलाप कर रही थी, चिल्ला रही थी। हरियाणा में भी एक बार ऐसा भायद हादसा हुआ था। कांग्रेस राज्य में कालावाली में हुआ था। ऐसी ही एक घटना हुई थी। मुझे पता नहीं, ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही उस समय की गयी या नहीं लेकिन मामला कई दिनों तक चलता रहा था। आम तौर पर देखने में यह आया है कि जहां भाराब बन्दी की गयी है वहां पर ऐसी घटनाएं आम

तौर पर होती है क्योंकि वहां पर कोई चैक नहीं रहता, न कोई देखभाल होती है। जो नाजायज भाराब निकालने का धन्धा करते हैं, उनके हाथ खुल जाते हैं, रोकने वाला कोई नहीं रहता। जो रोकने वाली जमात है, वह भी उनके साथ बैठकर पीती है। इस तरह से सरकार के राजस्व का नुकसान होता है। भाराब उसी प्रकार से पी जाती है बल्कि जहरीली पी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको गुजरात का एक किस्सा सुनाऊ। हमारे बम्बई में एक रि तेदार है। उन्होंने सूरत के अन्दर एक बड़ा पुराना बन्द पड़ा हुआ इंडस्ट्रियल भौड खरीद लिया। वे वहां पर इंडस्ट्री लगाना चाहते थे। उन्होंने वहां पर अपना इंडस्ट्री लगाने का काम भुरु कर दिया। जब रात हो गयी तो वहां पर 15-20 आदमी सारा नाजायज भाराब निकालने का सामान टंकियां उठाकर आ गये क्योंकि वे लोग वहां पर भाराब निकालने का धन्धा किया करते थे। हमारे रि तेदार ने कहा कि आप कौन हैं? वे कहने लगे कि हम तो ठीक आये हैं, लेकिन आप कौन हैं? हमारे रि तेदार ने यह कहा कि हमने सरकार से यह इंडस्ट्रियल भौड खरीद लिया है। हम यहां पर इंडस्ट्र चलायेंगे। वे कहने लगे, देखिये बाबू हम यहां पर भाराब निकालने का धन्धा करते हैं, अगर हमें एक हफते की मोहलत दो तो हम दूसरा ठिकाना बना लेंगे नहीं तो तुम्हारे साथ झगड़ा होगा। न तो तुम चैन से रहोगे और न ही हम चैन से रहेंगे। उन्होंने कहा कि चलो एक हफता तक कर लो। उसके बाद वे छोड़ कर कहीं चले गये। मेरे रि तेदार ने बताया कि उनके पास टंकिया आदि सारा सामान था। वे रात भर वहां पर भाराब

निकालते, सुबह झुग्गी-झोंपड़ियों में ले जाते थे। वहां पर जाकर बेचते थे। उनका न तो कोई टैक्स ही होता था और न ही किसी किस्म का परीक्षण होता था कि वह ठीक भाराब है, अच्छी है जहरीली है या नहीं है। मद्यनिशेध होने से इस बात की कोई देखभाल ही नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही एक बार का और किस्सा मैं आपको बतलाऊं। मैं जब मुख्यमंत्री था तो कुछ लोग भिवानी में मुझे मिलने के लिए आये। उनमें मेरे ही भिवानी क्षेत्र के एक गांव का सरपंच भी था। वह सरपंच यह कहने लगा कि हमारे गांव ने रैजोल्यूशन पास कर दिया है कि हमारे यहां पर ठेका बन्द कर दिया जाये। मैं जानता था कि वहां के लोग पीने वाले हैं। मैंने कहा ठेका तो हम बन्द कर देंगे क्योंकि पंचायत का रैजोल्यूशन पास हो गया है। लेकिन क्या आप यह यकीन दिलाते हो कि वहां पर भाराबनोरी नहीं होगी। वह कहने लगा कि सारे गांव का तो मैं जिम्मा कैसे ले सकता हूँ? मैंने कहा कि क्या तुम अपनी गरन्टी लेते हो कि तुम नहीं पीओगे? जब मैंने यह बात कही तो वहां पर मौजूद सारे आदमी हंस पड़े क्योंकि वह जानते थे कि यह सरपंच बिना भाराब पीये रह ही नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात भी हो सकती है कि कुछ पंचायतें जब रैजोल्यूशन पास कर दे कि वहां पर ठेका बन्द कर दिया जाये तो ठेका टूट जाये लेकिन फिर वहां पर देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। किसी का इन्ड्रैस्ट क्लॉक नहीं होगा और हमें नाजायज भाराब निकालने की खुली छूट होगी। वह गांव तो मेरी जानकारी में है क्योंकि वहां पर भाराबनोरी एक तरह से कोटैज इंडस्ट्री की तरह से

चलती है। घर-घर में भाराब निकलती है और औरतें भाराब निकालती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि भाराब बन्दी की जाये, यह तो बहुत अच्छी बात है लेकिन यह तभी की जानी चाहिये जब लोगों के अन्दर यह प्रचार हो, लोगों में यह भावना पैदा की जाये कि भाराब बुरी चीज है। इससे तबाही होती है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार का भी यह कर्तव्य है कि वह भाराब बन्दी करें। मैं यह मानता हूँ कि यह राजस्व का बहुत बड़ा साधन है और अगर इसको बन्द कर दिया जाए तो प्रदेशों को बड़ा भारी नुकसान होगा और उसके साधन सीमित हो जाएंगे। जब मोरार जी देसाई प्रधान मंत्री थे तो यह प्रश्न उठाया गया था और उस समय भाराब बन्दी से प्रदेशों को जो नुकसान होने वाला था उसका कम्पनसेशन देने की बात हुई थी लेकिन वह बात आगे नहीं चल पाई। अगर भारत सरकार इस का कदम उठाए और अगर वह कुछ सहारा दे तो हम भी कुछ वहन करने को तैयार हैं। ऐसा करने से तो यह बात चल सकती है वरना यह बात नहीं चल सकती।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, यादव जी ने मुक्त द्वारा प्रशासन की बात कही। मुक्त द्वारा प्रशासन विधिवर की योजना मुख्यमंत्री, चौधरी देवी लाल जी, के सुझाव पर भुरू की गई है। इससे लोगों को बहुत राहत मिली है। मुक्त द्वारा प्रशासन के आयोजनों में मुझे भी जाने का मौका मिला है। अध्यक्ष महोदय, हजारों मामले ऐसे थे जिनके लिए योग भटकते रहते थे लेकिन

उनका फेसला नहीं हो पाता था। जैसे लाइसेंस की बात है, टैक्स की बात है, छोटे मोटे और झगड़े हैं और डौमीसाइल सर्टिफिकेट की बात है। कई हजार लोगों की समस्या मुक्त द्वारा प्रशासनिक विवर द्वारा वहां हल हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात होगई कि कुंआ प्यासे के पास जाने लगा वरना लोग जरूरतमन्द थे और उनको भागना पडता था। लेकिन अब उन लोगों के भागने की बजाए प्रशासन उनके पास चलकर जाता है। आज अध्यक्ष महोदय, उनके घर पर जाकर उनको इंसाफ मिलता है। हमारे सम्मनित सदस्यों ने इसकी बहुत सराहना की है। जो कचहरियों और अदालतों में बैठते हैं वे भी अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहे, वे भी पूरी तरह से काम करे, ऐसा हम चाहते हैं। अगर कहीं भी अधिकारियों की तरफ से लापरवाही हो तो उस माननीय सदस्य हमारे नोटिस में लाए। सरकार उस बात का पूरा ध्यान रखेगी। जो भूमि ऐक्वायर की जाती है उसके बारे में भी यादव जी ने कुछ बातें कहीं। उन्होंने कहा कि अधिग्रहण की वजह से गांव नरक बनते जा रहे हैं और भामिगान की जगह भी अधिग्रहण कर ली जाती है। अध्यक्ष महोदय, जब भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो इस प्रकार की बातों का ध्यान रखा जाता है कि जनता को कोई कष्ट न हो। अगर फिर भी कष्ट हो तो यह सरकार इस चीज का पूरा ध्यान रखती है और उस कष्ट को दूर करने का भरसक प्रयत्न करती है। यह सरकार नहीं चाहती कि ग्रामीण जनता को कोई असुविधा हो।

श्री रघु यादव: भजन लाल के टाईम में डूढाहेडा में हुई है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मै वह मौका देखने जा रहा हूँ ।

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, चौधरी भागमल ने कहा कि उनका इलाका पहाड़ी क्षेत्र है। वह सब माउंटेनियस एरिया है। नदी नाले बहुत है। बाढ़ के पानी से फसलें खराब हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में पहले भी जिक्र किया जा चुका है और मै फिर इस सदन में कहना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने चालीस करोड़ की कन्डी एरिया की स्कीम बनाई है जिससे नदी नालों पर बान्ध बनाकर बाढ़ का प्रबन्ध किया जाएगा और वर्ल्ड बैंक के तहत यह प्रोजैक्ट तैयार हो चुका है। कोर्पोरेशन की जाएगी कि जल्दी काम भुरू किया जाए। अध्यक्ष महोदय, यही बात चौधरी जगपाल सिंह तथा उस एरिया से ताल्लूक रखने वाले दूसरे मैम्बर साहिबान जैसे चौधरी असलम खां आदि ने नारायणगढ़ छदरौली और सढौरा के बारे में कही। यह खुशी की बात है कि ऐसा प्रोजैक्ट इस सारे इलाके के विकास के लिए हरियाणा सरकार तैयार कर रही है। कुछ सड़को के बारे में चौधरी भागमल ने जिक्र किया है उनके यहां एक किलोमीटर और आधा किलोमीटर की ऐसी सड़के है जिनकी रिपेयर होना बहुत जरूरी है और कुछ सड़के नई बननी है। अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्य ने नई सड़के बनाने और मरम्मत करने के बारे में जिक्र

किया है। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई भांक नहीं कि इस दफा अभूतपूर्व वर्षा के कारण सड़को का काफी नुकसान हुआ है। ऐसी वर्षा पिछले पचास साठ से नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि तारकोल और पानी का बैर है। एक दिन भी अगर सड़क पर पानी खड़ा रह जाए तो वह सड़क टूट जाती है और यहां तो महीनों और हफ्तों पानी सड़को पर खड़ा रहा है। हमारा अन्दाजा है कि अठारह उन्नीस करोड़ रूपया इन सड़को की मरम्मत पर खर्च होगा, अगर अभी सड़को की मरम्मत एक साथ की जाए, लेकिन इसके लिये हमने पूरी तरह से कदम उठाये हैं। कुछ फण्टज भी दिये हैं। बाढ़ राहता के लिए केन्द्र सरकार से जो सहायता आती है उसमें से भी कुछ पैसा सड़को की मरम्मत के लिये मिला है। इसके अलावा, कुछ दिन पूर्व इसी सै ान में मार्किट कमेटियों व मार्टिक बोर्डों से सम्बन्धित एक बिल मे इस तरह का सं ाोधन किया गया था कि इस काम के लिए पैसा उपलब्ध हो और मुझे बताते हुए खु ि हो रही है कि काफी पैसा अब सड़कों की मरम्मत के लिये और नई सड़को को बनवाने के लिये उपलब्ध होगा। मै इस बात का वि वास सदन के माननीय सदस्यों को दिलाना चाहता हूं कि हरेक माननीय सदस्य के हल्के में प्रायरिटी के हिसाब से सड़कों की मरम्मत व सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। जहां पर पहले काम करवाने की आव यकता होगी वहां पर पहले काम करवाया जाएगा। मरम्मत सभी सड़कों की जाएगी लेकिन समय कुछ लग सकता है।

शिक्षा के बारे में मेरे ख्याल में जितने भी सम्माननीय सदस्य बोले हैं, सभी ने ही जिक्र किया है कि स्कूलों के भवनों की हालत खस्ता है। मैंने बजट पर बहस का उतर देते हुए यह कहा था कि चार करोड़ से ऊपर की रकम भवनों की मरम्मत के लिये रखी गयी है। इसके अलावा एक और निर्णय लिया गया है कि जो पैसा बिल्डिंग फण्ड का आता था, वह सारा चण्डीगढ़ में आ जाता था, अब उस टोटल पैसे का 70 प्रतिशत स्कूलों के मुख्य अध्यापकों को दिया जाएगा ताकि वे गांव के सरपंचों के साथ मिलकर ऐसे स्कूलों के लिए जिनकी हालत बहुत खस्ता है, या जिनकी छतें खराब हो गई हैं, खर्च कर सकें।

स्कूलों को अप-ग्रेड करने के लिये भी यहां पर मांग आई है। कहीं ये यह मांग आई है कि 10+2 स्कूल बना दिया जाए, कहीं से यह मांग आई है कि प्राइमरी से मिडल और मिडल से हाई स्कूल बना दिये जाए। अध्यक्ष महोदय, जितने स्कूल अगले साल अप-ग्रेड किये जाएंगे उनकी संख्या बजट अभिभाषण के अन्दर बतायी गयी है और जैसे-जैसे हमें साधन उपलब्ध होते रहेंगे हम स्कूलों की कमी को पूरा करते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे लोकप्रिय नेता चौधरी देवी लाल जी का रुख है कि कन्याओं की शिक्षा की औसत को पूरा करने के लिये और अधिक ब्यान दिया जाए इसके पूरा करने के लिए इस आने वाले वर्ष में कन्याओं की शिक्षा पर ज्यादा पैसा दिया जायेगा।

श्री भागमल जी ने आग्रह किया कि जगाधरी को जिला बनाया जाये और सढौरास को अप-ग्रेड करके तहसील बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, जिला बाउडरी पूनर्गठन कमेटी बनी है जिसके चेयरमैन हमारे माननीय चौधरी वीरेन्द्र सिंह है। उनकी रिपोर्ट आने वाली है। रिपोर्ट आने के बाद ही इनकी इस मांग पर विचार किया जाएगा। चौधरी भागमल जी ने नजूक और सरप्लस लैंड की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री महोदय ने यह सूचित किया है कि जितनी भी ऐसे केसिज है जहां पर हरिजनों के साथ इस जमीन के मामले में जबरदस्ती हुई है उनकी जांच रेवेन्यू विभाग कर रहा है। यह काम तहसीलदारों के जिम्मे लगा रखा है और उसके बाद डी० सी० २० प्रति १०० चैकिंग करेगा कि आया यह जांच ठीक हुई है कि नहीं और दोषी के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।

श्री जगपाल सिंह चौधरी जी ने भी बहुत सारी बातें बतायीं। कुछ टेक्नोक्रेट्स मैडिकल व सिविल अधिकारियों में पैरिटी लाने की बातें कही हैं। ऐनोमिलल कम गिनती की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो चुकी है। उस पर विचार किया जा रहा है। मेरे विचार में सभी प्रकार की ऐनोमली दूर हो जाएंगी। अगर कोई कमी रह गयी तो सरकार इस विषय पर विचार करेगी। एक उन्होंने बसों की बात कही कि बसें बहुत कम चलती हैं। जैसा कि मैंने बजट स्पीच पर बोलते हुए कहा था, हम नई बसें खरीदने जा रहे हैं। हम पुरानी बसों को रिप्लेस और जहां-जहां बसों की कमी को पूरा

किया जाएगा। चौधरी जगपाल सिंह जी ने कहा था कि हुड्डा जब दफा 4 का नोटिफिके ान करता है तो जो मकान अच्छी हालत के बने हुए होते हैं या जो फ़ैक्ट्रीज बनी हुई होती है उनको डिमो िायम न किया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि जब भी कोई जमीन ऐक्वायर की जाती है तो इस बात का ध्यान पूरी तरह से रखा जाता है। इन्होंने ताजेवाला बांध की बात कही थी यह बात ठीक है कि वह सौ साल पुराना हो चुका है और उसकी उमर खत्म हो चुकी है। हमने हथनी कुंड के लिए बजट में तीन करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। ठीक है वह रकम कम है लेकिन अगर इस साल में वह रूपया खर्च हो गया तो और पैसा दे दिया जाएगा। अब भायद यू0 पी0 ने ग्रीन सिगनल दे दिया है। अब तक यह मामला इसलिए लटका हुआ था कि यू0 पी0 के साथ हथनी कुंड बैराज को लेकर हमारा समझौता नहीं हुआ था। कुछ बाते वैटर्नरी हस्पतालो के बारे में कही गईं। उन सुझावों पर भी गौर किया जाएगा। एक बात जगपाल सिंह जी ने टूरिस्ट काम्पलैक्स के बारे में कही कि उस एरिया में कोई टूरिस्ट काम्पलैक्स नहीं है जहां तक मुझे याद है मोरनी हिल्ज पर एक टूरिस्ट कौमपलैक्स बनाया है। अगर ये और जगह बनाने का सुझाव देगे तो हम टूरिजम कार्पोरे ान को कहेंगे कि वह उस बात पर विचार करें। श्री लछमन दास बजाज जी ने काछुवा का खास तौर पर जिक्र किया कि वहां के स्कूलों को अपग्रेड किया जाए। उन्होंने सेल्ज टैक्स की बात भी कही थी। सम्मानित सदस्य सेल्ज टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी के मैम्बर हैं। वे यदि कोई बात रखेंगे और वह

विचारनीय बात होगी तो उस इसमें छोटी-छोटी चीजे होती है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इसके ऊपर टैक्स की चोरी बहुत होती है। सैकड़ो हजारों लोग ऐसे है जो दिल्ली जाने आने के डेली पैसेजर है। वे दिल्ली से थैलों में डाल कर इलैक्ट्रिकल गुडज ले आते है और बिना टैक्स का रेट चाहे कितना भी कम कर दिया जाए ऐसे धंधों ता चलते ही रहेंगे। ऐसे लोगों को तो कुछ सख्ती के साथ रोकना पड़ेगा और कुछ लोगों को सचेत करना पड़ता कि ऐसा करने से हमारे प्रदेा को नुकसान होता है इसलिए ऐसा न किया जाए। उन्होंने कम्बल पर टैक्स न लगाने की बात भी कही। बजाज साहब की यह बात ठीक है कि पहले कम्बल पर टैक्स नहीं लगता था, यार्न पर दो परसेंट टैक्स लगता था। अब यार्न की बजाएं दो परसेंट टैक्स कम्बल पर लगा दिया है। इसका सब से बड़ा उदेय यह है कि पानीपत जैसे भाहर में जो कम्पोजिट मिल है वे यार्न भी बनाते है और कम्बल भी बनाते हैं। पहले ज60 गरीब आदमी कम्बल बनाने के लिए यार्न खरीदता था तो उसे दो परसेंट टैक्स देता था। लेकिन जो बड़े बड़े मिल मालिक है जिन्होंने कम्पोजिट मिल लगा रखी है वे टैक्स से बच जाते थे, न उनको यार्न पर टैक्स देना पड़ता था और न कम्बलों पर टैक्स देना पड़ता था। इसलिए यह दो परसेंट टैक्स यार्न पर लगाया गया था। मैं समझता हूँ कि जो खड्डियों पर कम्बल बनाने वाले लोग है उनको इस टैक्स के लगने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। उनको तो पहले भी टैक्स देना पड़ता था और अब भी देना पड़ता है। लेकिन पहले बड़ी बड़ी मिलों के मालिक टैक्स से बच जाते

थे। अब उनसे भी टैक्स लिया जा सकेगा। पिछले दफा यार्न पर टैक्स लगाने के बारे में कम्बल बनाने वाले व्यपरियों की तरफ से वह तजवीव आई थी कि कम्बल की बजाय यार्न पर टैक्स लगा दिया जाए। हमने उनसे कहा कि ठीक है, हम इस बात को ऐगजामिन कर लेते हैं, अगर ठीक समझा गया तो इसको इम्पलीमेंट करेंगे। उसको हमने सेल्ज टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में ऐगजामिन किया। उस मीटिंग में ऐगजामिन करने के बाद ही यह यार्न पर दो परसेंट टैक्स लगाया गया था।

इसके अलावा मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी स्वास्थ्य नीति पूरी तरह से घोशित हा चूकी है। मैंने सदन में पहले भी बताया है कि हम पी० एच० सीज० और कम्युनिटी हैल्थ सेंटरज खोलने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, सदन में बाढ़ के बारे में भी जिक्र आया है। यह बात ठीक है कि बाढ़ पीड़ितों को थोड़ी सहायता दी गई है। हमने केन्द्रीय सरकार से, जितना हमारा हक बनता था उतने पैसे की मांग की थी, लेकिन हमें केन्द्रीय सरकार की तरफ से उतना पैसा नहीं मिला। इस मामले में हमारा और केन्द्रीय सरकार का भेदभाव चलता रहता है।

श्री रतन लाल कटारिया ने अपना भाशण एक भोयर से भुरू किया। उनका भाशण बड़ा दिलचस्प था।

अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका के बारे में मैंने पिछली दफा बताया था कि उनमें जो सी० ई० ओज० और अध्यक्षों का आपस में झगड़ा है उसके लिए मंत्री परिशद की एक कमेटी बनी हुई है। वह उस बारे में जल्दी ही निर्णय लेने वाली है।

श्री कुन्दन लाल भाटिया के बाद गह खां अस्पताल, फरीदाबाद के बारे में कहा कि उसकी बड़ी खस्ता हालत है। उस हस्पताल में टी० बी० वार्ड तक जाने के लिए सड़क नहीं है। पोस्ट मोर्टम के लिए वहां पर जगह नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उसके लिए हम जितनी राशि दे सकेंगे उस पर विचार किया जाएगा। इन भावों के साथ में कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं उन पर गौर किया जाएगा। अब मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इन मांगों को सर्वसम्मति से पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब मैं वेरियस डिमान्डज फार ग्रांटस को हाउस की वोटिंग के लिए रखता हूं। क्या इनको एक साथ पूट दिया जाए?

आवाजे: ठीक है जी, एक साथ पुट कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Question is -

That a sum not exceeding Rs. **1,17,86,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year

1989-90 in respect of charges under Demand No. **1-Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding Rs. **32,52,45,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **2-General Administration.**

That a sum not exceeding Rs. **85,60,80,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **3-Home.**

That a sum not exceeding Rs. **15,53,23,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **4-Revenue.**

That a sum not exceeding Rs. **7,51,02,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **5-Excise and Taxation.**

That a sum not exceeding Rs. **42,78,98,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **6-Finance.**

That a sum not exceeding Rs. **84,15,12,000** for revenue expenditure and **Rs. 20,52,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that

will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **7-Other Administrative Services.**

That a sum not exceeding Rs. **45,38,12,000** for revenue expenditure and **Rs. 43,71,16,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **8-Buildings and Roads.**

That a sum not exceeding Rs. **2,71,55,25,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **9-Education.**

That a sum not exceeding Rs. **1,31,27,40,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **10-Medical and Public Health.**

That a sum not exceeding Rs. **4,93,59,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **11-Urban Development.**

That a sum not exceeding Rs. **21,32,34,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **12-Labour and Employment.**

That a sum not exceeding Rs. **1,43,73,53,000** for revenue expenditure and **Rs. 1,39,04,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **13-Social Welfare and Rehabilitation.**

That a sum not exceeding Rs. **3,85,91,000** for revenue expenditure and **Rs. 1,77,67,79,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **14-Food and Supplies.**

That a sum not exceeding Rs. **1,95,03,00,000** for revenue expenditure and **Rs. 61,62,71,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **15-Irrigation.**

That a sum not exceeding Rs. **18,86,51,000** for revenue expenditure and **Rs. 2,69,16,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **16-Industries.**

That a sum not exceeding Rs. **58,65,88,000** for revenue expenditure and **Rs. 1,48,00,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **17-Agriculture.**

That a sum not exceeding Rs. **23,08,43,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray

charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **18-Animal Husbandry.**

That a sum not exceeding Rs. **3,23,97,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **19-Fisheries.**

That a sum not exceeding Rs. **29,78,27,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **20-Forest.**

That a sum not exceeding Rs. **48,09,32,000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **21-Community Development.**

That a sum not exceeding Rs. **7,41,06,000** for revenue expenditure and **Rs. 16,56,66,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **22-Cooperation.**

That a sum not exceeding Rs. **1,37,69,78,000** for revenue expenditure and **Rs. 15,41,00,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **23-Transport.**

That a sum not exceeding Rs. **1,81,00,000** for revenue expenditure and **Rs. 1,67,00,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. **24-Tourism.**

That a sum not exceeding Rs. **2,42,12,03,000** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1989-90 in respect of charges under Demand No. 25-Loans and Advances by State Government.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल सुबह 9.30 बजे ऐडजर्न किया जाता है।

18.14 बजे

(तत्प चात सदन मंगलवार दिनांक 14-3-1989 को प्रातः 9.30 बजे तक स्थगित हुआ)